fgekpy in'k Ldy f'k{kk ckM] /ke'kkyk d y[kkvk vof/k 1-04-2007 l 31-03-2008 rd dk vdk{k.k ,o fujh{k.k ifronu

Hkkx&1

¼1½ xr y[kk ijh{kk ifronu :–

गत वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनेकानेक पैरे, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं, वांछित अनुपालना न करने की बजह से अभी तक निपटारे हेतु लम्बित शेष हैं तथा इनके निपटारे हेतु कार्यवाही न करने की वजह से वर्षानुवर्ष अनिर्णीत पैरों मे निरन्तर बढ़ौतरी हो रही है। अतः बोर्ड के प्राधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि गत अनेक वर्षों से अनिर्णीत चले आ रहे समस्त पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से संयुक्त नियंत्रक(ले0प0) तथा इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(I) 25 o"kkZ l vf/kd vof/k rd vfu.khr py vk jg ijk dk fooj.k&

(i) y[kk ijh{kk ifronu vof/k 9@69 l 1982&83 rd

vof/k 9@69 l 1971 rd

1. पैरा 10		सितम्बर, 1969 में ₹41,403.00 रुपये की राषि जिसका विवरण पैरा में वर्णित है भारतीय स्टेट बैंक की विवरणी अनुसार जमा करवाए गए परन्तु सम्बन्धित रिकार्ड, जिससे राषि की सत्यता व किस उदेष्य से जमा करवाई गई थी, की जांच नहीं की जा सकी थी। सम्बन्धित रिकार्ड अब प्राप्त कर व शेष की समाधान विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा को दिखाई जाए ।
2. पैरा 10–ए–(2)		दिनांक 7.10.69 को ₹3053.75 रुपये के विरूद्ध ₹2493.75 रुपये व दिनांक 8.10. 69 को ₹4438.95 रुपये के विरूद्ध ₹5418.95 रुपये बैंक में जमा करवाये गये । इस प्रकार ₹560 रुपये कम जमा व ₹980 रुपये अधिक जमा की समाधान विवरणी अंकेक्षण को दिखाई जाए ।
3. पैरा 11		अलग–2 तिथियों की कुल राषि ₹28736.75 रुपये बैंक में जमा करवाने भेजे गये थे परन्तु 10/69 तक इन राषियों के क्रैडिट बैंक विवरणी में नहीं पाए गए दूसरी तरफ राषि 28267.50 रुपये के क्रैडिट बैंक द्वारा अलग–2 तिथियों के दिए गए परन्तु इन राषियों का मेल कैष बुक में दर्ज राषियों से नहीं हुआ। बैंक विवरणी में 10/69 से 1/70 तक दिए गए क्रैडिट व डेबिट प्रविष्टियों की समाधान विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।
4. पैरा 13		बोर्ड विनियमन, 1968 की धारा–22 अनुसार बिना सेवा शर्तें निर्धारित किए सचिव हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड की नियुक्ति करने पर माह 9/69 से 12/69 तक कुल ₹4440 रुपये का वेतन आहरण किया। जबकि बिना सेवा शर्तें वेतन अहरण करना अनियमित था। इस सम्बन्ध में सरकार/बोर्ड का निर्णय शीघ्र लेकर दिखाया जाए ।
5. पैरा 13(3)		राषि ₹1610 लेवर हास्टल विल्डिंग षिमला की मुरम्मत, सफेदी व रंग रोगन करवाने पर व्यय की गई जबकि यह भवन मयुनिसिपल कारपोरेषन षिमला से

		किराए पर लिया गया था तथा मुरम्मत, तोड़–फोड़ व रंग रोगन करवाने का खर्चा भवन मालिक द्वारा किया जाना था। इस प्रकार जब भवन के किराए की अदायगी की जानी थी तो उक्त ₹1610 रुपये की मांग भी उनसे की जानी थी। अतः 1610/–रुपये की वसूली नगर निगम षिमला से की जाए।
6.	पैरा 13–10	मैसर्ज कैपिटल स्टेषनरी वर्क्स यमुनानगर को वाऊचर संख्याः 5, 1/70 द्वारा राषि ₹35,640 रुपये का पार्ट भुगतान उत्तर पुस्तकाटों व अनुवर्ती शीटस की आपूर्ति हेतु दी गई । अंकेक्षण के दौरान उक्त वस्तुटों की आपूर्ति चली हुई थी । उक्त फर्म का टन्तिम भुगतान का समायोजन, स्टॉक रजिस्टर जिससे उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति व खारिज की जांच हो, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाएं। सचिव, द्वारा वर्ष के दौरान कुल ₹80,280 रुपये बोर्ड निधि से गुप्त निधि के लिए आहरण किए जबकि वर्ष 1969–70 के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था । वर्ष 1969–70 से सम्बन्धित बजट प्रावधान लेखा परीक्षा में दिखाए जाएं ।
7.	पैरा 9	रोकड़ बही का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
8.	पैरा 15	आन्तरिक शुल्क निर्धारण जो विद्यार्थी से नौवीं, दसवीं व ग्यारहवीं कक्षा में पदोन्नत व फेल होने के कारण वसूला गया, इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करने बारे।
9.	पैरा 19(ए)	हिमाचल प्रदेष के नये क्षेत्रों में वर्ष 1969–70 में संचालित विभागीय परीक्षा से सम्बन्धित प्रवेष शुल्क आंषिक रूप में जिला षिक्षा अधिकारी कांगड़ा, कुल्लू और षिमला द्वारा प्राप्त करके सीधे ट्रेजरी के माध्यम से सरकारी कोष में जमा करवाया गया जबकि कुछ स्कूलों के मुखिया द्वारा उकत शुल्क सीधे बोर्ड को प्रेषित किया गया । जैसा कि वर्ष 1969–70 की विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई थी इसलिए वर्ष 1969–70 में जितनी फीस सरकारी खजाने में जमा करवाई गई थी की सूची बनाकर उस राषि का प्रत्यपर्ण राजकीय कोष से लिया जाना सुनिष्चित किया जाए ।
10.	19 (बी)	अवधि 5.9.1969 से 15.10.1969 तक प्राप्त शुल्कों के लिए मुद्रित रसीदें जारी करने की अपेक्षा टंकित रसीदें जारी की गई बताई परन्तु इनकी अनुलिपि रसीदें अभिलेख में नहीं रखी गई हैं । इसलिए जो फीस प्राप्त की व शेष फीस की सत्यता की जांच विभागीय तौर पर की जाए ।

vof/k 1971&72

1.	पैरा 13	केन्द्र अधीक्षकों, परीक्षकों व बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राषि ₹7,15,153 रुपये का असमायोजित होना।
2.	पैरा 14(ए)	450 परिणाम गजट मुद्रित करवाने के आदेष मैसर्ज आधुनिक प्रिन्टर्ज, जालन्धर को वर्ष जुलाई, 1971 की परीक्षा से सम्बन्धित दिया गया इनके मुद्रण पर कुल खर्च ₹16500 रुपये आया था परन्तु विक्रय करने पर बोर्ड को कुल ₹8950 रुपये की आय हुई। इस प्रकार बोर्ड को ₹7550 रुपये की हानि हुई । बोर्ड से अनुरोध है कि या तो उक्त हानि को बटटे खाते में डाला जाए या उक्त हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।
3.	पैरा 19	अप्रैल, 1971 तक (प्रवासी लेखा परीक्षा योजना के शुरू होने से पूर्व) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाष अवधि का वेतन टंषदान भी बोर्ड द्वारा किया गया। इस तरह अनियमित भुगतान की वसूली का अनुरोध ऑडिट अधियाचना संख्याः 108 दिनांक 16.3.1972 द्वारा किया गया था।
4.	पैरा 20	चार लाख रूपये की राषि वर्ष 1970–71 व 1971–72 के बजट अनुमान अनुसार

बोर्ड ने मिडल परीक्षा के संचालन के लिए प्राप्त किए जाने प्रस्तावित थो परन्तु मिडल परीक्षा से संचालित प्राप्त शुल्क जो राजकीय कोष में जमा करवाया गया था को प्रत्यपर्ण करवाकर बोर्ड निधि में जमा करवाया जाए।

5.	पैरा 21(ए)	वास्तविक रूप में प्राप्त 398018 उत्तर पुस्तिकाओं की अपेक्षा 4,00,000 उत्तर पुस्तकाओं की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में बिना रसीद के करने बारे ।
6.	पैरा 21 (बी)	मैसर्ज नैषनल स्टेषनर्स ने 16500 उत्तर पुस्तिकाएं व 8000 अनुवर्ती शीटस कम आपूर्ति करने की कीमत 2009.70 व उक्त आपर्ति की अधिक संख्या स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने की जांच बोर्ड प्रषासन द्वारा सुनिष्चित करने बारे।
7.	पैरा 21(सी)	दो मास के डाक टिकटों के लेखे की जांच में ₹195.10 रुपये की त्रुटियां पाई गई जिसका समाधान आपेक्षित है।
8.	पैरा 25	बोर्ड के allocatee कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी मूल वेतन जमा डी.पी. के 25 प्रतिषत की दर से की गई जबकि बोर्ड के अन्य कर्मचारियों को 5 प्रतिषत की दर से हि0 प्र0 सरकार के आदेषों से की गई । बोर्ड प्रषासन से अनुरोध किया गया था कि allocated कर्मचारियों को कुछ जायज दर से मकान किराया भत्ता की अदायगी की जाए परन्तु कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है।

vof/k 1972&73

1.	पैरा 13 (सी)	फरवरी, 1970 में मिडल परीक्षा के संचालन हेतु ₹10200 रुपये की अग्रिम राषि जिला षिक्षा अधिकारी धर्मषाला को केन्द्र अधीक्षक व अन्य स्टाफ को भुगतान हेतु दी गई परन्तु राषि का समायोजन अभी लम्बित है।
2.	पैरा 13 डी	श्री खूब राम ठाकुर जो मैट्रिक परीक्षा सितम्बर, 1971 में केन्द्र अधीक्षक षिमला–3 में तैनात थे, का यात्रा भत्ता दावा राषि ₹279.15 रुपये अवधि 27.9.1971 से 30.10. 71 तक जाली था जिसकी वसूली आडिट अधियाचना संख्याः 62 दिनांक 7.8.1972 के बाबजूद नही की गई।
3.	पैरा 14	मैसर्ज नैषनल ट्रेडर्ज दिल्ली द्वारा 13819 उत्तर पुस्तकाएं कम आपूर्ति करने का मामला ऑडिट अधियाचना संख्याः 100 दिनांक 21.2.1973 के द्वारा बोर्ड प्रषासन के ध्यान में लाया गया था ।
4.	पैरा 16(ए)	परीक्षा में तैनात स्टॉफ द्वारा अकारण परीक्षा केन्द्रों में ठहराव बारे।
	16 (बी)	उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
	16 (सी)	फिजूल खर्चे को रोकने बारे ।
5.	पैरा 17(2)	बोर्ड की गाड़ियों पर पैट्रोल, मुरम्मत व रख–रखाव पर ₹10001 रुपये अधिक खर्चा करने बारे ।
6.	पैरा 18	डाक व्यय पर वर्ष 1972–73 में ₹106200 रुपये खर्चा हुए जबकि बजट प्रावधान ₹72000 रुपये था। अतः पुनर्विनियोजन बोर्ड द्वारा बांछित है ।
7.	पैरा 19	वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर का पूरा रख–रखाव न करने बारे जैसा कि बोर्ड विनियमन के पाठ–5 के नियम–10 में प्रावधान था । बोर्ड प्रषासन इन रजिस्टरों का रख–रखाव नियमानुसार करें व बजट प्रावधान से अधिक व्यय का पुनर्विनियोजन करवाया जाए ।
8.	पैरा 22	बैंक विवरणियों में ₹20963.75 रुपये की डेबिट प्रविष्टियों का पाया जाना ।

vof/k 1973&74

1.	पैरा 4(ए)	दिनांक 31.3.73 को अन्तिम शेष व दिनांक 1.4.73 को प्रारम्भिक शेष के अन्तर का मिलान नहीं किया गया है ।
2.	पैरा 16(ए)	मिडल परीक्षा के बंद होने के कारण बोर्ड कार्यालय के कार्य में कमी के कारण

		सर्टिफिकेट टाईप, चैकिंग, व अतिरिक्त समय भत्ता दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।
3.	पैरा 16 (बी)	पर्यवेक्षकों के गलत यात्रा भत्ता दावों को स्वीकृत करने पर कोई औचित्य स्पष्ट करने/कार्रवाई न करने बारे ।
4.	पैरा 16 (डी)	भराड़ी परीक्षा केन्द्र में डियूटी देने से सम्बन्धित दावा जो श्री रसील सिंह ने प्रस्तुत किया था, गलत तथ्यों पर आधारित था।
5.	पैरा 16 (एफ)	मिडल परीक्षा को संचालित करने के लिए जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के मानदण्ड निर्धारित किए थे लेखा परीक्षा को नहीं दिखाए गये ।
6.	पैरा 18–1	बोर्ड ने स्टॉफ कार प्रयोग के लिए न अपने नियम बनाए न ही हि0 प्र0 सरकार के नियम अपनाए हैं ।
7.	पैरा 18–2	प्राईवेट उदेष्य हेतु की गइ्र यात्राटों की वसूली नहीं की गई ।
8.	पैरा 19–ए	बार–2 अनुरोध करने पर भी allocated कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बहाल रखने से सम्बन्धित संचिका लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई।
9.	पैरा 20	बोर्ड कर्मचारियों के न तो भविष्य निधि खाते सही ढंग से बनाये गये हैं और न ही ब्याज दर व ब्याज राषि जो उनके खातों में क्रैडिट की है, बारे निर्णय लिया गया है।
10.	पैरा 21(ए से डी)	9/72 में संचालित परीक्षा से सम्बन्धित मांग शीटस, भुगतान अभिलेख, वाऊचर व प्रवेष पत्रों को बेचने सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया ।
11.	पैरा 21–ई	पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से सम्बन्धित संचिका लेखा परीक्षा को न दिखाए जाने बारे।
12.	पैरा 22	न तो कैष बुक में अवधि जनवरी, 1972 से आगे पाई गई त्रुटियों का समाधान किया गया न ही जनवरी, 1973 के बाद मासिक समाधान विवरणी तैयार की जा रही है।
13.	पैरा 23	गुणन चिन्ह चैकों की वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें न लेने के कारण स्पष्ट किए गए न ही वास्तविक रसीदें न लेने के आदेष दिखाए गए।
14.	पैरा 24	सर्विस स्टैम्प लेखा में अवधि 6/72 से 3/73 तक पाई गई विसंगतियों का कोई समाधान नहीं किया गया तथा ₹37864.35 रुपये की स्टैंम्प विभिन्न बोर्ड शाखाओं को जारी की गई दर्षाई है जबकि इनकी खपत के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।
15.	पैरा 25	बोर्ड निधि से सम्बन्धित बैंक खातों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थानान्तरित नहीं किए गए।
16.	पैरा 26	वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर पूर्ण रूप में तैयार नहीं किए गए हैं। दोनों रजिस्टर अब पूर्ण रूप में तैयार किए जाए व बजट से अधिक किए गए व्यय को पुनर्विनियोजन किया जाए।
17.	पैरा 27	बोर्ड के लेखा का तुलना–पत्र तैयार नहीं किया गया जिसे तैयार किया जाए ।
18.	पैरा 28	निवेश रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया है।

vof/k 1974&75

1.	पैरा 10	5155 व 1485 विभिन्न कक्षाओं के प्रवेष फार्म विक्रय करने के ऐवज में प्राप्त राषियों का क्रैडिट विवरण बोर्ड निधि में नहीं पाया गया।
2.	पैरा 11	वर्ष 1969 से 1973 तक मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को रददी के रूप में न बेचने बारे।
3.	पैरा 14–1	मैट्रिक मार्च, 1974 की परीक्षा में शाहपुर केन्द्र में दूसरा उप अधीक्षक नियुक्त करने का उत्तरदायित्व न निर्धारित करने बारे।
4.	पैरा 14–2	यात्रा भत्ता राषि ₹82.90 व ₹78 रुपये जो अनियमित तौर से क्रमषः श्री रत्न चन्द अधीक्षक व श्री अषोक कुमार को अदा की गई थी की वसूली नहीं की गई है।
5.	पैरा 14–3	मै0 षिमला टाईपराईटर से जो किराये पर टाईपिंग मषीन ली गई थी के पूर्जों को

		नुकसान पंहुचाने के ऐवज में रूपये ₹29.25 का उत्तरदायित्व न निर्धारित करने बारे।
6.	पैरा 12	पंजाब यूनिवर्सिटी से आए कर्मचारियों द्वारा लिए गए गेहूं ऋण की वसूली वित्तीय वर्ष 1973—74 व 1974—75 में न करने तथा ऋण माफ की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से न लेने बारे।
7.	पैरा 15	नजदीक स्थानों से परीक्षाओं के संचालन हेतु स्टॉफ नियुक्त करने पर विचार न करने बारे।
8.	पैरा 16.	रोकड़ बही के अन्त शेष व बैंक पासबुक के अन्त शेषों का मिलान वर्ष 1974—75 के दौरान न करने बारे ।

vof/k 1975&76

1.	पैरा 9	न तो लेखों अभिलेखों के रख—रखाव, भुगतान, प्रचलन, अग्रिम समायोजन, उपयोगिता प्रमाण—पत्र के बारे में नियम निर्धारित किए गए थे न ही राषि ₹12,99,498.25 रुपये गोपनीय निधि में स्थानान्तरित करने का उपयोगिता प्रमाण—पत्र लेखा परीक्षा में दिखाया गया।
2.	पैरा 12—2	अनियमित रूप में अर्ध—वेतन अवकाष स्वीकृत करने के ऐवज में कोई वसूली नहीं की गई है ।
3.	पैरा 12—3	श्री आर.एस.सनौरिया उप—परीक्षक को ₹3 रुपये व 50 पैसे श्री बी0 आर0 शर्मा को किए गए अधिक भुगतान की वसूली न करने बारे।
4.	पैरा 12—4	डुपलिकेटिंग मषीन की मुरम्मत पर किए गए खर्च ₹230.40 रुपये की वसूली न करने बारे जबकि उक्त राषि का मै0 शौरी डुपलिकेटर द्वारा भुगतान किया जाना था।
5.	पैरा 12—5	₹21 रुपये की छूट जो मैसर्ज आजाद बुक दिल्ली द्वारा दी गई थी की हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित न करने बारे।
6.	पैरा 12—6	उपयोग में न लाए गए प्रषन—पत्रों जो पेपर—सैंटरों ने तैयार किए थे का निपटान न करने व राषि ₹9 रुपये जो श्रीमति कमला शर्मा उप—परीक्षक को की गई का औचित्य स्पष्ट करने बारे।
7.	पैरा 12—8	श्री मनोहर लाल ठाकुर का विवादित अतिरिक्त समय भत्ता की जांच न करने बारे ।
8.	पैरा 12—9	श्री के0के0 कपूर से यात्रा भत्ता दावों राषि ₹68.35 व ₹60.95 की वसूली न करने बारे।
9.	पैरा 12—10	श्री मोहन लाल मैहता को यात्रा भत्ता दावा राषि ₹65.20 की वसूली हरियाणा बोर्ड से न करने बारे।
10.	पैरा 12—11	त्रिवेणी भवन मालिक से पानी के बिल राषि का 25 प्रतिषत ₹68.53 रुपये की वसूली न करने बारे। पानी के बिल का भाग जो भवन खाली करने तक मालिक द्वारा वहन किया जाना था की गणना नहीं की गई है जिसे करने उपरान्त वसूली की जाए।
11.	पैरा 13—2	दसवीं / वरिष्ठ कक्षाओं की 500 प्रतियां पाठयक्रम विक्रय सम्बन्धी अभिलेख का प्रस्तुत न करने बारे ।
12.	पैरा 14	रोकड़ शेष का बैंक अन्तिम शेष के साथ समाधान न करने बारे।
13.	पैरा 16	बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकाषकों से प्राप्त Royalty का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।
14.	पैरा 17	पैरों में वर्णित भुगतानों के समर्थन में आवष्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
15.	पैरा 18	हि0 प्र0 सरकार के नियमों को बोर्ड कर्मचारियों के लिए यथावत लागू करने बारे।
16.	पैरा 19	अध्यापक कल्याण निधि में वर्ष 1975—76 से पूर्व कोई राषि जमा न करवाने बारे

		तथा वर्ष 1975–76 में इस निधि में अध्यापक व बोर्ड अंषदान राषि ₹28445.60 रुपये में सरकार से कोई अंषदान प्राप्त न करने बारे।
17.	पैरा 20	भविष्य निधि खातों, रोकड़ बही व व्यक्तिगत खातों का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे।
18.	पैरा 21	बोर्ड आय व व्यय के वर्गीकृत रजिस्टर न बनाने बारे तथा अनुमानित बजट प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय को Reappropriation करवाने बारे।
19.	पैरा 22	बोर्ड प्रषासन द्वारा वर्ष 1975–76 का तुलना–पत्र तैयार न करने बारे तथा सरकार को प्रेषित करने बारे।
20.	पैरा 23	बोर्ड द्वारा वर्ष 1972–73, 1973–74 व 1975–76 से सम्बन्धित निवेष रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे।

vof/k 1976&77
Hkkx&2

1.	पैरा 12–1	टाईप राईटर की मुरम्मत में ₹165.50 रुपये का पुर्जा जो गुम हो गया था को डलवाने का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे।
	पैरा 12–2	मैसर्ज आजाद ला बुक वाईडिंग जालन्धर के बिल राशि ₹3592 रुपये पर 1 प्रतिषत छूट यदि भुगतान समय पर किया जाता तो ₹35.92 रुपये की छूट का फायदा न उठाने बारे।
	पैरा 12–3	मै0 कर्म चन्द थाप्पर ब्रदर्स चण्डीगढ़ को समय पर भुगतान न करने के कारण ₹34 रुपये की छूट की हानि की वसूली बारे।
	पैरा 12–4	एक परीक्षक व पेपर सैंटर के प्रस्तुत दावों की जांच में जो पेपर उपयोग नहीं किए गए उनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख न दिखाए जाने बारे।
	पैरा 12–5	₹1904.68 रुपये के बिजली बिल बारे ।
	पैरा 12–6	उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई से सम्बन्धित किराये व भाड़े बिलों बारे।
	पैरा 12–7	बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाष अवधि का वेतन उनके पैतृक विभाग द्वारा किया जाना था परन्तु उनका भुगतान बोर्ड निधि से किए जाने बारे।
	पैरा 12–8	बोर्ड को ₹563.92 रुपये की हानि से बचाने बारे व आन्तरिक जांच सुदृढ़ करने बारे ।
	पैरा 12–9	बोर्ड द्वारा सीसल होटल का हिस्सा कार्यालय प्रयोगार्थ लेने के कारण बिजली के बिल के भुगतान बारे ।
2.	पैरा 13–1	बोर्ड के गठन से लेकर बोर्ड द्वारा अनेक प्रकार के टायर गाड़ियों के लिए क्रय किये जाते रहे हैं परन्तु उनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख को न दिखाये जाने बारे ।
	पैरा 13–2	बोर्ड द्वारा मुल्यांकित उत्तरपुस्तिकाटों की Disposals बोर्ड के गठन से लेकर न दिखाये जाने बारे ।
	पैरा 13–3	प्रवेश पत्रों की विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख न प्रस्तुत करने बारे।
	पैरा 13–4	बोर्ड कार्यालय द्वारा अनेक पुराने समाचार पत्रों की Disposal से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 13–5	बोर्ड द्वारा अनेक पत्रिकाएं भी लगवाई गई हैं परन्तु इनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

3.	पैरा 14	अध्यापक कल्याण निधि में अध्यापक बिलों से 1 प्रतिषत की कटौती व बराबर हिस्सा बोर्ड द्वारा डाला जा रहा है परन्तु बराबर हिस्सा सरकार से प्राप्त न होने बारे ।
4.	पैरा 15	बोर्ड द्वारा अनेक पत्रिकाएं भी लगवाई गई हैं परन्तु इनकी Disposal से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
5.	पैरा 16	शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष से आए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को राषि ₹1171.45 रुपये अवकाष वेतन की अदायगी बोर्ड निधि से की गई जबकि उक्त अदायगी का प्रत्यर्पण हिमाचल प्रदेष सरकार षिक्षा विभाग द्वारा किया जाना शेष है ।
6.	पैरा 17	आन्तरिक निर्धारण शुल्क पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा बोर्ड को न दिए जाने बारे।
7.	पैरा 18–ए	मुख्य/उप–परीक्षकों के फुटकर विपत्रों की, जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे ।
	पैरा 18–बी	बोर्ड की गाड़ी नं0 एच0पी0जी–3442 की मुरम्मत बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए करवाने बारे ।
8.	पैरा 19	रोकड़ बही के बैंक समाधान बारे ।
9.	पैरा 20	वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर बोर्ड अधिनियम–10 पाठ–5 अनुसार न रखने बारे ।
10.	पैरा 21	वर्ष 1976–77 का तुलना–पत्र न तैयार करने बारे ।

vof/k 1977&78

1.	पैरा 4	अंकेक्षण फीस की शेष राषि ₹3598.40 रुपये का सरकार खजाने के शीर्ष 065 में जमा न करवाये जाने बारे ।
2.	पैरा 12–ए	उत्तरपुस्तिकाओं की ढुलाई पर अनियमित रूप से खर्च की गई राषि ₹683.40 रुपये की वसूली न तो फर्म से न ही दोषी कर्मचारी से की गई।
	पैरा 12–बी	श्री आर0के0 मलिक (पूर्व सचिव) व श्री देवी राम चालक से निजि यात्रा करने के ऐवज में निर्धारित दर से वसूली न करना।
	पैरा 12–डी	मार्च व जून, 1977 में पेपर सैंटर द्वारा जो पेपर सैट किए थे, के निपटान बारे ।
	पैरा 12–ई	कोर्ट के निर्णय अनुसार कार्रवाई करके राषि ₹281.50 रुपये व ₹604.10 रुपये की ठेकेदार से वसूली करने बारे ।
	पैरा 12–एफ	श्री काला राम (पूर्व चपड़ासी) को दी गई छुटटी के वेतन की अधिक राषि की वसूली बारे ।
	पैरा 12–जी	श्री रोड़ा राम (चपड़ासी) को दिनांक 12.7.65 से 10.9.69 तक देय सेवा निवृति उपदान की राषि का पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 12–एच	अवधि 23.9.1977 से 20.10.1977 तक बिजली के बिल में सम्मिलित ओवरसियर खर्चे के रूप में ₹62.20 रुपये का विस्तृत विवरण बिजली विभाग से प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 12–आई	अध्यक्ष द्वारा बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार प्रिंसिपल गर्वनमैंट कालेज चम्बा को परीक्षा हाल की मुरम्मत हेतु दी गई ₹100 रुपये की अग्रिम राषि का समायोजन अभी शेष है।
	पैरा 12–जे	श्री विरेन्द्र कुमार, (क्लर्क) व श्री षिव चनण (क्लर्क) को देय निर्वाह भत्ते की नियमानुसार छः मास की अवधि पष्चात समीक्षा न करने तथा बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदो के स्केल व श्रेणी संख्या दर्षाने हेतु फलाई लीफ को तैयार करने बारे ।
	पैरा 12–के	टेलीफोन बिलों को सम्बन्धित अधिकारियों से सत्यापित न करवाना व निजि कॉल यदि कोई की गई थी पर खर्च राषि को बोर्ड निधि में जमा न करवाने बारे । टेलीफोन स्थानान्तरण पर खर्च की गई राषि ₹100 रुपये हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति लेने बारे ।

3.	पैरा 13	बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियेां को भूमि क्रय व गृह निर्माण हेतु बोर्ड निधि से अग्रिम/लोन राषि बारे यह प्रमाण देने, कि क्या उन द्वारा उक्त राषि का भुगतान लेने उपरान्त जमीन वास्तव में 3 महीने के भीतर खरीदी गई थी, का लिया जाना आपेक्षित है।
4.	पैरा 14	स्थानीय क्रय की गई वस्तुओं जिसका मूल्य दर सूची/टैण्डर किए बिना ₹100 रुपये से अधिक नहीं था यह सुनिष्चित करने के लिए कि वस्तु की कुल कीमत वर्ष भर ₹2000 रुपये से अधिक नहीं है के लिए अभिलेख तैयार न करने बारे ।
5.	पैरा 15–ए	बोर्ड के गठन से ही क्रय किए गए पुराने पहिए व टयूब के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
	पैरा 15–बी	भण्डारण की गई पुरानी अखबारों के निपटारे बारे अकेक्षण को न बताये जाने बारे ।
	पैरा 15–सी	प्रवास प्रमाण–पत्र व नाम बदलने हेतु ली गई फीस से सम्बन्धित अभिलेख अकेक्षण को न दिखाने बारे ।
	पैरा 15–डी	डप सचिव (परीक्षा) को जारी किए गए प्रवेष पत्र के निपटारे बारे न बताया जाना ।
	पैरा 15–ई	गुप्त निधि से एक अंगीठी, एक पतीला व एक कढ़ाई की कीमत सामान्य निधि को स्थानान्तरिण करने बारे ।
	पैरा 15–एफ	प्रतिनियुक्ति पर आए अध्यापकों को बोर्ड निधि से भुगतान की गई छुटटी के वेतन की राषि ₹2321.95 रुपये की षिक्षा विभाग से वसूली करने बारे ।
6.	पैरा 18	वर्ष 1977–78 से सम्बन्धित भविष्य निधि के लेखों का पूर्ण न होना ।
7.	पैरा 20	वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर को पूर्णतय तैयार नहीं करना। बजट से अधिक व्यय का नियमित रूप से पुनर्विनियोजन करना।
8.	पैरा 21	वर्ष 1977–78 के लिए बोर्ड के लेखों का तुलन पत्र तैयार न करना ।

vof/k 1978&79

1.	पैरा 4	अंकेक्षण फीस की शेष राषि ₹3598.40 रूपये का सरकारी खजाने में जमा न होने बारे ।
2.	पैरा 6	अप्रयुक्त अनुदान के शेष को न तो सरकार को वापिस किया गया न ही इसे अनुवर्ती वर्षों में उपयोग करने हेतु उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई ।
3.	पैरा 7	बोर्ड प्रषासन द्वारा वर्ष 1978–79 में इण्डियन बैंक में सावधि जमा के विरूद्ध ₹10,65,500 रुपये ऋण की राषि का कैष बुक में दर्ज न किया जाना ।
4.	पैरा 8	आय की बकाया राषि का विवरण लेखा शाखा में उपलब्ध न करवाने बारे ।
5.	पैरा 12–सी	बोर्ड प्रषासन द्वारा ₹14,51,750.00 रुपये का कागज खरीदने के लिए दी गई अग्रिम राषि का समायोजन न किया जाना ।
	पैरा 12–डी	विभिन्न उदेष्य हेतु कर्मचारियों/अधिकारियों को अनुमानित खर्चे का विवरण लिए बिना व आवष्यकता से अधिक अग्रिम राषि देना तथा उस राषि का न्यूनतम जरूरत के अनुसार सीमित न करने बारे कोई स्पष्टीकरण न देना ।
	पैरा 12–एफ	विभिन्न प्रकार के रजिस्टरों को तैयार न करने बारे ।
6.	पैरा 13–ए	सेवा पंजिकाओं के प्रारम्भिक पृष्ठों पर की गई प्रविष्टियां न तो अनुप्रमाणित है व न ही इन सेवा पंजिकाओं पर कर्मचारियों/ अधिकारियों के हस्ताक्षर लिए गए हैं। जिसे यथाषीघ्र किया जाना सुनिष्चित किया जाए ।
	पैरा 13–बी	इन तथ्यों की छानबीन न करना कि अधीक्षक पद को दिनांक 9.11.1976 से स्वीकृत वेतनमान षिक्षा विभाग में कार्यरत अधीक्षक के वेतनमान से अधिक तो नहीं है ।

	पैरा 13—सी	मकान किराया प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना तथा कर्मचारी जिन्हें बोर्ड द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद इन्हें मकान किराया भत्ता दिया गया परन्तु किराया वसूल करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
	पैरा 13—डी	कैन्टीन ठेकेदार से प्रतिभूति, किराया, पानी व बिजली के खर्चे की वसूली करने बारे ।
	पैरा 13—ई	श्री षिव राम ठाकुर (क्लर्क) व श्री सतीष ब्यास (क्लर्क) का बोर्ड की सेवा से त्याग पत्र देने उपरान्त उत्सव अग्रिम राषि, गर्म वस्त्र अग्रिम राषि व अंषदायी भविष्य निधि अग्रिम राषि की वसूली बारे अंकेक्षण को नहीं बताया जाना ।
	पैरा 13—एफ	अपेक्षित दस्तावेजों रोजगार, मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता को प्रस्तुत किए बिना ही श्री विरेन्द्र कुमार व श्री षिव चरण को गुजारा भत्ता देने तथा साथ ही इन कर्मचारियों से कोई ऋण/अग्रिम राषि तो देय नहीं है, प्रमाणित करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 13—जी	बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदों का वेतनमान, संख्याः व श्रेणी दर्षाने हेतु फलाई लीफ नहीं बनाए गए ।
	पैरा 13—एच	अंशदायी भविष्य निधि के एक लेन देन पष्चात मांग व वसूली रजिस्टर में अंतषेष का न निकाला जाना ।
	पैरा 13—आई	मासिक वेतन बिलों के साथ अनुपस्थिति विवरण का संलग्न न होना ।
	पैरा 13—जे	कर्मचारियों को नियमित छुटिटयों के दौरान वेतनवृद्धि देने का लाभ दिया जा रहा है जिसे कार्यग्रहण करने उपरान्त ही दिया जाना सुनिष्चित किया जाए ।
	पैरा 13—के	नियमित पदोन्नति आदेष जारी करने से पूर्व ही उच्च पदों का कार्यभार ग्रहण करने की प्रथा को समाप्त करने हेतु आवष्यक कार्रवाई करने बारे ।
	पैरा 13—एल	पंजाब यूनिवर्सिटी से आंबटित कर्मचारियेां के दोहरे छुटटी के खातों, एक अवधि 16.10.75 व दूसरी अवधि 17.10.75 से आगे एक ही छुटटी के खाते को तैयार न करने बारे ।
	पैरा 13—एम	श्री कमल नैन (क्लर्क) के अर्धवेतन अवकाष के खाते को सही तरीके से नहीं निकाला गया है । उकत कर्मचारी द्वारा दिनांक 22.5.1974 व दिनांक 27.9.1974 से 30.9.1974 तक लिया गया अर्धवेतन अवकाष को न तो उसके खाते से डेबिट किया गया है न ही अधिक भुगतान की गई राषि की वसूली की गई है।
	पैरा 13—एन	श्री सनतन सिंह (सहायक सचिव) का सरकार से प्राप्त छुटटी के वेतन का अंषदान जो उनके बोर्ड की सेवा में स्थाई तौर पर आमेलित होने पष्चात खाते में जमा करवाया जाना था बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
	पैरा 13—ओ	श्री आत्मा राम चौहान (क्लर्क) की कार्यग्रहण करने की तिथि व नियुक्ति आदेष जारी करने की तिथि में हुई विसंगति का समाधान करने बारे ।
	पैरा 13—पी	श्री तापिन्द्र सिंह, पूर्व बोर्ड अध्यक्ष से देय वसूल की जाने वाली राषि की न तो वसूली की गई है, न ही इसे बोर्ड निधि में जमा करवाया गया है ।
	पैरा 13—क्यू	बोर्ड कर्मचारियों से गर्म वस्त्र पर ब्याज की राषि की वसूली देय नहीं है बारे सुनिष्चित नहीं किया गया ।
	पैरा 13—आर	श्री ठाकुर सिंह व श्री ओमप्रकाष दैनिक भोगी मिस्त्री व बिजली मिस्त्री की प्रगति रिपोर्ट का बिलों के साथ संलग्न न करने बारे।
	पैरा 13—एस	श्री एल.आर. वैद्य (उप सचिव) के पक्ष में बकाया अग्रिम राषियों के समायोजन हेतु की गई कार्रवाई बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
7.	पैरा 14	दसवीं, हायर सकैण्डरी भाग—1 व भाग—2 की 1977, जून 1978, सितम्बर 1978

		की परीक्षाओं हेतु नियुक्त अकेले परीक्षक (Single Examiner) के प्रष्न पत्रों के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
8.	पैरा 15	केन्द्रीय अधीक्षक द्वारा बोर्ड को किए गए नुक्सान ₹192.20 रुपये की भरपाई हेतु कोई कार्रवाई न करना ।
9.	पैरा 16	बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने से पूर्व इन बिलों की सभी स्तरों पर उचित जांच न करने बारे ।
10.	पैरा 17	स्टाफ कार नियमों का सख्ती से पालन न करने व गाड़ियों का बारम्बार विभिन्न वर्कषाप में औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना मुरम्मत करने बारे ।
11.	पैरा 18	बोर्ड अधिकारियों द्वारा कार नं0 एचपीएस–1892 में की गई निजि यात्रा से सम्बन्धित वसूली बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
12.	पैरा 19	गाड़ी के पुराने व वेकार पहिये, अतिरिक्त पुर्जे जिन्हें स्टॉक में दर्ज किया जाना था के निपटारे बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
13.	पैरा 20	बोर्ड अधिकारियों द्वारा गाड़ी नं0 एचपीएस–342 में की गई यात्रा को न तो उन अधिकारियों द्वारा लॉग बुक में सत्यापित किया गया है न ही उसकी वसूली बारे लेखा शाखा को बताया गया है।
14.	पैरा 21	नवम्बर, 1978 में बाहन सं0 एचपीएस–1892 हेतु क्रय किया 320 लीटर पैट्रोल व उसका उपयोग करने उपरान्त शेष बचा 29 लीटर पैट्रोल को लॉग बुक में अगले महीने में नहीं उठाया गया व न ही 29 लीटर पैट्रोल की कीमत की वसूली करने बारे आवष्यक कार्रवाई की गई ।
15.	पैरा 22–2	मार्च 1977 में कक्षा दसवीं की साईस प्रैक्टिकल की परीक्षा के दौरान उपकरणों की टूट–फूट व उपयोग में लाए गए रसायन की कीमत बारे अनियमित रूप से किए गए दोहरे दावों बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 22–3	श्री अनिल कुमार दूबे सुपुत्र श्री फकीर चन्द दूबे का नवीं कक्षा का परीक्षा शुल्क ₹45 रुपये वापिस लौटाने हेतु दो बार प्रस्तुत किया गया, दावों का उत्तरदायित्व निर्धारित न करना ।
	पैरा 22–4	श्रीमति हिमेष कान्ता सुपुत्री श्री राम नाथ पाठक का नवीं कक्षा का परीक्षा शुल्क ₹45 रुपये वापिस लौटाने हेतु दो बार प्रस्तुत किए गए दावों बारे उत्तरदायित्व निर्धारित न करना।
16.	पैरा 23	मई 1977 की टी0टी0सी0 की प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु एक की अपेक्षा तीन परीक्षकों के दावे प्रस्तुत करने के कारणों बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
17.	पैरा 24–1	गवर्नमैंट हाई स्कूल बसदेहरा, जिला ऊना से मार्च, 1979 की आठवीं की परीक्षा हेतु देय बिलम्ब शुल्क ₹25 रुपये की वसूली न करने बारे ।
	पैरा 24–2	गवर्नमैंट हाई स्कूल सन्तोखगढ़ जिला ऊना आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु बिलम्ब शुल्क ₹5 रुपये प्रति उम्मीदवार के हिसाब से वसूल ने बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
	पैरा 24–3	गवर्नमैंट मिडल स्कूल बोहली, जिला सोलन से दिसम्बर, 1978 की आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु बिलम्ब शुल्क ₹5 रुपये प्रति उम्मीदवार के हिसाब से कुल ₹25 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 24–4	गवर्नमैंट मिडल स्कूल कुण्डलु, जिला सोलन से मार्च, 1978 की आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु बिलम्ब शुल्क रुपये ₹5 प्रति उम्मीदवार के हिसाब से कुल रुपये ₹70 की वसूली करने बारे।
18.	पैरा 25	आय से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।
19.	पैरा 29	विभागीय स्तर पर निष्पादन किए जा रहे निर्माण कार्य हेतु नियमों व

		औपचारिकताओं का पूर्ण न करने बारे ।
20.	पैरा 30	बोर्ड के उपगृह में रह रहे कर्मचारियों/अधिकारियों, कैंटीन ठेकेदार, पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा लिए जा रहे डिपोजिट कार्य हेतु उपयोग में लाए जा रहे पानी के खर्चों की वसूली न करने बारे।
21.	पैरा 31	निरीक्षक स्टॉफ (पर्यवेक्षकों) की नियुक्ति दूर दराज के क्षेत्रों के बेरोजगार लोगों में से करने पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की अदायगी करने पर मितव्ययता नियमों की अनदेखी करने बारे।
22.	पैरा 32	बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए भविष्य में परीक्षा संचालन हेतु दूर दराज के क्षेत्रों से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति न करने बारे ।
23.	पैरा 33	उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने व कुटेषन बुलाने से बचने के लिए क्रय करने हेतु आपूर्ति आदेषों को विभाजित करने बारे ।
24.	पैरा 34	बोर्ड प्रषासन द्वारा भण्डार में रखी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जाना ।
25.	पैरा 35	नियन्त्रक स्टोर, हि0 प्र0 सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भण्डारण की जाने वाली वस्तुओं का खुले बाजार से क्रय किए जाने बारे ।
26.	पैरा 36	कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिलों को सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु बोर्ड प्रषासन द्वारा प्रेषित किए गए नियन्त्रक अधिकारी के कार्यालय आदेष की प्रतिलिपि अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे ।
27.	पैरा 37–ए	श्री कृष्ण चन्द (क्लर्क) द्वारा केन्द्रीय अधीक्षक रामपुर को देय अग्रिम राषि के बैंक ड्राफ्ट के गुम हो जाने उपरान्त उस राषि का टी.एम.ओ. द्वारा भेजे जाने पर खर्च हुई राषि ₹12.80 रुपये की वसूली श्री कृष्ण चन्द क्लर्क से न करने तथा दोहरे भुगतान से बचने हेतु गुम हुए बैंक ड्राफ्ट को रदद् करने बारे कोई कार्रवाई न करना ।
	पैरा 37–बी	डैमरेज खर्चो के भुगतान बारे कोई उत्तरदायित्व निर्धारित न करना व न ही इन खर्चों की वसूली दोषी अधिकारी से करना।
	पैरा 37–सी	कर्मचारियों/अधिकारियों को जरूरत से ज्यादा अग्रिम राषि देने तथा उन द्वारा अव्यतीत शेष का देरी से जमा करने बारे।
	पैरा 37–डी	सचिव बोर्ड द्वारा डेमूरेज खर्चों की स्वीकृति वार्षिक आधार पर रुपये ₹25 तक ही दी जाती है । यह जानने के लिए कि वित्तीय वर्ष 1978–79 में इन खर्चों की स्वीकृति रुपये ₹25 से अधिक तो नहीं हुई है की जांच करने हेतु लेखों को तैयार नहीं किया गया है ।
	पैरा 37–ई	घटिया पुस्तकों के प्रकाषन उपरान्त बोर्ड प्रषासन द्वारा हिमाचल पब्लिकेषन कार्पोरेषन, लोटर बाजार, षिमला की न तो स्कयोरिटी जब्त की गई, न ही अनुबन्ध रदद किया गया व न ही उक्त फर्म पर कोई जुर्माना लगाया गया ।
	पैरा 37–एफ	केन्द्रीय अधीक्षक को आकस्मिक व्यय हेतु भेजी जाने वाली अग्रिम राषि को एकमुष्त न देकर किस्तों में एम0टो0 द्वारा भेजने पर हुए अतिरिक्त खर्चे के रूप में हुई हानि की न तो गणना की गई न ही इस बारे कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ।
28.	पैरा 38	प्रश्न पत्रों की देरी से हुई प्राप्ति पर हुए खर्च की न तो गणना की गई व न ही इससे दोषी से वसूले जाने बारे कोई विचार किया गया ।
30.	पैरा 39	चैस्ट (तिजोरी) बुक को तैयार न करने बारे ।
31.	पैरा 40	स्थाई अग्रिम राषि देने उपरान्त एच0पी0एफ0आर0 के नियम 2.8 (7) के अनुसार

		प्रमाण पत्र ने देने बारे ।
32.	पैरा 41	आय व व्यय रजिस्टर में बोर्ड द्वारा किए गये आर्थिक लेन देन का कार्यालय अध्यक्ष से अनुप्रमाणित न किया जाना ।
33.	पैरा 42	पिछले सात वर्षो से रोकड़ बही व बैंक विवरण का मिलान न करने बारे ।
34.	पैरा 43	वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर का पूर्ण रूप से तैयार न करने बारे ।
35.	पैरा 44	बोर्ड के लेखों का तुलन पत्र न तैयार करने बारे ।
36.	पैरा 45	उत्तरपुस्तिकाओं के मुलयांकन व उससे सम्बन्धित कार्य हेतु निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक यदि कोई भुगतान किया गया है से सम्बन्धित बांछित अभिलेख न दिखाया जाना ।
37.	पैरा 46	फर्म को कवर पेपर जारी करने उपरान्त चूंगी/ढुलाई के रूप में खर्च हुए ₹728 रूपये की वसूली उक्त फर्म से न करने बारे।

vof/k 1979&80

1.	पैरा 7	जरूरत से ज्यादा ऋण लेने की वजह से ज्यादा ब्याज दिया जाना जिससे बचा जा सकता था ।
2.	पैरा 8	प्राप्ति (आय) की बकाया राषि का विवरण बार–बार अनुरोध करने वावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया ।
3.	पैरा 12–बी	वर्ष 1979–80 के दौरान मुद्रण हुई पाठय पुस्तकों हेतु प्रकाषक/प्रैस को जारी किए गए वाईट प्रिंटिंग पेपर को खरीदने/प्रेषण बारे अधिकारियों/फर्म को दी गई अग्रिम राषि` ₹5000000 (पचास लाख) रुपये के समायोजन हेतु वांछित लेखों को अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 12–सी	अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमानित खर्चों का विवरण लिए बिना जरूरत से अधिक अग्रिम राषि जारी करने बारे ।
	पैरा 12–डी	अधिकतर रजिस्टरों का अच्छी हालात व पूर्ण रूप से तैयार न करने बारे ।
4.	पैरा 13–ए	सेवा पंजिकाओं का हि0 प्र0 वित्तीय नियम खण्ड 1 के नियम 7.14 के अनुसार तैयार व रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 13–बी	अस्थाई कर्मचारियों का छुटटी पर रहने के दौरान स्थानापन्न रूप में कार्य करने बारे प्रमाण पत्र व यह प्रमाण पत्र कि उक्त कर्मचारी सम्भवत उसी स्थान जहां से वह छुटटी पर गया है में हो सकता है को प्रस्तुत न करने व छुटटी की स्वीकृति देते समय अंकित न किए जाने बारे ।
	पैरा 13–डी	यद्यपि अधिनियम 1970 के नियम 4 अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों को हि0 प्र0 षिक्षा विभाग के वेतनमान प्रतिरूप ही वेतनमान दिया जाता है परन्तु उक्त नियम को संषोधित किए वगैर असिस्टैंट, सिनियर स्केल स्टेनोग्राफर चालकों को हि0 प्र0 सचिवालय के समान वेतनमान बारे ।
	पैरा 13–ई(1)	मकान किराया भत्ते से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना तथा कर्मचारी जिन्हें प्रषासन द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद इन्हें मकान किराया भत्ता दिया गया परन्तु किराया वसूलने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 13–ई (2)	दिनांक 6 व 7 जुलाई 1971 को हुई बोर्ड मींटिगं के प्रस्ताव नं0 20 को निष्प्रभावित करते हुए अध्यक्ष बोर्ड द्वारा एक्ट के सेक्षन 19.3 के अधीन दिनांक 11.9.80 को पारित आदेष अनुसार आंबटित (Allocated) कर्मचारियों को दिनांक1. 12.79 से बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ता दिया गया जिसे अंकेक्षण द्वारा अस्थाई तौर पर इस आष्य के साथ स्वीकार किया गया कि इस प्रकार से किए गए निर्णय को अगली बोर्ड मींटिंग में ले जाया जाए परन्तु इस बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
	पैरा 13–एफ	कोटषेरा भवन में चलाई गई कैन्टीन का किराया, पानी व बिजली के खर्चे,

		प्रतिभूति की वसूली कैन्टीन मालिक से करने बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
	पैरा 13–जी	श्री विरेन्द्र कुमार को उनके केस की समीक्षा किए बिना जो नियमानुसार निलम्बन के छः मास गुजर जाने उपरान्त की जाती है। गुजारा भत्ता दिया गया तथा साथ ही उससे वांछित प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए बिना उसे मकान किराया भत्ता व प्रतिपूर्ति भत्ता देना व उक्त कर्मचारी से ऋण/अग्रिम राषि की कोई वसूली नहीं है बारे कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 13–एच	संस्थापना जांच पड़ताल रजिस्टर का सही तरीके से तैयार व रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 13–आई	मांग व वसूली रजिस्टर तथा अग्रिम राषि रजिस्टर का उचित तरीके से रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 13–जे	कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित छुटियों के दौरान वेतनवृद्वि का लाभ दिया जा रहा है जिसे कार्यग्रहण करने उपरान्त दिया जाना सुनिष्चित किए जाने बारे ।
5.	पैरा 14	शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च, 1980 में मण्डी, हमीरपुर, पपरोला, सोलन में पुस्तक विक्रय केन्द्र खोलने उपरान्त वहां पर तैनात किए गए अधिकारियों को मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता का षिमला में देय इन भत्तों के प्रतिरूप दिए जाने बारे ।
6.	पैरा 17	शिक्षा विभाग की अधिकारी श्रीमति सुन्दरी अग्निहोत्री जो वेतनमान 1200–1700 पर कार्यरत थी की षिक्षा बोर्ड में असिस्टैंट सैक्रेटरी के पद पर प्रतिनियुक्त होने पर वेतनमान 700–1300 जो यू.जी.सी. वेतनमान व उन द्वारा लिए जा रहे वेतनमान से कम था दिया गया । परन्तु अंकेक्षण द्वारा बोर्ड प्राधिकारी से इस वेतनमान (1200–1700) को वैयक्तिक वेतनमान लेने हेतु सरकार व बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने बारे कहा गया । इस सम्बन्ध में सरकार से तो स्वीकृति ले ली गई परन्तु बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जानी आपेक्षित है ।
7.	पैरा 18	श्रीमति सुरेन्द्रा गुप्ता (क्लर्क) के पक्ष में स्वीकृत असाधारण अवकाष दिनांक 1.10. 79 व 2.10.79 हेतु दिये गए वेतन की वसूली न करने बारे ।
8.	पैरा 19	बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए भवनों, निर्माण कार्य, कैन्टीन हेतु उपयोग में लाए गए पानी के खर्चों की वसूली उपरोक्त से न करने बारे ।
9.	पैरा 20	रोकड़ बही व बैंक विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि इंडियन बैंक द्वारा कुछ ड्राफ्ट को बोर्ड खातों में जमा करने उपरान्त पुनः डेबिट किया गया । जो इन बैंक ड्राफ्टों का बैंक में अस्वीकार होना दर्षाता है। उपरोक्त ड्राफ्ट बारे पता लगाना व इनका बोर्ड खातों में जमा करवाने बारे लेखा परीक्षा द्वारा बार–बार, कहने उपरान्त भी कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
10.	पैरा 21	अप्रैल, 1979, मई, 1979 के व्यय रजिस्टर की जांच करने उपरान्त छात्रवृति के दोहरे भुगतान के रूप में दी गई राषि ₹3980.38 रुपये की वसूली दोषी कर्मचारी व छात्रों जिन्हें उक्त छात्रवृति का भुगतान किया गया है से न वसूल ने बारे ।
11.	पैरा 23	बोर्ड कर्मचारी श्री देवराज क्लर्क द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं को कल्पा टापरी बस द्वारा छोड़ने पर ₹103 रुपये व्यय आया जबकि बोर्ड की गाड़ी उसी दिन रामपुर के लिए परीक्षा सामग्री लेकर गई इस प्रकार समन्वय से कार्य न करने से बोर्ड निधि पर अनावष्यक बोझ पड़ने बारे ।
	पैरा 23–बी	परिस्थितियां जिस बजह से जून, 1979 में कुछ परीक्षा केन्द्रों में पुनः परीक्षा आयोजित की गई, बारे अंकेक्षण को न बताया जाना।
	पैरा 23–सी	नूरपुर सैंटर में दिनांक 18.9.1979 को आयोजित आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु ड्राईगं व पैंटिंग के प्रष्नपत्र को ले जाने के लिए श्री विनोद कुमार शर्मा, क्लर्क को भेजा गया। किन परिस्थितियों के कारण विषेष कर्मचारी को सिर्फ एक प्रष्न पत्र

		लेकर भेजा गया का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
12.	पैरा 24	सितम्बर, 1977 से सिसिल होटल षिमला के कमरा नं0 90 को ₹180 रुपयेप्रति माह किराये के हिसाब से पुलिस द्वारा जब्त की गई रददी का भण्डारण करने हेतु लिया गया जबकि नियमानुसार जब्त की गई रददी के भण्डारण का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग का है । इस प्रकार रूपये ₹180 प्रतिमाह के हिसाब से उपरोक्त किराये की प्रतिपूर्ति उक्त विभाग से करने बारे ।
13.	पैरा 25	मार्च, 1979 की दसवीं, हायर सकैण्डरी भाग–2 की परीक्षा हेतु नियुक्त किये गए अकेले परीक्षक एवम् पेपर सेंटर के प्रष्न पत्रों के निपटारे बारे कोई कार्रवाई न करना ।
14.	पैरा 26	मार्च, 1979, मार्च, 1980 की परीक्षाओं के संचालन के लिए केन्द्रीय अधीक्षक को आकस्मिक व्यय हेतु भेजी जाने वाली अग्रिम राषि का एक मुष्त न देकर किष्तों में देना तथा बहुत से स्थानों पर बैंकिंग सुविधा होने के बावजूद उक्त राषि का एम0टो0 द्वारा भेजने पर हुए अतिरिक्त खर्चे बारे आवष्यक पग न उठाना ।
15.	पैरा 27	दिनांक 1.1.78 से संषोधित वेतनमान देने पर श्री अषोक कुमार, क्लर्क द्वारा दिनांक 21.8.78 से 25.9.78 तक बकाया वेतन राषि हेतु बिल प्रस्तुत किया गया जबकि इस दौरान वह जांच आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर था, ऐसा उनकी निजि संचिका के अवलोकन करने पर पाया गया। हांलाकि अंकेक्षण द्वारा इस प्रकार दावा की गई अनियमित बकाया राषि का भुगतान नहीं किया गया। परन्तु भविष्य में आन्तरिक जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने बारे।
16.	पैरा 28	श्री सनतन सिंह का सरकारी सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थाई तौर आमेलित होने पर उनके खाते में जमा अर्जित अवकाष के वेतन की राषिका हिस्सा जो सरकार द्वारा देय है को सरकार से प्राप्त करने बारे ।
17.	पैरा 29	श्री बी. के. शर्मा, सचिव बोर्ड को दिनांक 3.7.78 से 24.4.79 तक स्थाई कमेटी की 59 बीं मीटिंग में भाग लेने हेतु रुपये ₹1475 शुल्क दिया गया । षिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार उक्त शुल्क के एक तिहाई भाग को सरकार की समेकित निधि में जमा करवाया जाना था। परन्तु सरकार को देय इस शुल्क बारे लेखा शाखा को अवगत नहीं करवाया गया।
18.	पैरा 30	सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों के छुटटी के वेतन का सरकार से न वसूल ने बारे।
19.	पैरा 32	मार्च, 1980 में आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा से सम्बन्धित रोल नं0 29702 से राषि ₹43.88 रुपये वसूल ने बारे ।
20.	पैरा 34	प्रथम क्लास न्यायिक मैजिस्ट्रेट ऊना के कोर्ट में दर्ज केस जिसमें बोर्ड पार्टी ही नहीं था में उपस्थिति देने हेतु श्री विपिन कुमार, क्लर्क को यात्रा भत्ता के तौर पर दी गई राषि ₹74.95 रुपये की वसूली उक्त कोर्ट से न करने बारे ।
21.	पैरा 35	कुमारी पूनम शर्मा, पुत्री श्री बाबू राम शर्मा को सितम्बर, 1978 की परीक्षा में फेल घोषित किया गया । उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच करने व अगली परीक्षा मार्च, 1979 में बैठने हेतु उन द्वारा बोर्ड खाते में ₹45 रुपये जमा करवाए गए । परन्तु उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच करने पर उन्हें पास घोषित किया गया। इस प्रकार उन द्वारा जमा करवाई गई राषि ₹45 रुपये वापिस लौटा दी गई। क्या परीक्षक/समीक्षक जिसने उक्त उत्तरपुस्तिका की जांच की व जो इतनी बड़ी गल्ती को न पकड़ सके पर कोई जुर्माना लगाया गया या नहीं इस बारे अंकेक्षण को कार्रवाई करने उपरान्त अवगत करवाये जाने बारे ।
22.	पैरा 36	रेमिंगटन इंडिया लिमिटिड चण्डीगढ़ को दी गई अग्रिम राषि रूपये संख्याः ई/जी–14/डी–3 द्वारा वापसी प्राप्त कर लिया गया है परन्तु इस राषि का वापसी की प्रक्रिया बारे बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

23.	पैरा 37	मैसर्ज बलासपुर इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली को 8 टन सफेद रियायती प्रिंटिंग पेपर की पूर्ति करने हेतु दी गई अग्रिम राशि ₹27690.40 रुपये की वसूली न करने बारे ।
24.	पैरा 40–ए	टेलीफोन नं0 2020 के बिल रुपये ₹2124 को पूर्व अंकेक्षण हेतु लेखा परीक्षा षाखा में प्रस्तुत किया गया परन्तु इससे पूर्व के बिल की न तो विस्तृत जानकारी व न ही बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया ।
	पैरा 40–बी	सचिव महोदय के आवास पर स्थापित टेलीफोन नं 3848 से निर्धारित सीमा से अधिक की गई कॉलज बारे स्पष्टीकरण न देना ।
	पैरा 40–सी	खर्चों की किफायत करने हेतु सरकार द्वारा दिए गए निर्देष अनुसार प्रत्येक टेलीफोन के लिए अधिकतम कॉल निर्धारित करने टेलीफोन खर्चों को कम करने व कुछ टेलीफोन नम्बर से एस.टी.डी. सुविधा समाप्त करने की आवष्यकता बारे कहा गया परन्तु इस बारे कोई पग उठाए प्रतीत न होने बारे ।
25.	पैरा 41	गाड़ी नं0 एचपीएस–1892 की दिनांक 4/78 से 3/79 तक की लॉग बुक जांच करने पर पाया गया कि उक्त गाड़ी का कई अवसरों पर निजि यात्रा करने हेतु उपयोग किया गया है। इस प्रकार की निजि यात्रा बारे वसूली की जानी आपेक्षित है परन्तु प्रषासन द्वारा इस बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
26.	पैरा 42	अध्यापक कल्याण निधि में वर्ष 1979–80 दौरान राशि ₹15566.90 रुपये का सरकार से प्राप्त न करने व उक्त राषि का बोर्ड निधि में जमा करने बारे कोई कार्रवाई न करना ।
27.	पैरा 43	सरकार द्वारा दिए गए निर्देष के बावजूद अतिरिक्त समय भत्ते को बन्द न करने बारे ।
28.	पैरा 44	किराए पर लिए गए भवन की मुरम्मत हेतु किए गए खर्चे की वसूली नगर निगम के बिल से न करने बारे ।
29.	पैरा 45	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना गाड़ियों की मुरम्मत सरकारी वर्कषाप की अपेक्षा अन्य वर्कषाप से करने व उक्त कार्य करने उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति लेना तथा लॉग बुक में यात्रा का उदेष्य अंकित न करने बारे अंकेक्षण को स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना ।
30.	पैरा 46	विभागीय स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्य हेतु व्यय अनुमान, तकनीकी स्वीकृति व प्रषासकीय अनुमान इत्यादि निर्माण नियमों की अनुपालना न करने बारे ।
31.	पैरा 47–ए	कोटेषन व उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति लेने से बचने हेतु क्रय आदेषों को विभाजित करने बारे।
32.	पैरा 47–बी	सरकार द्वारा प्राधिकृत फर्म व अनुमोदित दर ठेका के बावजूद बोर्ड का खुले बाजार से सामान खरीदने बारे कोई उचित पग न उठाना तथा न ही इस बारे सरकार से एन0टो0सी0 प्राप्त किया जाना बार।
33.	पैरा 48	भण्डार में रखे सामान का नियमानुसार समय–2 पर सत्यापन न करने बारे ।
34.	पैरा 49	यात्रा भत्ता दावा हेतु नियन्त्रक अधिकारी की घोषणा न करने बारे ।
35.	पैरा 50	यात्रा भत्ता दावों की अग्रिम राषि की जांच करने पर पाया गया कि कई स्थानों पर प्रष्न पत्रों के देरी से प्राप्त होने के कारण इन्हें दोवारा भेजा गया । इस कार्य हेतु कर्मचारियों को विषेष अतिरिक्त समय भत्ता भी दिया गया । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष चली आ रही इस अनियमित प्रथा पर हुए खर्च की गणना व दोषी से इसकी वसूली सुनिष्चित करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत न करवाया जाना ।
36.	पैरा 51	कैष शाखा द्वारा चैस्ट बुक न तैयार करने बारे ।
37.	पैरा 52	स्थाई अग्रिम राषि देने उपरान्त एच0 पी0 एफ0 आर0 के नियम 2.8(7) के अनुसार प्रमाण पत्र न देने बारे ।

38.	पैरा 54	वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर पूर्ण रूप से तैयार नहीं किए गए हैं बजट से अधिक व्यय का नियमित रूप से पुनर्विनियोजन किया जाना सुनिष्चित किया जाए ।
39.	पैरा 55	बोर्ड के लेखों का तुलन पत्र तैयार न करने बारे ।

vof/k 1980&81

1.	पैरा 8	दिनांक 31.3.81 तक ₹2,90,992 रुपये की प्राप्तियां बकाया होने बारे।
2.	पैरा 12–बी	कागज क्रय व कागज जारी करने से सम्बन्धित पूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत न करने बारे ।
3.	पैरा 14	डिपुओं में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता व पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता षिमला स्मतर का दिए जाने बारे ।
4.	पैरा 16	गाड़ी की लॉग बुक में पूर्ण व स्पष्ट प्रविष्टियां न करने बारे
5.	पैरा 18	कागज क्रय करने से सम्बन्धित परफोर्मा लेखा तैयार न करने बारे ।
6.	पैरा 20	बोर्ड में 28 स्वीकृत सेवादार के पदो के विरूद्व 146 दैनिक वेतन भोगी सेवादार रखे जाने बारे ।
7.	पैरा 25	कोटषेरा भवन में चल रही कैन्टीन के मालिक से प्रतिभूति, किराया, पानी व बिजली चार्ज़िज़ न लेने बारे ।

vof/k 1981&82

Hkkx&2

1.	पैरा 7	भवन निधि से लिए गए ऋण में से राषि ₹5,00,000 रुपये उक्त निधि को लौटाये जाने शेष।
2.	पैरा 8	दिनांक 31.3.82 तक ₹4,16,263 रुपये की राषि बतौर विभिन्न शुल्कों के रूप में वसूले जाने शेष।
3.	पैरा 12–बी	कागज क्रय का परफोर्मा लेखा तैयार न करने बारे तथा विभिन्न फर्मो को जारी कागज की कितनी कीमत वसूली जा चुकी है तथा कितनी शेष है ।
4.	पैरा 16	बोर्ड में 28 सेवादारों के स्वीकृत पदों के विरूद्व 120 दैनिक भोगी कर्मचारी नियुक्त करने बारे ।
5.	पैरा 20	राषि ₹42874 रुपये सेमीनार आयोजित करने के लिए चाय/दोपहर व रात्रि भोजन पर खर्च किए गए परन्तु उक्त राषि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बोर्ड को वापिस न लौटाने बारे ।
6.	पैरा 21	वितरित राषियों के अभिलेख न रखने बारे ।
7.	पैरा 22	नैतिक षिक्षा पर किए गए सैमिनार में ₹80,000 रुपये का व्यय करने बारे ।
8.	पैरा 25	बोर्ड प्रषासन द्वारा पेपर क्रय का परफोर्मा लेखा, प्रकाषकों को जारी कागज, कीमत जो प्रकाषकों से वसूल करनी थी, वसूली गई कीमत व कागज का अन्तिम शेष इत्यादि–2 तैयार न करने बारे ।
9.	पैरा 28	शिमला से बाहर डिपुओं में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता व सी.ए. की अदायगी षिमला स्तर पर किए जाने बारे ।
10.	पैरा 34	कोटषेरा भवन में चल रही कैन्टीन के मालिक से प्रतिभूति किराया, पानी व बिजली चार्ज़िज़ न लेने बारे ।
11.	पैरा 41	₹300 रुपये की राषि ए.डी.सी. षिमला को गेयटी थियेटर की बुकिंग के दिये गये जिसमें सैमीनार आयोजित करना था की स्वीकृति सरकार से लेने बारे ।

vof/k 1982&83

1.	पैरा 7–बी	भवन निधि से लिए गए ऋण में से राषि ₹500000 रुपये उक्त निधि को लौटाये

जाने शेष।

2. पैरा 8 आय की बकाया राषि ₹518397 रुपये को वसूल करने बारे।

3. पैरा 12—बी दिनांक 31.3.1983 तक दिए गये विभिन्न अग्रिमों की शेष राषि ₹1,66,68,164.87 रुपये समायोजन हेतु लम्बित होना ।

4. पैरा 13 491 डायरी मै0 अनेजा स्टेषनर्स, दिल्ली, 300 डायरी मै0 मुक्ता प्रिन्टर्ज अम्बाला से ₹3680.18 रुपये में मुद्रित करवाई गई। उक्त डायरी बोर्ड स्टाफ व मुख्याध्यापकों को जारी की गई। यह खर्चा रोका जा सकता था।

5. पैरा 14—ए मैसर्ज एस. चांद एण्ड कम्पनी को गणित भाग—1 व 2 की 25000 प्रतियों के मुद्रण हेतु कागज दिया गया परन्तु उसने केवल 6000 प्रतियां ही उक्त पुस्तक की आपूर्ति की इस प्रकार शेष कागज की वसूली किए बिना प्रकाषक को भुगतान जारी करने के कारण उक्त फर्म को अनावष्यक फायदा पंहुचाया गया है।

6. पैरा 14—बी मैसर्ज राज पाल एण्ड सन्ज दिल्ली से 478 कम आपूर्ति की गई पुस्तकों के कागज की कीमत बाजार दर से वसूल करने बारे ।

7. पैरा 15 हिमाचल दिवस व अध्यापक दिवस पर अखबारों में विज्ञापन प्रकाषित करवाने की स्वीकृति सरकार से लेने बारे ।

8. पैरा 17 बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत पर अत्यधिक खर्च करने बारे ।

9. पैरा 23—बी मैसर्ज हरिनाम कला पुस्तक भण्डार दिल्ली से ₹2600 रुपये कागज की कीमत की वसूली बारे ।

पैरा 23—डी विभिन्न प्रकाषकों से कागज की कीमत वसूल करने बारे ।

पैरा 23—ई विभिन्न प्रकाषकों को जारी कागज, वसूली गई कीमत, शेष कीमत व कागज के अन्तिम शेष का लेखा जोखा न रखने बारे।

10. पैरा 25—ए बोर्ड कर्मचारियेां को भवन निर्माण हेतु दी गई अग्रिमों के समर्थन में राषि उपयोगिता प्रमाण पत्र व रहननामा से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

11. पैरा 32 वितरित राषियों के अभिलेख न रखने बारे ।

¼II½ 15 o"kksZa ls vf/kd vof/k rd dh vfu.khZr iSjk dk fooj.k A

¼i½ vof/k 1983&84 ls 1992&93 rd

vof/k 1983&84

1. पैरा 7 वर्ष 1983—84 के दौरान आयोजित परीक्षाओं से ₹2,86,849 रुपये बतौर परीक्षा शुल्क वसूल जाने शेष हैं।

2. पैरा 10 पर्याप्त औचित्य स्पष्ट किए बिना अधिक दर से स्टेषनरी सामान खरीदने बारे ।

3. पैरा 17 बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत बारे ।

4. पैरा 19 हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराया से अधिक दर से किराये पर लिये गये भवनों की अदायगी करने बारे ।

5. पैरा 20 डिपो के लिए किराये पर लिये गये भवनों के किराया अदायगी के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अम्ल में न लाने बारे।

6. पैरा 21 बोर्ड कार्यालय षिमला से धर्मषाला स्थानान्तरित करने के कारण धर्मषाला में षिमला स्तर के मकान किराया भत्ता व सी.ए. की अदायगी बारे ।

7. पैरा 22 अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही, व्यक्तिगत खाता, निवेष रजिस्टर व अन्य अभिलेख तैयार न करने बारे ।

8. पैरा 26 अचल सम्पत्ति रजिस्टर व स्टाक व स्टोर की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट ऑडिट को न दिखाने बारे ।

bUliSD'ku ukV %& परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हि0 प्र0 षिमला दिनांक 22.5.1985 द्वारा निम्नलिखित पैरे अनिर्णीत हैं :—

	पैरा 1	अभी तक अनिर्णीत है ।
	पैरा 2	–यथोपरि–
	पैरा 3	–यथोपरि–
	पैरा 4	–यथोपरि–
	पैरा 5	–यथोपरि–
	पैरा 6	–यथोपरि–

vof/k 1984&85

1.	पैरा 7–ए	विभिन्न प्रयोजनों हेतु दी गई अग्रिम राषि ₹3,18,53,470.44 रुपये दिनांक 31.3.1985 तक असमायोजित होने बारे ।
	पैरा 7–बी	पुराने अग्रिम रजिस्टर से प्रविष्टियां नये अग्रिम रजिस्टर में उतारते समय गम्भीर अनियमितताओं/त्रुटियों का पाया जाना।
	पैरा 7–ई	बोर्ड कर्मचारियों द्वारा अन्य बोर्ड व कारपोरेषन में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय अग्रिम के समायोजन न करवाने बारे ।
	पैरा 7–एफ	प्रभारी सेल बुक डिपो ऊना द्वारा प्रस्तुत फुटकर अग्रिम राषि के समायोजन बारे ।
	पैरा 7–एल	सर्व श्री के.एल.गुप्ता, सरनदास व योगेन्द्र शर्मा से भवन निर्माण अग्रिमों की वसूली बारे ।
2.	पैरा 11	प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान हजारों रूपये की कीमत की पुस्तकें चम्बा डिपो में कम पाई जाने बारे ।
3.	पैरा 14	कैंटीन के ठेकेदार से किराया न वसूल ने बारे ।
4.	पैरा 15–बी	बिजली, टेलीफोन, पानी के कनेक्षन लेने से सम्बन्धित प्रतिभूतियों की अदायगी से सम्बन्धित रजिस्टर न लगाने बारे।
5.	पैरा 16	अध्यापको को मानदेय देने बारे ।
6.	पैरा 19–बी	भवन निर्माण व भूमि क्रय हेतु दी गई अग्रिम राषि के समर्थन में आवष्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 19–सी	कर्मचारियों से 3 प्रतिषत दण्ड स्वरूप ब्याज न वसूला जाना जब कर्मचारी भवन निर्माण/भूमि क्रय की किष्त समय पर जमा न करवा सके हैं ।
7.	पैरा 20	बोर्ड कर्मचारियों को ओवर टाईम अलाउंस के रूप में लगभग ₹1,86,000 रुपये की अदायगी की गई परन्तु बोर्ड अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को ₹1500 रुपये वार्षिक से अधिक का भुगतान न करने का प्रावधान था इस सम्बन्ध में आवष्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे तथा कर्मचारियों ने कार्यालय समय में क्या–2 कार्य किया का अभिलेख भी प्रस्तुत न करना ।
	पैरा 20–ए	मिडल परीक्षा परिणाम मार्च, 1984 को तैयार करने के लिए 40 पैसे प्रति छात्र की दर से ₹25,452.50 रुपये के भुगतान की स्वीकृति लेने बारे ।
	पैरा 20–बी	हायर सैकेण्डरी पार्ट–1 की परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए ₹7770 रुपये व ₹1243.10 रुपये किस आधार पर अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए गए ।
	पैरा 20–सी	मैट्रिक का परीक्षा परिणाम तैयार करने के एवज में बोर्ड कर्मचारियों को ₹10359 रुपये व ₹157.05 रुपये की अदायगी करने बारे ।
	पैरा 20–डी	श्री धर्म सिंह को राषि ₹114.65 रुपये का भुगतान मार्च, 1984 की परीक्षा से सम्बन्धित कट लिस्टें तैयार करने के लिए किये जाने बारे ।
	पैरा 20–ई	राशि ₹2750 रुपये व ₹1833.95 रुपये मिडल स्टैण्डर्ड परीक्षा मार्च, 1983 व दिसम्बर, 1983 को तैयार करने व पूर्ननिरीक्षण के फलस्वरूप की गई परन्तु बोर्ड कर्मचारियों द्वारा क्या–2 कार्य कार्यालय समय में किया से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।

	पैरा 20—एफ	रुपये ₹555 का भुगतान स्टैंसल इत्यादि तैयार करने के सम्बन्ध में किया गया ।
	पैरा 20—जी	श्री कुलदीप कुमार को स्टैंसल काटने का भुगतान स्वीकृत किया गया परन्तु जो कार्य उक्त कर्मचारी ने कार्यालय समय में किया का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।
	पैरा 20—एच	बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को राषि ₹465.60 रुपये स्टैंसिल टाईप करने व काटने के दिए जाने के समर्थन में कार्यालय समय में किए गए कार्य की सूचि प्रस्तुत न करने बारे ।
8.	पैरा 21	अशंदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही व अन्य अभिलेखें का सही रख—रखाव न करने बारे ।
9.	पैरा 22	कोर्ट मामलों से सम्बन्धित मुकदमा रजिस्टर का रख—रखाव न करने बारे ।
10.	पैरा 23	बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत पर अधिक राषि के खर्च करने व अन्य अनियमितताओं बारे ।
11.	पैरा 24—ए	टेलीफोन रजिस्टरों में पूर्ण प्रविष्टियां न करने बारे ।
12.	पैरा 25 (ए से एच)	बोर्ड निधि से किए गए व्ययों को किसी सीमा तक यदि सही समनवय व सही जांच की जाती तो रोका जा सकता था ।
13.	पैरा 26	पुरानी एक्साईज बिल्डिंग भवन की मुरम्मत करवाने में पाई गई अनियमितताओं बारे ।
14.	पैरा 27	₹1800 रुपये सैमीनार आयोजित करने पर किए गए व्यय को नियमों के प्रावधानों सहित संदर्भित करने बारे ।
15.	पैरा 28	जे.बी.टी. भवन के हाउस अैम्स के भुगतान राषि ₹3456 रुपये के बारे में ।
16.	पैरा 30—ई	पाठय पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं बेचने से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
17.	पैरा 31—ए	किराये पर लिए गए भवनों के किराया बिलों बारे ।
	पैरा 31—बी	श्री हरबंस लाल गर्ग के भवन को किराये पर लेने की स्वीकृति बारे ।
	पैरा 31—सी	बोर्ड कार्यालय के लिए धर्मषाला में विभिन्न भवनों को किराये पर लेने बारे ।
18.	पैरा 32	स्टोर भवन के निर्माण हेतु अध्यक्ष द्वारा ₹1,00,000 रुपये स्वीकृत कर लोक निर्माण विभाग को भेजा गया परन्तु उक्त कार्य के पूर्ण होने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।
19.	पैरा 33—ए से एफ	परीक्षा सामग्री को केन्द्रों तक पंहुचाने में बोर्ड द्वारा योजनाबद तरीके से कार्य न करने से अधिक खर्च करने बारे जिसे रोका जा सकता था।
20.	पैरा 34—ऐ से ई	स्टॉक/स्टोर क्रय करने से सम्बन्धित विभिन्न आडिट आपत्तियों बारे।
21.	पैरा 35	बिजली बिलों के भुगतान बारे ।
22.	पैरा 36	पानी बिलों के भुगतान बारे ।

vof/k 1985&86

1.	पैरा 14	रोकड़ बही में अन—वितरित कैष का विवरण न रखने बारे ।
2.	पैरा 15	बोर्ड द्वारा आय शाखा, कैषियर व सम्पर्क कार्यालय को जारी रसीद बुकों का अभिलेख न दिखाने बारे ।
3.	पैरा 18—ए	संस्थापना पड़ताल रजिस्टर का सही ढंग से रख—रखाव न करने बारे ।
	पैरा 18—बी	अनुपस्थिति विवरण के बिना वेतन व अंषदायी भविष्य निधि के अंषदान का अधिक भुगतान करने बारे ।
	पैरा 18—सी	सेवा निवृत श्री पूर्ण दत्त को वेतन व अंषदायी भविष्य निधि के अंषदान का अधिक भुगतान करने बारे ।

	पैरा 18–डी	बोर्ड कर्मचारियों के अवकाष के दो खाते खोलने बारे ।
	पैरा 18–ई	कर्मचारियों द्वारा देय कार्य ग्रहण समय से अधिक व्यतीत करने बारे ।
	पैरा 18–एफ	दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाषों का भुगतान करने बारे ।
	पैरा 18–जी	मानदेय के भुगतान बारे ।
	पैरा 18–एच	सचिव, श्री सी0आर0बी0 ललित से मानक किराया न वसूल ने बारे ।
	पैरा 18–आई	बोर्ड अधिकारियों को परिणित अवकाष स्वीकृत करने बारे ।
	पैरा 18–जे	पैरा में वर्णित अधिकारियों के अर्जित अवकाष भुनाने व उपदान राषि का हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी से लेने बारे ।
4.	पैरा 19	अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
5.	पैरा 20	कोर्ट मामलों से सम्बन्धित मुकदमा रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे ।
6.	पैरा 21	भूतपूर्व सचिव श्री एफ. मनमोहन से लोकल काल के ₹200 रुपये वसूल करने बारे ।
7.	पैरा 22–ए	सभी स्टाक स्टोर की वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे।
	पैरा 22–बी	स्टॉक रजिस्टर का सही रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 22–डी	स्टॉक/स्टोर व कैष को सम्भालने वाले कर्मचारियों से प्रतिभूति राषि का न लेना ।
	पैरा 22–ई	वर्दी सामग्री को पदोन्नति, पदच्युत व त्यागपत्र पर वापिस लौटाने बारे।
8.	पैरा 23–ए	कोटषेरा भवन की पानी व बिजली प्रतिभूति व अन्य प्रतिभूति राषियों को प्राप्त न करने बारे ।
	पैरा 23–बी	बिजली बिल की वसूली बारे ।
9.	पैरा 25–बी	बोर्ड की गाड़ियों की लाग बुक में की गई यात्रा का पूर्ण उद्वेष्य न लिखने बारे ।
	पैरा 25–सी	बोर्ड की गाड़ियों में की गई प्राईवेट यात्राओं की वसूली बारे ।
10.	पैरा 26–ए	मै. भारत ट्रेडर्स कोतवाली बाजार धर्मषाला से बिजली के पंखे खरीदने बारे ।
	पैरा 26–सी	स्टील अलमारियां बिना दर संविदा फर्म से खरीदने बारे ।
11	पैरा 27	नये साल के उपलक्षय में ₹1173 रुपये बोर्ड कर्मचारियों के मनोरंजन पर खर्च करने का औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट करने बारे।
12.	पैरा 28–ए	कुछ बोर्ड कर्मचारी नियमित तौर से अंक सूचियां अध्यापकों से एकत्रित करने के लिए तैनात किए जाते रहे, का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
	पैरा 28–बी	राशि ₹3395 रुपये स्लीप फार्म प्रिन्ट करवाने पर खर्च की गई परन्तु रजिस्टर की जांच में पाया गया कि उक्त फार्म प्रयोग नही ंकिए गए।
13.	पैरा 29–बी	₹450 रुपये को बैंक ड्राफ्ट नं0 422465 दिनांक 25.2.1978 जो गुम हो गया था का बोर्ड निधि में जमा करवाने बारे ।
	पैरा 29–सी	बोर्ड के अनुभाग अधिकारी श्री एल.सी. जोषी को केन्द्र अधीक्षक श्री एस.पी.शर्मा, केन्द्र भिवानी, मार्च, 1981 द्वारा ₹1000 रुपये दी गई अग्रिम राषि से शेष बची राषि को बोर्ड निधि में जमा करवाने के लिए दी परन्तु उक्त राषि का क्रैडिट बोर्ड निधि में नहीं पाया गया ।
14.	पैरा 30	अध्यापक कल्याण निधि बारे ।
15.	पैरा 31	मुख्यालय से 8 कि0 मी0 के दायरे में अध्यापकों को यात्रा भत्ता दिया जाना ।
16.	पैरा 33–बी	श्री जोगीदास, सहायक को भूमि क्रय हेतु ₹20,265 रुपये दिए गए परन्तु भूमि क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज ऑडिट को न दिखाने बारे ।
	पैरा 33–सी	श्री एफ. मनमोहन सिंह भूतपूर्व अतिरिक्त सचिव को दिए गए प्रतिनियुक्ति भत्ता की वसूली या नियमित करने बारे ।

	पैरा 33—डी	अध्यापकों को लाखों रूपये के किए गए भुगतानों की वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 33—ई	प्रतिभूतियों के कोई अलग लेखे व सम्पति एवम् देनदारियों के लेखे न रखने बारे ।

vof/k 1986&87

1.	पैरा 4—सी	रोकड़ शेष व बैंक शेष को मिलाने बारे ।
	पैरा 4—डी	शिक्षा बोर्ड के गठन से रोकड़ के अन्तिम शेष का मिलान बैंक के अन्तिम शेष न किए जाने बारे ।
	पैरा 4—ई	डिपो व षिमला की आय को रोकड़ बही में न लिए जाने के कारण बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति का परिलक्षित न होना ।
	पैरा 4—एफ	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 14—2 के अनुसार बोर्ड निधि की शुद्व बचत को सरकार को भेजने बारे।
2.	पैरा 8	अलग तिथियों को जरूरत से ज्यादा व उच्च ब्याज दर से ऋण लेने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
3.	पैरा 9	विभिन्न किए गए निवेषों का रिकार्ड उपलब्ध न करवाने बारे।
4.	पैरा 10—ए	रोकड़ शेष व बैंक शेष का मिलान बोर्ड के गठन से न करने बारे ।
	पैरा 10—बी	सामान्य रोकड़ बही में पाई गई त्रुटियों बारे ।
5.	पैरा 11—ए	₹1,13,648 रुपये की राषि विभिन्न परीक्षार्थियों से वसूली हेतु शेष होना।
	पैरा 11—सी	सम्पर्क कार्यालय षिमला की आय वर्ष 1986—87 के पोस्ट आडिट बारे ।
6.	पैरा 12	मांग और वसूली रजिस्टर का रख—रखाव सही ढंग से न करना।
7.	पैरा 13	अवितरित रोकड़ का हिसाब किताब न रखने बारे ।
8.	पैरा 14—डी	पुराने अग्रिम रजिस्टर की प्रविष्टियां नये रजिस्टर में करते समय गम्भीर अनियमितताओं / त्रुटियों बारे ।
	पैरा 14—ओ	श्री राज जी दास मुख्य परीक्षक, मार्च,1986 से ₹75 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 14—पी	श्री कांषी राम मुख्य परीक्षक मार्च, 1985 से ₹88.50 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 14—क्यू	श्री रणवीर सिंह पाल मुख्य परीक्षक मार्च, 1985 से 47/—रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 14—आर	केन्द्र अधीक्षक लाहाडू हरियाणा मैट्रिक मार्च, 1981 से ₹1162.65 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 14—डब्ल्यू	श्री गोपाल शर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट को हिसार कोर्ट में ₹500 रुपये अग्रिम जमा करवाने के लिए दिए गए थे परन्तु उक्त राषि अभी तक असमायोजित है ।
9.	पैरा 15—ए	संस्थापन पड़ताल रजिस्टर का सही ढंग से रख—रखाव न करने बारे ।
	पैरा 15—डी	अध्यक्ष के निजि सचिव व पी.ए. को, वाहन भत्ता नियमित अवकाष व प्रवास के दौरान दिए जाने बारे ।
	पैरा 15—ई	त्यौहार एडवांस का अनियमित तौर से अहरण एवम् वितरण ।
	पैरा 15—एफ	बोर्ड कर्मचारियों के दूसरे बोर्डों व कारपोरेषन में प्रतिनियुक्ति पर जाने की सेवा शर्तों बारे ।
	पैरा 15—एच	बोर्ड के सेवा निवृत कर्मचारियों के अर्जित अवकाष व उपदान राषि पंजाब यूनिवर्सिटी से वसूल ने बारे ।
	पैरा 15—एल	बोर्ड कर्मचारियों को राजधानी भत्ता दिए जाने की स्वीकृति बोर्ड से लेने बारे ।
	पैरा 15—एम	विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता की अदायगी राजपत्रित अवकाष के दौरान भी करने बारे ।
	पैरा 15—एन	बोर्ड कर्मचारियों को बिना बन्धक नामा के भवन निर्माण व भूमि क्रय हेतु अग्रिम दिया जाना व क्रय सम्बन्धित दस्तावेज न लेने बारे ।
	पैरा 15—ओ	बोर्ड कर्मचारियों को स्कूटर क्रय हेतु अग्रिम का दिया जाना परन्तु क्रय सम्बन्धित दस्तावेज न लेने बारे ।

पैरा 15–पी — गर्म कपड़े हेतु दिए गए एडवांस पर दण्ड स्वरूप ब्याज का न काटे जाने बारे ।

10. पैरा 18–ए — भविष्य निधि खाता की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे।
पैरा 18–बी — अंशदायी भविष्य निधि की वेतन से कटौती व वसूली की राषि का निधि में देरी से जमा करवाने बारे ।
11. पैरा 19–ए — मुकदमा रजिस्टर का न रखा जाना ।
पैरा 19–बी — ₹350 रुपये जो कोर्ट में जमा करवाए, वकील की फीस राषि व यात्रा भत्ता बिल राषि जो अनावष्यक रूप से बोर्ड को वहन करनी पड़ी, का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
12. पैरा 20 — बोर्ड के विभिन्न टैलीफोनों के रजिस्टरों का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे ।
13. पैरा 21 — तकनीकी षिक्षा बोर्ड की देनदारियों को बोर्ड निधि से भुगतान करने फलस्वरूप प्रत्यपर्ण बारे ।
14. पैरा 22–ए–2 — हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेषन कलकत्ता से 21 रिम कागज कम प्राप्त करने बारे ।
पैरा 22–बी–2 — पेपर क्रय, जारी व शेष का कोई लेखा–जोखा न रखने बारे ।
पैरा 22–सी — कागज क्रय के समायोजन बारे ।
पैरा 22–डी — कागज क्रय की स्वीकृति अध्यक्ष हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड से लेने बारे ।
15. पैरा 24–ए — स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
पैरा 24–बी — तीन बल्बो की कीमत की वसूली बारे ।
पैरा 24–सी — बोर्ड के गठन से लेकर सभी स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव करने बारे ।
पैरा 24–डी — स्टॉक/स्टोर की खरीद किफायती तौर से करने बारे ।
पैरा 24–ई — स्टॉक/स्टोर की खरीद साल में एक बार व न्यूनतम संविदाकार से करने बारे ।
पैरा 24–एफ — स्टोर की देख–रेख करने वाले कर्मचारी से प्रतिभूति राषि न लेने बारे।
पैरा 24–जी — लज प्रिन्टर्ज को किए गए भुगतान राषि ₹3330 व ₹5335 रुपये में पाई गई त्रुटियों बारे ।
पैरा 24–जे — बोर्ड की मैटाडोर गाड़ी की मुरम्मत पर ₹2200 रुपये खर्च करने की स्वीकृति अध्यक्ष से लेने बारे ।
16. पैरा 25 — बोर्ड कर्मचारियों की सेवा निवृति पर ₹1965 रुपये की राषि के उपहार बोर्ड निधि से देने की स्वीकृति सरकार से लेने बार।
17. पैरा 26 — बोर्ड में वाईडर होने के वावजूद वाईडिंग कार्य पर वर्ष 1986–87 के दौरान ₹89537.15 रुपये खर्च करने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
18. पैरा 28 — टी.ए./डी.ए. के रूप में अत्याधिक राषि का खर्च किया जाना जबकि इसे रोका जा सकता था ।
19. पैरा 29–ए से ई — विविध मामलों से सम्बन्धित ।
20. पैरा 30 — वार्षिक लेखा के सम्बन्ध में ।

vof/k 1987&88

1. पैरा 4–ए — डिपो खातों की पूर्ण आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ बही में न लेने के कारण प्राप्त आय के आंकड़े बैंक जमा राषि से मेल नहीं खाते ।

पैरा 4–बी — डिपो की आय को बोर्ड निधि में न लेना तथा कुछ व्यय सीधे तौर से डिपो खातों से कर दिया गया ।
पैरा 4–सी — रोकड़ शेष में 313.10 रुपये के अन्तर का मिलान करने बारे ।
पैरा 4–डी — बैंक शेष व रोकड़ शेष को मिलाने बारे ।

	पैरा 4–ई	रोकड़ शेष का मिलान बैंक शेष से न करने के कारण कई गलतियों, गवन व बोर्ड निधि के दुर्विनियोजन की सम्भावना हमेषा बनी रहना ।
	पैरा 4–एफ	वर्ष के दौरान प्राप्त आय व अन्तिम शेष की स्थिति जो वित्तीय स्थिति में दर्षाई गई है, बोर्ड की वास्तविक सही स्थिति को परिलक्षित न करना ।
2.	पैरा 9	विभिन्न निवेषों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत न करने बारे ।
3.	पैरा 10	बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार विभिन्न परीक्षार्थियों से ₹196947 रुपये बतौर परीक्षा शुल्क वसूले जाने शेष बारे ।
4.	पैरा 11–डी	पुराने अग्रिम रजिस्टरों से नये अग्रिम रजिस्टरों में प्रविष्टियां करते समय अनेक अनियमितताएं पाये जाने बारे ।
5.	पैरा 13–ए	बोर्ड की अंषदायी भविष्य निधि की देनदारी की जांच में अनेक त्रुटियों का पाया जाना ।
	पैरा 13–बी	सी.पी.एफ. खाता की रोकड़ बही का रख–रखाव न करना ।
6.	पैरा 16–सी	हिन्दुस्तान पेपर मिल्ज से 12 रिम (3 बण्डल) कागज कम प्राप्त होने की कीमत की वसूली करना ।
	पैरा 16–डी	पेपर के स्टॉक रजिस्टर का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे ।
7.	पैरा 18	श्री सी.आर.बी. ललित सचिव द्वारा नकल कमेटी में उपस्थिति के ऐवज में ₹1925 रुपये प्राप्त किए, की वसूली करनी शेष है ।
8.	पैरा 23–ए	बोर्ड की नई बिल्डिंग के कार्य में ठेकेदार द्वारा बोर्ड मीटर से बिजली लेने की वसूली प्रभावी करने बारे ।
	पैरा 23–ई	बोर्ड द्वारा लगाये गये विभिन्न समाचार–पत्र, मैगजीन व पत्रिकाओं के निपटान बारे ।
	पैरा 23–एफ	डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड लेखा में लेखंकित न करना एक गम्भीर कोताही का होना ।
	पैरा 23–जी	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।

vof/k 1988&89

1.	पैरा 4–ए	वर्ष 1988–89 में प्राप्त आय का बैंक के साथ मिलान न होना जिसके कारण डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड की आय में सम्मिलित न करना।
	पैरा 4–बी	डिपुओं की समस्त आय को लेखांकित न करना तथा सीधे व्यय कर लेना।
	पैरा 4–सी	रोकड़ शेष व बैंक शेष में 313.10 रुपये का अन्तर परिलक्षित होना।
	पैरा 4–डी	रोकड़ शेष को कभी भी बैंक शेष से मिलान करने का प्रयास न करना।
	पैरा 4–एफ	डिपुओं की समस्त आय को बोर्ड आय में सम्मिलित न करने पर बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति का आंकलन न होना ।
2.	पैरा–8	बोर्ड द्वारा जरूरत से ज्यादा का ऋण लेने बारे ।
3.	पैरा 9	बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों से किए गए निवेषों के रजिस्टर में पाई गई त्रुटियों बारे।
4.	पैरा 12	सम्पर्क कार्यालय षिमला की आय से सम्बन्धित ऑडिट के दौरान पाई गई विभिन्न आपत्तियां ।
5.	पैरा 14–ए	बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.1989 तक दी गई अग्रिम राषियों में से ₹6,56,35,116 रुपये समायोजन हेतु लम्बित बारे ।
	पैरा 14–बी	परीक्षा संचालन हेतु 31.12.1987 तक दी गई अग्रिम राषियों में से ₹10,66,008.50 रुपये अभी तक असमायोजित ।
	पैरा 14–डी	केन्द्र अधीक्षकों को जरूरत से ज्यादा की अग्रिम राषियों के दिये जाने बारे ।
	पैरा 14–एफ	विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों व बोर्ड सदस्यों को यात्रा भत्ता अग्रिम राषि में से ₹17378 रुपये का असमायोजित पाया जाना ।

	पैरा 14–जी	श्री सुमेर नाथ शर्मा अनुभाग अधिकारी को पुर्नमुल्यांकन हेतु दी गई ₹8500 रुपये की अग्रिम राषि का समायोजन शेष ।
	पैरा 14–एच	बोर्ड कर्मचारियों को जरूरत से ज्यादा के टी.ए. एडवांस का दिया जाना ।
	पैरा 14–आई	सेल बुक डिपो प्रभारियों को ₹3,45,379 रुपये की दी गई अग्रिम राष्यिों का समायोजन शेष है ।
	पैरा 14–जे	बोर्ड कर्मचारियों द्वारा ली गई अग्रिम राषियों में से शेष बची राषियों का अस्थाई तौर से दुर्विनियोजन करने बारे ।
	पैरा 14–एल	केन्द्र अधीक्षकों से अग्रिमों से शेष बची राषि के वसूली बारे ।
	पैरा 14–एम	बोर्ड द्वारा विभिन्न डिपोजिट वर्क्स हेतु दी गई अग्रिमों का समायेाजन शेष है ।
	पैरा 14–एन	बिजली बोर्ड को दी गई अग्रिम राषियों के समायोजन लेखे प्रस्तुत न करना ।
	पैरा 14–ओ	₹3537 रुपये की अग्रिम राषि दूरसंचार विभाग धर्मषाला को टेलीफोन पोल व लाईन बदलने के लिए दिए गए परन्तु समायोजन शेष है ।
6.	पैरा 17	अध्यापक कल्याण निधि बारे ।
7.	पैरा 19–ए	कागज क्रय से सम्बन्धित कागज प्राप्ति, कागज जारी करना व अन्तिम शेष इत्यादि–2 का अभिलेख प्रस्तुत न करना ।
	पैरा 19–बी	31 रिम कम पेपर प्राप्त करने की वसूली हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेषन से करने बारे ।
8.	पैरा 22–ए	पाठयक्रम कमेटी की मिटिंग में चायपान/भोजन पर खर्च ₹2043 रुपये की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेना ।
	पैरा 22–बी–2	₹126 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 22–सी	बहुत से मामलों में बिजली सामान की खरीद थोड़ी–2 मात्रा में गैर किफायती व्यवस्था से करने बारे ।
	पैरा 22–डी	डिपो आय का लेखा जोखा सही ढंग से न रखना ।
	पैरा 22–एफ	उत्तर पुस्तिकाओं/प्रष्न पत्रों को एकत्रित करने के सम्बन्ध में किए गए यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
	पैरा 22–एच	खुले बाजार से फर्नीचर खरीदने का औचित्य स्पष्ट करने बारे।
	पैरा 22–आई	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।

vof/k 1989&90

1.	पैरा 4–बी	रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹313.10 रुपये का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
	पैरा 4–सी	कैष बुक अन्तिम शेष का बैंक अन्तिम शेष से मिलान न करने बारे ।
	पैरा 4–डी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय को रोकड़ बही में न लेने बारे ।
2.	पैरा 9	निवेशों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण ऑडिट को न दिखाने बारे ।
3.	पैरा 10	कैष बुक का लेखा समाधान (रिकन्सीलेषन) न करने बारे ।
4.	पैरा 12–ए से जी	सम्पर्क कार्यालय षिमला की वर्ष 1989–90 की आय के पोस्ट ऑडिट दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे ।
5.	पैरा 13	मुख्यालय धर्मषाला के आय रजिस्टर में कम जमा राषि बारे।
6.	पैरा 14–डी	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि बारे ।
7.	पैरा 15	श्री राकेष कंवर वकील को मामला नं. 372 कु0 चन्द्रावती बनाम हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला के लिए ₹1500 रुपये का भुगतान ।
8.	पैरा 16	उड़न दस्तों के लिए टैक्सी को किराये पर लेने बारे ।
9.	पैरा 18	मार्च, 87 सितम्बर, 87, व मार्च 88 की परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप–परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।

10.	पैरा 19	विश्राम गृह की स्थापना पर ₹7407 रुपये के खर्च बारे ।
11.	पैरा 21	हि0 प्र0 सरकार से स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला की आवास कालौनी के लिए भूमि का अधिग्रहण करने बारे ।
12.	पैरा 22–4	स्कूटर एडवांस से शेष बची राषि को एक मुष्त जमा करवाने बारे ।
13.	पैरा 22–5	श्री सी.आर.बी.ललित, भूतपूर्व सचिव के प्रतिनियुक्ति की अवधि व शर्तों में आवास सुविधा बारे ।
14.	पैरा 22–6	श्री पी. पी. कटोच, सचिव को बोर्ड निषुल्क आवास सुविधा के मामले को हि0 प्र0 सरकार द्वारा अस्वीकृत करने बारे ।
15.	पैरा 24	माननीय षिक्षा मन्त्री द्वारा टैक्सी प्रयोग के भुगतान बारे ।
16.	पैरा 28	कागज के क्रय व उपयोगिता से सम्बन्धित अभिलेख को न दिखाने बारे ।
17.	पैरा 29–2	भण्डार सम्भालने वाले कर्मचारी से प्रतिभूति राषि न लेने बारे।

vof/k 1990&91

1.	पैरा 4–बी	कैष बुक व बैंक अन्तिम शेष में 313.10 रुपये का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
	पैरा 4–सी	वास्तविक प्राप्ति व वर्गीकृत प्राप्ति में ₹80 रुपये के अन्तर बारे।
	पैरा 4–डी	रोकड़ बही का बैंक के साथ लेखा समाधान (रिकन्सीलेषन) न करने बारे ।
2.	पैरा 8	बोर्ड स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया धर्मषाला से लिये गये ऋण बारे।
3.	पैरा 10	वर्ष 1990–91 के दौरान ₹2,45,870 रुपये विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क का वसूल किया जाना बकाया था।
4.	पैरा 11–बी	डिपाजिट वर्क्स हेतु दी गई अग्रिम राषि बारे ।
5.	पैरा 12–1	संस्थापना पड़ताल रजिस्टर का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे।
	पैरा 12–2	वेतन, मकान भत्ता व डी0ए0 इत्यादि बारे ।
	पैरा 12–3	वेतन बिलों के साथ अनुपस्थिति विवरण न लगाने बारे ।
	पैरा 12–4	स्कूटर एडवांस दिए जाने के बावजूद क्रय सम्बन्धित अभिलेख कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 12–5	एल.टी.सी / एच.टी.सी. अग्रिम धन की वसूली बारे ।
	पैरा 12–6	यात्रा भत्ता अग्रिम राषि की वसूली बारे ।
6.	पैरा 13	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि बारे ।
7.	पैरा 14	परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य / उप परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।
8.	पैरा 15–ए	उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
	पैरा 15–बी	माननीय उच्च न्यायालय की याचिका सं0 117, 1989 पर निर्णय के फलस्वरूप श्री चमन लाल सुपुत्र श्री चुनी लाल को ₹10,000 रुपये का भुगतान मैट्रिक की परीक्षा (3/81) का संषोधित प्रमाण पत्र जारी न करने बारे ।
	पैरा 15–सी	मुकदमा नं0 सी.डब्ल्यूत्रपीत्र 490/90 नीरज मदेक बनाम स्कूल षिक्षा बोर्ड जिसका निर्णय 14.11.90 को हुआ बारे ।
9.	पैरा 16	गाड़ी नं0 एच0पी0के0 2373 की मुरम्मत बारे ।
10.	पैरा 17	गाड़ी नं0 एच.पी.के. 2373 की मुरम्मत व अनुमान से अधिक व्यय का दायित्व निर्धारण करने बारे ।
11.	पैरा 18.	प्राईवेट वाहन में यात्रा करने के लिए वित्त विभाग द्वारा असहमति देने उपरान्त वसूली बारे ।
12.	पैरा 19.	विविध त्रुटियों बारे ।

vof/k 1991&92

1.	पैरा 4–ए	डिपुटों का पूर्ण आय बोर्ड की आय में गणना में न लिए जाने के कारण बैंक आय के साथ मिलान न होना ।
	पैरा 4–बी	रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में 313.10 रुपये का अन्तर परिलक्षित होना ।

	पैरा 4–सी	वास्तविक प्राप्तियों व वर्गीकृत प्राप्तियों में ₹42 रुपये के अन्तर बारे ।
	पैरा 4–डी	कैष बुक का बैंक शेष से मिलान न करने बारे ।
	पैरा 4–ई	पूर्ण वर्ष की प्राप्ति व दिनांक 31.3.92 का अन्तिम शेष का सही ब्यौरा बोर्ड कैष बुक में परिलक्षित न होने बारे ।
	पैरा 4–एफ	बैंक में जमा अमानत के तौर पर जो राषियां रखी गई थी उन पर ब्याज की राषियों को आय गणना में न लेने बारे ।
	पैरा 4–जी	गुप्त निधि के शेष को अन्तिम शेष में न लेना ।
	पैरा 4–एच	बैंक शेष व रोकड़ शेष में ₹9,45,620.53 रुपये का अन्तर ।
	पैरा 4–आई	अध्यापक कल्याण निधि की पृथक रोकड़ बही न रखने व बैंक से मिलान करने बारे ।
	पैरा 4–जे	अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी बारे ।
2.	पैरा 7	प्राप्त अनुदान राषि का विवरण खर्चे के अभिलेख सही ढंग से न करने बारे ।
3.	पैरा 8	बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए ऋण बारे ।
4.	पैरा 10–ए	वर्ष 1991–92 के दौरान ₹6,83,385 रुपये विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क का बकाया वसूल किये जाने बारे।
	पैरा 10–बी	बोर्ड की विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे ।
	पैरा 10–सी	कुल्लू तथा धर्मषाला डिपो से सम्बन्धित बैंक खाते में बैंक द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
	पैरा 10–डी	डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ बही में न लिया जाना।
	पैरा 10–ई	बेकार हो गई पुस्तकों को रददी के रूप में न बेचने बारे ।
	पैरा 10–एफ	समस्त विक्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा विभाग को कोई सूचनायें / दस्तावेज़ उपलब्ध न करवाने बारे ।
5.	पैरा 12–क	बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष तुलन पत्र तैयार करके ऑडिट को प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 12–ख (1 से 7)	लेखाओं का दोषपूर्ण प्रस्तुतीकरण बारे ।
	पैरा 12–बी (1 से 4) बी–2(1 से 4)	वार्षिक लेखों पर की गई टिप्पणियों बारे ।
6.	पैरा 13–क	निर्णीत ।
	पैरा 13–ख	बोर्ड कर्मचारियों को षिमला स्तर का आवास भत्ता दिए जाने बारे ।
7.	पैरा 16	भूतपूर्व सचिवों व वर्तमान सचिव को बिना किराये की आवास सुविधा प्रदान करने बारे ।
8.	पैरा 17–क	निशुल्क ब्याज के अग्रिम किराया भुगतान करने से बोर्ड निधि को होने वाली सम्भावित हानि बारे ।
	पैरा 17–ख	––––यथोपरि––––––
9.	पैरा 18.	श्री सीता राम चौहान जिला षिक्षा अधिकारी धर्मषाला द्वारा दोहरे भुगतान का बिल ऑडिट में प्रस्तुत करने बारे ।
10.	पैरा 19	बोर्ड की वाहन एच.आई.के. 222 द्वारा प्राईवेट यात्रा करने के ऐवज में वसूली करने बारे ।
11.	पैरा 20	गाड़ी नं0 एच.आई.के–63 की दुर्घटना के कारण मुरम्मत व बीमा कम्पनी से मुरम्मत की राषि के बराबर बोर्ड खाते में जमा करवाने बारे ।
12.	पैरा 21	सरकारी वाहनों के लिए पैट्रोल की खपत में बचत बारे ।
13.	पैरा 23	निर्णीत लम्बित राषियों की सूची नवीनतम पैरा में सम्मिलित है।
14.	पैरा 25	बोर्ड अध्यक्ष श्री एस.एस. सिद्धू द्वारा वितायुक्त (अपील) के बतौर किए गए प्रवास के दैनिक व यात्रा भत्ता खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार से किये जाने बारे ।
15	पैरा 26	परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य / उप परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।

16	पैरा 27	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि के बारे में ।
17	पैरा 28	यात्रा भत्ता बिलों का बिना जांच पड़ताल के लेखा परीक्षा शाखा में भुगतान पारित करने के प्रस्तुतीकरण बारे ।
18	पैरा 29–क	उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन बारे ।
	पैरा 29–ख	स्थल मूल्यांकन केन्द्र क्रमषः सोलन, ऊना पालमपुर तथा नादौन से सम्बन्धित फुटकर विपत्रों के अंकेक्षण बारे ।
19	पैरा 30	वैन द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की सामग्री ले जाने बारे ।
20.	पैरा 31	₹1,15,500 रुपये अग्रिम राषि के रूप में पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी गाईड रिडिंग जमा दो का भुगतान केन्द्रीय माध्यमिक षिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पक्ष में करने उपरान्त समायोजन लेखे प्रस्तुत न करने बारे ।
21.	पैरा 32	₹100 रुपये मुकदमें की स्थगन लॉग का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
22.	पैरा 33–क	₹3000 रुपये की अग्रिम राषि का विभागीय समिति की बैठक में चायपान व भोज इत्यादि के लिए अस्थाई तौर पर पारित किए जाने बारे ।
	पैरा 33–ख	सूचि रजिस्टर का रख–रखाव करने बारे ।
	पैरा 33–ग	बोर्ड की सम्पति एवं स्टॉक रजिस्टरों का प्रति वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाये जाने बारे ।
	पैरा 33–घ	परीक्षा कार्य के लिये नियुक्त अध्यापकों को उनके पारित पारिश्रमिक बिलों का भुगतान काफी समय बाद करने बारे ।
	पैरा 33–ड.	₹30 रुपये का व्यय रोकड़ बही में अधिक दर्ज किए जाने बारे।
	पैरा 33–च	किए गए भुगतान से कम राषि की प्राप्ति रसीदों का पाया जाना।
	पैरा 33–छ	राशियों के भुगतान होने की पुष्टि में आपेक्षित रसीदें प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 33–ज	––यथोपरि––
	पैरा 33–झ	पार्ट–टाईम दैनिक भोगियों के मस्ट्रोल में उनका पूरा पता व पिता का नाम का उल्लेख न किये जाने बारे ।
	पैरा 33–ट	बजट प्रावधान दर्षाये बिना ही भुगतान विपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने बारे ।
	पैरा 33–ठ	वर्ष 1991–92 की अधियाचना पर कोई कार्रवाई न करने बारे।

vof/k 1992&93

Hkkx&**II**

1.	पैरा 4(ए–1 से ए–5) (बी से आई तक)	वित्तीय स्थिति पर की गई टिप्पणियों बारे ।
2.	पैरा 7	हि0 प्र0 षिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे ।
3.	पैरा 8	बोर्ड द्वारा लिए गये ऋण पर किस ब्याज दर से गणना की गई बारे ।
4.	पैरा 9	कैष बुक का लेखा समाधान (रिकन्सीलेषन) न करने बारे ।
5.	पैरा 10–ए	वर्ष 1992–93 में ₹4,72,735 रुपये विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के कारण वसूल किए जाने शेष थे ।
	पैरा 10–बी व सी	बोर्ड के विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे ।
6.	पैरा 12	बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियां व तुलना पत्र तैयार न करने बारे ।
7.	पैरा 13–क	श्री धीरेन्द्र मोहिल सहायक (पदच्युत) से राषि ₹31634.45 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 13–घ	1.1.86 से 31.3.88 तक मकान किराया भत्ता की पहली तीन किष्तों की राषि को अस्थाई तौर पर पारित करने बारे ।
	पैरा 13–ड.	मूल नियम–35 के अधीन स्थानापन्न वेतन को प्रतिबन्धित न किये जाने के सम्बन्ध में ₹6,78,405/–रुपये की अदायगी की वसूली करने बारे ।
	पैरा 13–च	अग्रिम धन राषि के समायोजन बारे ।

	पैरा 13—छ	बोर्ड के कर्मचारियों को षिमला स्तर पर आवास भत्ता दिए जाने बारे।
8.	पैरा 14—क	विभिन्न अधिकारियों को मानदेय के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र में प्रति निरीक्षण ₹15 रुपये की दर से दोहरा भुगतान किए जाने बारे ।
9.	पैरा 17	भविष्य निधि पर ब्याज की गणना वर्ष 1985—86 से लेकर आज तक अर्द्धवार्षिक के स्थान पर वार्षिक आधार पर करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जाने उपरान्त भविष्य निधि खातों में ब्याज की वार्षिक आधार पर गणना न किए जाने बारे ।
10.	पैरा 18	यात्रा भत्ता बिलों का बिना जांच पड़ताल के लेखा परीक्षा शाखा में भुगतान पारित करने हेतु प्रस्तुतीकरण करने बारे ।
11.	पैरा 19—क	श्री एस. एस. सिद्धू अध्यक्ष हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड को यात्रा भत्ता बिल वित्तयुक्त अपील के तौर पर कार्य करने की अदायगी की राषि को हि0 प्र0 सरकार से प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 19—ख	अध्यक्ष श्री एस. एस. सिद्धू के अवधि 15.3.91 से 16.3.91 तथा 17.3.92 से 30.3.92 तक के यात्रा भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करवाने बारे ।
	पैरा 19—ग	श्री एस.एस. सिद्धू भा0 प्र0 सेवा भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वितायुक्त अपील हि0 प्र0 को टैक्सी चार्जिज़ राषि ₹750 रुपये के बराबर सरकार से अनुदान प्राप्त करने बारे ।
12.	पैरा 20	केन्द्र अधीक्षकों के विरूद्व बकाया अग्रिम राषि की वसूली बारे।
13.	पैरा 21	परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।
14.	पैरा 22—क	वार्षिक परीक्षा मैट्रिक मार्च, 1992 के प्रषन—पत्रों को टैक्सियों द्वारा भेजे जाने के कारण राषि ₹12115 रुपये का अनावष्यक व्यय बारे ।
	पैरा 22—ख	बोर्ड निधि से अनावष्यक व्यय बारे ।
	पैरा 22—ग	बोर्ड निधि में से अत्याधिक राषियां बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न परीक्षकों से विभिन्न परीक्षाओं से सम्बन्धित अंक सूचियां एकत्रित करने के लिए दी जाने बारे ।
	पैरा 22—घ	बोर्ड निधि के अस्थाई दुरूपयोग बारे ।
15.	पैरा 23—क	कोर्ट केस 170/91 विनोद कुमार सुपुत्र श्री होषियार सिंह बनाम स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला के सम्बन्ध में किये गये व्यय की वसूली दोषी अध्यापक से करने बारे ।
	पैरा 23—ख	वकीलों को किये गये अस्थाई भुगतान बारे ।
16.	पैरा 24—क	कम प्राप्त कागज का कलेम रेलवे विभाग से करने बारे ।
	पैरा 24—ख	अवधि 6/83 से पहले कागज से सम्बन्धित अभिलेख यथासत्यापित व पूर्ण रूप में ऑडिट को दिखाया नहीं गया है।
	पैरा 24—ग	कागज क्रय से सम्बन्धित अग्रिम राषियों का असमायोजित पाया जाना ।
	पैरा 24—घ	कागज क्रय की देनदारी ₹15,56,986 रुपये बनती है, के बारे में ।
	पैरा 24—ड.	उपरोक्त देनदारी से सम्बन्धित अभिलेख निगम के लेखाओं की प्रति प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 24—च	कागज क्रय/समायोजन बारे ।
	पैरा 24—छ	श्री सोहन सिंह प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला को अवधि 7/84 से 9.10.92 तक कागज के भाड़े, चूंगी तथा चढ़ाई उतराई व ढुलाई आदि के लिए दी गई अग्रिमों के समायोजन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं बारे ।

¼III½ 10 o"kksZ ls vf/kd vfu.khZr pys vk jgs iSjk dk fooj.k

¼i½ vof/k 1993&94 ls 1997&98 rd

vof/k 1993&94

1.	पैरा 4—ए	बैंक अन्तिम शेष तथा रोकड़ बही के अन्तिम शेष में ₹40,68,161.85 रुपये का

		अन्तर पाया जाना ।
	पैरा 4–बी	प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ का मिलान बैंक तालिकाओं से न किये जाने बारे ।
	पैरा 4–सी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय को बोर्ड की आय में सम्मिलित न करने बारे ।
	पैरा 4–डी	दिनांक 31.3.94 तक गुप्त निधि में जो अन्तिम शेष राषि ₹1,21,302.85 रुपये को गणना में लिये जाने बारे ।
	पैरा 4–ई	बैंक पास बुक तथा रोकड़ बही के अन्तिम शेष में ₹28,62,103.19 रुपये के अन्तर बारे ।
	पैरा 4–एफ	बोर्ड द्वारा अध्यापक कल्याण निधि की कोई पृथक रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 4–ट	सामान्य निधि से किये गये निवेषों का रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 4–ब	अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 4–स	अध्यापक कल्याण निधि के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।
2.	पैरा 7–ट	हि0 प्र0 सरकार के षिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान उसी प्रयोजन पर खर्च किया गया जिसके लिए स्वीकृत किया गया था से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 7–ब	––यथोपरि–––
3.	पैरा 9–ए	वर्ष 1990–91 से 1993–94 तक कुल ₹18,86,868 रुपये परीक्षा शुल्क बिलम्ब शुल्क के वसूल किये जाने शेष हैं ।
	पैरा 9–सी	बोर्ड के विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे ।
	पैरा 9–सी	विक्रय डिपुटों की ₹1,62,35,221.75 रुपये की राषि पर विभिन्न बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में कोई भी ब्याज का क्रैडिट नहीं दिया गया है ।
	पैरा 9–डी	नाहन एवं मण्डी विक्रय डिपु की आय पर बैंक ब्याज से ऑडिट विभाग बिल्कुल सहमत नहीं है ।
4.	पैरा 11	बोर्ड के वार्षिक लेखा व तुलन पत्र पर की गई टिप्पणियों बार।
5.	पैरा 12	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता एवं अन्य भत्ते प्रदान किये जाने बारे तथा ₹70 लाख के अधिक अनुचित भुगतान बारे ।
6.	पैरा 13	मूल नियम 35 के अधीन स्थानान्पन वेतन को प्रतिबन्धित न किये जाने के सम्बन्ध में ₹6,78,405 रुपये की अदायगी की वसूली करने हेतु ।
7.	पैरा 14–ए	परीक्षा संचालन सम्बन्धी अनियमित व्यय बारे ।
	पैरा 14–बी	केन्द्र अधीक्षकों से ₹19055.45 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 14–सी	परीक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्त अधीक्षकों/उपाधीक्षकों द्वारा 8 कि0मी0 की परिधि के अन्दर के यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 14–डी	स्थल मूल्यांकन प्रभारियों से वसूली करने बारे ।
	पैरा 14–ई	परीक्षकों, चैकिंग सहायक, मुख्य परीक्षक जो 8कि0मी0 परिधि के भीतर नियुक्त किए गये थे द्वारा दूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण यात्रा भत्ता की, की गई अदायगी की वसूली बारे ।
	पैरा 14–एफ	₹3475 रुपये की वसूली बारे ।
8.	पैरा 15–ए	मुद्रित पुस्तकों पर आर्थिक दण्ड के लिए तिथि निर्धारण हेतु नियमों की अस्पष्टता बारे ।
	पैरा 15–बी	मुद्रकों द्वारा मुद्रित की गई पुस्तकों के सैम्पल प्रतियों की सकन्ध प्रविष्टियों बारे ।

	पैरा 15–सी	मुद्रित पुस्तिका 'हम और हमारा देष' में पुनर्वलोकन करने वाले विषय विषेषज्ञ अध्यापक द्वारा पुनर्वलोकन के दौरान अनगिनत अषुद्वियों का अंगित न किया जाना ।
	पैरा 15–डी	पुनर्वलोकन करने बाले अध्यापकों द्वारा मुद्रित पुस्तकों में लेखकों द्वारा लिखित शब्दों में संषोधन/परिवर्तन किया जाना।

Hkkx&3

iLrd foØ; dUnk d vdk{k.k l lEcfU/kr A

1.	पैरा 2	प्रत्यक्ष सत्यापन में ₹8,55,810.35 रुपये की कम पाई गई पुस्तकों के बारे में ।
2.	पैरा 3	चार्ज लेते/देते समय ₹1,44,038.45 रुपये राषि की कम पुस्तकों के सौंपने के कारण बोर्ड निधि का दुर्विनियोजन बारे।
3.	पैरा 4	जिला षिक्षा अधिकारियों को आपूर्ति की गई पुस्तकों की राषि वसूलने बारे ।
4.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा पुस्तक विक्रय करते समय कम दर लगाने व अनियमित छूट देने के कारण ₹76,974.90 रुपये की कम राषि वसूल करने बारे ।
5.	पैरा 6	बेची गई पुस्तकों की राषि की अपेक्षा बैंक में कम राषि का जमा करवाया जाना ।
6.	पैरा 7	विभिन्न डिपुओं के स्टॉक रजिस्टरों की जांच करते समय डिपो प्रभारियों से ₹4,65,286.45 रुपये की वसूली बारे ।
7.	पैरा 8–क	एक डिपो से दूसरे डिपो को स्थानान्तरित पुस्तकों के बारे में।
	पैरा 8–ख–1	नाहन डिपो का रिकार्ड माह 6/90 से पहले अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान उपलब्ध न करवाये जाने बारे ।
	पैरा 8–ख–2	सोलन डिपो का रिकार्ड दिनांक 15.1.85 से पहले ऑडिट के दौरान उपलब्ध न करवाये जाने बारे इस अवधि में अनेक गंभीर अनियमिततायें गवन व घपले बोर्ड प्रषासन के ध्यान में पहले से ही हैं।
	पैरा 8–ग	पुस्तकों की स्थान्तरित मात्रा से कम पुस्तकें स्टॉक रजिस्टर में लेने के फलस्वरूप ₹105474 रुपये की राषि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होने बारे ।
	पैरा 8–घ	मुद्रकों द्वारा प्रत्येक विषय की कितनी मात्रा आपूर्ति की थी का रिकार्ड उपलब्ध न करवाने बारे ।
8.	पैरा 9	रददी बेचने पर प्राप्त आय का बैंक खातों/बोर्ड में जमा करन से सम्बन्धित रिकार्ड का प्रस्तुत न करना ।
9.	पैरा 10	स्टाक रजिस्टरों में अनुपयोगी/अप्रचलित/पाठ्यक्रम से बाहर पुस्तकों का काफी मात्रा में पाया जाना ।
10.	पैरा 11	निष्क्रिय/पाठ्यक्रम में तबदीली के कारण अनुपयोगी पुस्तकों को रददी के रूप में बेचने बारे ।
11.	पैरा 12	छूट प्रदान करने का बजट में प्रावधान न करने बारे ।
12.	पैरा 13	डिपो बैंक खातों पर दिये गये ब्याज को बोर्ड की मुख्य रोकड़ में न लेने बारे ।
13.	पैरा 14	डिपो के बैंक खातों से मुख्यालय को स्थानान्तरित राषियां बोर्ड के मुख्य खातों में यथावत जमा हो चुकी हैं से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट को उपलब्ध न करवाने बारे ।
14.	पैरा 15–क	स्टॉक रजिस्टरों के अनुसार प्रत्येक वर्ष बेची गई पुस्तकों की कीमत का विवरण बारे ।
	पैरा 15–ख	₹55,163.25 रुपये की राषि की पुसतकें चम्बा डिपो से भरमौर डिपो को स्थानान्तरित की गई परन्तु चम्बा डिपो के ऑडिट के दौरान भरमौर डिपो का

		रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया ।
	पैरा 15–ग	नाहन व सोलन डिपो के रिकार्ड के गुम होने बारे ।
15.	पैरा 16	अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से स्थानान्तरित की गई राषियों के बारे में।
16.	पैरा 17	डिपो व केन्द्रीय रिकार्ड के रख–रखाव बारे ।
17.	पैरा 18–क	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर में ₹89906.75 रुपये की कीमत की पुस्तकें जसूर में आई बाढ़ में बह गई दर्षाने बारे ।
	पैरा 18–ख	शिक्षा बोर्ड की ब्रांचों एवं अन्य व्यक्तियों की पाठ्य पुस्तकें बतौर सैप्लीमैंटरी जारी की गई जिनका मूल्य ₹9627.05 रुपये था परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आपेक्षित है ।
	पैरा 18–ग	डिपो कुल्लू की रोकड़ बही व बैंक शेष में ₹41007.50 रुपये के अन्तर बारे ।
	पैरा 18–घ	सभी डिपुटों की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट ऑडिट को उपलब्ध करवाने बारे ।

vof/k 1994&95

1.	पैरा 4–ए	गुप्त निधि के अन्तिम शेष ₹2,21,795.60 रुपये को अन्तिम शेष के रूप में न दर्षाने बारे ।
	पैरा 4–बी	रोकड़ के अन्तिम शेष व बैंक में पड़ी राषि के मध्य एक भारी अन्तर का परिलक्षित होना ।
	पैरा 4–सी	प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ का मिलान बैंक तालिकाओं से नहीं किये जाने बारे ।
	पैरा 4–डी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय बोर्ड की आय में सम्मिलित न करने बारे ।
	पैरा 4–ई	एफ.डी.आर. रजिस्टर को अंकेक्षण हेतु उपलबध न करवाने बारे।
	पैरा 4–एफ	अध्यापक कल्याण निधि की पृथक रोकड़ बही तैयार न करने बारे ।
2.	पैरा 7–ट	बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की वापसी उपदान राषि से करने बारे।
	पैरा 7–ब	प्राप्त अनुदान राषियों को केवल उन्हीं प्रयोजनों पर खर्च किया गया जिनके लिए स्वीकृत की गई थी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 9–ए	परीक्षा शुल्क के रूप में ₹6,07,243.00 रुपये दिनांक 31.3.95 तक वसूल करने शेष बारे ।
	पैरा 9–बी	केन्द्र अधीक्षकों द्वारा स्टे केस के रूप में प्राप्त शुल्क का बोर्ड कार्यालय को प्रेषित न किया जाना ।
	पैरा 9–सी	वर्गीकृत लेखा वर्ष 1994–95 पर की गई आपत्तियों बारे ।
	पैरा 9–डी	बोर्ड के समस्त पुस्तक विक्रय केन्द्रां की आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ बही में सम्मिलित न करने बारे ।
	पैरा 9–ई	विक्रय डिपुओं की ₹52,31,519.70 रुपये की राषि पर बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में कोई भी ब्याज का क्रैडिट न दिए जाने बारे।
	पैरा 9–जी	वर्ष 1994–95 के दौरान बेची गई पुस्तकों के सन्दर्भ में विक्रय शाखा से प्राप्त सूचना व तत्सम्बन्ध में लेखा शाखा–4 में विराधाभास बारे ।
	पैरा 9–एच	मार्च, 1994 व जून 1994 में हुई मिडल मैट्रिक एवं जमा दो की परीक्षाओं के परिणामों के गजटों की विक्री से प्राप्त आय बारे ।
3.	पैरा 10–2–बी	गुप्त निधि के अन्तिम शेष बारे ।
	पैरा 10–6	दिनांक 31.3.95 तक ₹2048345 रुपये मूल्य की डाक टिकटों का समायोजन करवाया जाना शेष ।
	पैरा 10–12	13.3115 मी0 टन कागज के प्राप्त न होने की कीमत रेलवे विभाग से वसूल करने बारे ।
	पैरा 10–12–ए–1	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के प्रभारियों को दी गई अग्रिमों के समायोजन बारे ।
	पैरा 10–12–ए–2	₹414 रुपये की राषि सम्बन्धित प्रिन्टर्ज से वसूल करके बोर्ड के खाते में जमा

		करवाने बारे ।
	पैरा 10–13–1	प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला व मैहतपुर के विरूद्व ₹430000 रुपये असमायोजित अग्रिम राषि बारे ।
	पैरा 10–13–2	श्री सोहन सिंह प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला को ₹222047.40 रुपये अग्रिम रूप में औरियन्ट पेपर मिल से कागज खरीद हेतु दिया गया व राषि का असमायोजित पाया जाना ।
	पैरा 10–13–3	श्री विजय कुमार प्रभारी, गोदाम मैहतपुर से अग्रिम राषि ₹13,06,290 रुपये के समायोजन लेखे प्रस्तुत न करने बारे ।
4.	पैरा 11	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
5.	पैरा 12	अंशदायी भविष्य निधि में उपलब्ध कुल राषि की तुलना में बोर्ड की देनदारी ₹38,37,483 रुपये अधिक होने बारे ।
6.	पैरा 13	हि0 प्र0 आवासीय बोर्ड से आवासीय कालोनी चीलगाड़ी में डुप्लेक्स भवनों के क्रय बारे ।
7.	पैरा 14–क	₹13074 रुपये का बकाया आवास भत्ता बिल की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा धारा 19(3) में देने उपरान्त बोर्ड का अनुमोदन न दिखाने बारे ।
	पैरा 14–ख	वेतन वृद्वि की गलत तिथि दर्षाने के परिणामस्वरूप श्री कंवर सिंह, व0 स0 को किये गए अधिक भुगतान की वसूली बारे ।
8.	पैरा 15	उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
9.	पैरा 16	स्टाक रजिस्टर का निर्माण/रख–रखाव बारे ।
10.	पैरा 17–ए	परीक्षा संचालन सम्बन्धी अनियमित व्यय बारे ।
	पैरा 17–बी	केन्द्र अधीक्षकों से ₹29125.95 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 17–सी	परीक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्त अधीक्षकों/उप अधीक्षकों से ₹652 रुपये की वसूली बारे ।
	पैरा 17–डी	नये व पुराने परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धन शुल्क की वसूली किये जाने बारे ।
11.	पैरा 18	विविध अनेक मामलों में मांगी गई सूचना का उपलब्ध न करवाया जाने बारे ।

vof/k 1995&96

1.	पैरा 4–ए–1	रोकड़ बही व बैंक शेष में ₹1,71,01,761.38 रुपये के अन्तर का परिलक्षित होना ।
	पैरा 4–बी	बोर्ड द्वारा लिये गये ऋण राषि का प्रयेाग तथा देय ब्याज का भुगतान स्वीकृत शर्तों के अनुरूप किया गया बारे ।
	पैरा 4–सी	वर्ष 1995–96 में पुस्तक विक्रय से प्राप्त राषि ₹4,11,01,393.84 रुपये में से ₹3,00,79,279 रुपये जो बोर्ड मुख्यालय को स्थानान्तरित किए गए ही बोर्ड की आय की गणना में लिये जाने बारे ।
	पैरा 4–डी	रोकड़ बही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमास मिलान न करने बारे।
	पैरा 4–ई	वर्ष 1995–96 से सम्बन्धित निवेष का रिकार्ड न दिखाये जाने बारे ।
	पैरा 4–एफ	गुप्त निधि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र बारे ।
2.	पैरा 7	प्राप्त अनुदान राषि से शेष बची राषि बारे ।
3.	पैरा 8–1	राषि ₹24,94,111 रुपये वर्ष 1994–95 तक परीक्षा शुल्क एवं बिलम्व शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष है ।
	पैरा 8–2	परीक्षा शुल्क की आय ₹307379 रुपये को अवर्गीकृत दर्षाने बारे।
	पैरा 8–बी–1	वित्तीय स्थिति की वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के उदेष्य से विभिन्न डिपो खातों में रखी गई राषियों को रोकड़ बही में सम्मिलित करने बारे ।
	पैरा 8–बी–2	कुल्लू डिपो द्वारा बैंक में जमा की गई राषि ₹26,19,294.45 के पेपर सम्बन्धित बैंक द्वारा ब्याज न दिये जाने बारे ।

	पैरा 8–बी–3	बैंकों द्वारा विभिन्न डिपुओं के खातों पर ब्याज न दिए जाने बारे।
4.	पैरा 9–1	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
	पैरा 9–2	गलत वेतन निर्धारण में सुधार व अधिक भुगतान हुई राषि की वसूली बारे ।
5.	पैरा 10–1	अंशदायी भविष्य निधि में कुल राषि की तुलना में बोर्ड की देनदारी ₹1,33,81,346.95 रुपये अधिक बारे ।
	पैरा 10–2	सी.पी.एफ. निवेष रजिस्टर का सही ढंग से न बनाया जाना ।
	पैरा 10–3	एन.सी.पी.एफ. कैष बुक व पासबुक ऑडिट में प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 10–4	टैक्सी किराये पर लेने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
6.	पैरा 11	2790 कि0मी0 टैक्सी षिमला में स्थानीय यात्रा के लिए चलाने का औचित्य स्पष्ट करने व दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई बारे ।
7.	पैरा 12–1	डिपाजिट वर्क्स के अन्तर्गत दी गई राषियों का असमायोजित पाया जाना ।
	पैरा 12–2	पारषियल सैल्फ फायनैंस स्कीम के अन्तर्गत निर्माणाधीन संजौली षिमला में 10 फलैट खरीदने हेतु अग्रिम राषि के बिल का अस्थाई तौर पर पारित करने बारे ।
8.	पैरा 14	वर्ष 1995–96 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
9.	पैरा 15	केन्द्र अधीक्षकों से ₹674 रुपये की वसूली बारे ।
10.	पैरा 16–1	मैसर्ज बीर भूमि प्रिन्टर्ज जालन्धर के 20 प्रतिषत बकाया बिलों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट नं0 326138 दिनांक 6.5.94 द्वारा किये जाने बारे।
	पैरा 16–2	ऋण / ब्याज वापसी बारे ।
	पैरा 16–3	स्टाक रजिस्टर का निर्माण / रख–रखाव बारे ।

vof/k 1996&97

1.	पैरा 6–ख	बोर्ड द्वारा प्राप्त नगद प्राप्तियों को बैंक में देर से भेजने बारे ।
	पैरा 6–ग	विभिन्न राषियों का बोर्ड निधि में बैंक क्रैडिट न बताया जाना।
2.	पैरा 9	वर्ष 1996–97 में ₹7,97,333 रुपये परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के वसूल किये जाने बारे ।
3.	पैरा 10–1	बोर्ड डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड आय में सम्मिलित न करने बारे ।
	पैरा 10–2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा प्राप्त आय पर बैकों द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
	पैरा 10–3	यह सुनिष्चित करने बारे कि बोर्ड ने सम्बन्धित बैकों से अन्य डिपुओं द्वारा जमा राषियों पर स्वीकृत दर पर यथोचित ब्याज प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 10–4	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
4.	पैरा 11–ए–1	ज्ञानालोक पत्रिका व ज्ञानालोक मासिक समाचार से सम्बन्धित आय व्यय अभिलेख जांच हेतु ऑडिट को अविलम्ब प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 11–ए–2	अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी की गणना करने हेतु रिकार्ड उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 11–ए–3	वर्ष 1996–97 की सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा संचालित बैंक खातों की बैंक विवरणियां प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 11–ए–4	पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा किये गये निवेषों का विवरण प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 11–ए–5	जे. बी. टी. प्रवेष परीक्षा की आय की जांच आवष्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण न किए जाने बारे ।
	पैरा 11–ए–6	जे. बी. टी. प्रारम्भिक प्रवेष परीक्षा 9 / 96 से सम्बन्धित रसीद संख्याः 37801 से 37850 तक ऑडिट में उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 11–ए–7	जे. बी. टी. प्रारम्भिक प्रवेष परीक्षा 9 / 96 के व्यय सम्बन्धी वाऊचर प्रस्तुत न करने

		बारे ।
	पैरा 11–ए–8	जिन बैंक ड्राफ्ट का क्रैडिट अभी तक बोर्ड कार्यालय को बैंक द्वारा नहीं दिया गया, की सूचि उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 11–ए–9	वर्ष 1996–97 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन की निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध न करवाने बारे ।
5.	पैरा 12–ए	वर्ष 1996–97 से सम्बन्धित कागज का लेखा जोखा न प्रस्तुत करने बारे ।
	पैरा 12–ए–2	श्री मस्त राम शर्मा, वरिष्ठ सहायक द्वारा ₹105000 रुपये की राषि की शासकीय डाक टिकटें क्रय हेतु ली गई अग्रिम राषि का असमायोजित रहने बारे ।
	पैरा 12–बी	बोर्ड प्रषासन द्वारा ₹50 हजार से कम मात्रा में पुस्तकें मुद्रण करवाने के फलस्वरूप बोर्ड को लगभग ₹1,22,760 रुपये की हानि होने बारे ।
6.	पैरा 13–क	वरिष्ठ सहायकों को ₹80 रुपये प्रतिमास विषेष भत्ता स्वीकृत किए जाने बारे ।
	पैरा 13–ख	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता का दिया जाना ।
	पैरा 13–ग	बोर्ड के 55 वरिष्ठ सहायकों का वेतन मूल नियम–35 के अधीन प्रतिबन्धित न करने व प्रषासनिक न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगन आदेष पर अन्तिम निर्णय बारे ।
7.	पैरा 15	राशि ₹978.50 रुपये की वसूली सम्बन्धित अध्यापकों से करने बारे।
8.	पैरा 17–क	श्री कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ सहायक से यात्रा भत्ता दावा अवधि 25.6.05 से 15.10.95 तक किए गए अधिक भुगतान की वसूली करने बारे ।
9.	पैरा 18	श्री कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ सहायक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अम्ल में लाने बारे ।
10.	पैरा 20	वर्ष 1996–97 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणी बारे ।
11.	पैरा 21–1	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड बनाम श्री जगदीष चन्द के मामले में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा बोर्ड को ₹50,000 रुपये तथा कोर्ट फीस जमा करवाने के आदेष दिए उक्त राषि बोर्ड में वापिस कर दी गई है अथवा नही, के बारे।
	पैरा 21–2	स्टाक रजिस्टर का निर्माण रख–रखाव बारे ।

vof/k 1997&98

Hkkx&2

1.	पैरा 3–ए–1	प्राप्तियों में ₹6,00,000 रुपये जो वर्ष 1995–96 में बतौर ऋण प्राप्त किये व ₹95,00,000 रुपये जो ऋण स्वरूप वापिस किए गए व्यय को आय व व्यय में न लेने बारे ।
	पैरा 3–ए–2	वर्ष 1997–98 में रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹2,86,88,660 रुपये के अन्तर का परिलक्षित होना ।
	पैरा 3–ए–3	रोकड़ बही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमास मिलान न करने बारे ।
	पैरा 3–बी	वर्ष 1995–96 से 1996–97 तक की बैंक विवरणियां बोर्ड प्रषासन द्वारा उपलब्ध न करवाने के कारण ऋण की लेन व देनदारी की पूर्ण समीक्षा न हो पाना ।
	पैरा 3–बी–ख	बैंक द्वारा अनाधिकृत रूप में बोर्ड से ₹5055.40 रुपये अधिक ब्याज ऋण पर चार्ज करने बारे ।
	पैरा 3–सी	वर्ष 1997–98 से सम्बन्धित निवेष अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आडिट दृष्टिकोण से जांच न हो पाना ।
	पैरा 3–डी	बोर्ड की सामान्य रोकड़ बही में डिपुओं की समस्त आय की अपेक्षा केवल स्थानान्तरित राषियों के लिये जाने बारे ।
2.	पैरा 5–ए	बोर्ड द्वारा सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों का हिसाब किताब बोर्ड मुख्यालय में न रखने बारे ।

	पैरा 5–बी	डिपुटों की आय से सम्बन्धित अधूरी सूचनाएं आडिट को उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 5–सी	दिनांक 29.3.95 को ₹18,00,000 रुपये का चैक षिमला बुक डिपो के बैंक खाता संख्याः 1129 से सीधा हाउसिंग बोर्ड षिमला को जारी कर दिया गया परन्तु इस राषि को वर्ष 1996–97 व 1997–98 की प्राप्तियों/भुगतान में नहीं लिये जाने बारे ।
	पैरा 5–डी	कुल्लू डिपो से चैक नं0 548403 दिनांक 6.3.98 व चैक नं0 722420 दिनांक 4.11.97 द्वारा क्रमषः ₹10,80,000 रुपये व ₹5,20,000 रुपये की राषि बैंक खाता संख्याः 714 के लिए स्थानान्तरित की गई परन्तु क्रैडिट उक्त विवरणी में न पाये जाने बारे ।
	पैरा 5–ई	डिपुओं से निवेष की गई राषियों का विवरण उपलब्ध न करवाने बारे।
	पैरा 5–एफ	वर्ष 1997–98 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन से सम्बन्धित निरीक्षण रिर्पोटें उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 5–जी	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की अवधि 1.4.97 से 31.3.98 तक की बैंक विवरणियां उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 5–एच	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 5–टाई	कुल्लू डिपो, मण्डी व षिमला डिपो द्वारा बैंक में जमा राषियों पर बैंक द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
	पैरा 5–जे	बैंक द्वारा कम ब्याज राषि दिए जाने बारे ।
3.	पैरा 6–क	गुप्त निधि से ₹655.60 रुपये की अनुपयुक्त शेष राषि को वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में न दर्षाने बारे ।
	पैरा 6–ख	वर्ष 1997–98 में पी.एन.बी. बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त हुई कुल राषि ₹17,47,082 रुपये की क्रैडिट प्रविष्टियां पी.एन.बी. खाता संख्याः 16825 की बैंक विवरणियों में न पाया जाना ।
4.	पैरा 7	प्राप्त अनुदान राषि स्वीकृत प्रयोजनों पर ही व्यय की गई बारे।
5.	पैरा 9	परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के रूप में वर्ष 1997–98 में ₹9,91,183 रुपये तथा वर्ष 1990–91 से 31.3.97 तक ₹40,88,777 रुपये वसूली हेतु शेष ।
6.	पैरा 10–क	जारी चैकों की डेबिट प्रविष्टियां बैंक खाता में न पाए जाने बारे।
7.	पैरा 11–क	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
	पैरा 11–ख	श्री ईष्वर दास शर्मा व श्री हरि चन्द के वेतन निर्धारण बारे ।
8.	पैरा 12	गैर उत्पादकीय व फजूल खर्च बारे ।
9.	पैरा 13	ऐच्छिक निधि से बोर्ड द्वारा स्वीकृत राषि से अधिक राषि का स्वीकृत किया जाने बारे ।
10.	पैरा 16	निर्णीत ।
11.	पैरा 17–1	अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी सी.पी.एफ. निधि के विरूद्ध ₹2,71,11,570 रुपये से अधिक होना ।
	पैरा 17–2	निवेश की राषि को परिपक्वता तिथि को न भुनाने बारे ।
	पैरा 17–3	सी. पी. एफ. खाते व अन्य खातों से किए गए निवेषों के रजिस्टर का उपलब्ध न करवाना ।
	पैरा 17–4	गैर अंषदायी भविष्य निधि की देनदारी एन.सी.पी.एफ. के विरूद्ध ₹44,91,803 रुपये से अधिक होना ।
	पैरा 17–5	सी. पी. एफ. व एन.सी.पी.एफ. खातों की कोई भी कैष बुक न रखने बारे ।
12.	पैरा 18	ज्ञानलोक पत्रिका व ज्ञानलोक मासिक समाचार से सम्बन्धित आय व्यय अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

13.	पैरा 20	कागज के लेखा जोखा बारे ।
14.	पैरा 21	बोर्ड द्वारा अधिकतर अभिलेखों को या तो रखा ही नहीं गया है या अधूरे रखे गये हैं, बारे में ।
15.	पैरा 22–4 व 7 तथा 8	निर्णीत ।
	पैरा 22	बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
16.	पैरा 23	श्री लाल बहादुर लिपिक व श्री प्रताप चन्द माली के यात्रा भत्ता बिलों बारे ।
17.	पैरा 24	श्री शमषेर सिंह चालक द्वारा प्राप्त अग्रिम राषियों के समायोजन बारे ।
18.	पैरा 25	राषि ₹11,000 रुपये की वसूली दोषी कर्मचारी व अधिकारी से करने बारे ।
19.	पैरा 26–क	बोर्ड के डैड स्टॉक को बेचने पर प्राप्त आय को बोर्ड निधि में समय पर जमा न करवाने के सन्दर्भ में ।
	पैरा 26–ख	मै0 इम्पिरियल प्रिटिंग प्रैस के0 बी0 धर्मषाला के मु0 ₹8000 रुपये के बिल बारे ।
20	पैरा 26–ग	मुद्रण नियम की बार–2 उल्लघंना करने बारे ।
	पैरा 26–घ	श्री अरविन्द कुमार सुमन से ₹309 रुपये की राषि वसूल करने हेतु बकाया ।
	पैरा 26–ड.	निर्णीत ।
	पैरा 26–च	स्टाक रजिस्टर के निर्माण व रख–रखाव बारे ।

¼IV½ 5 o"kkZ ls vf/kd vof/k rd vfu.khZr pys vk jgs iSjksa dk fooj.k

¼i½ vof/k 1998&99 ls 2002&03 rd

vof/k 1998&99

Hkkx&kk

1.	पैरा 4–ए	रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹97,89,418.72 रुपये के अन्तर का परिलक्षित होना ।
	पैरा 4–बी	ऋण प्राप्ति व भुगतान शर्तों बारे ।
2.	पैरा 6	आन्तरिक जांच सुदृढ़ करने बारे ।
3.	पैरा 7	निर्णीत ।
4.	पैरा 8	निर्णीत ।
5.	पैरा 9	निर्णीत ।
6.	पैरा 10–क	निम्नलिखित बैंक खातों में राषियों का क्रैडिट का न पाये जाने बारे । 1. पी.एन.बी.–II खाता सं0 2980 राषि ₹14,12,976 रुपये 2. एस.बी.आई –976 राषि ₹12,94,911 रुपये 3. पी.एन.बी.–1 खाता सं0 16825 राषि ₹1,09,833 रुपये
	पैरा 10–ख	आठवीं / दसवीं / जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं में सामूहिक नकल एवम अन्य अनियमितताओं के कारण पुनः ली गई परीक्षाओं के लिए प्रत्येक परीक्षार्थी से ₹25 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त करने से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट को न दिखाने बारे ।
	पैरा 11–क	बोर्ड की गाड़ियों की टैस्ट रन रिर्पोट बारे ।
	पैरा 11–ख	बोर्ड वाहन जिप्सी एच.आई.के.–222 की लॉग बुक की जांच बारे।
7.	पैरा 12	बोर्ड द्वारा मकान खरीदने बारे ।
8.	पैरा 13–ख	निर्णीत ।
9.	पैरा 14–ख	टैंडर प्रपत्र की सेल की राषि की जांच करने के उदेष्य से वांछित अभिलेख उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 14–ग	मैहतपुर गोदाम में रखे गये मुद्रण कागज का प्रत्यक्ष सत्यापन करने बारे ।
10.	पैरा 16	गत वर्षों में अंषदायी भविष्य निधि मे से किए गए समस्त निवेषों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत न करने बारे ।

11.	पैरा 17	हि0 प्र0 प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
12.	पैरा 18	प्रत्येक वर्ष हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के ऐवज में प्रापत राषियों व वसूली हेतु लम्बित राषियों का विवरण सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।
13.	पैरा 20–क	बिजली के सामान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर ऑडिट को उपलब्ध न करवाने बारे ।
14.	पैरा 21	वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
	पैरा 21–क(3 व 4)	निर्णीत ।
15.	पैरा 22–1	बिजली बिल बारे ।
	पैरा 22–2	लेखा शाखा द्वारा वर्ष 1996–97 व 1997–98 में ऑडिट द्वारा पारित करवाए गए बिलों का भुगतान न किये जाने बारे ।
	पैरा 22–4	तत्कालीन सचिव श्री आर.एस.नेगी से आंबटित डुप्लैक्स आवास टाईप–5 का किराया ₹140 रुपये प्रतिमाह की दर से वसूली बारे ।
	पैरा 22–5	निर्णीत ।
	पैरा 22–6	केन्द्र अधीक्षक केन्द्र ज्वाली (कांगड़ा) श्री मुलख राज से ₹89 रुपये की वसूली बारे ।
16.	पैरा 15	ज्ञानलोक पत्रिका एवं समाचार पत्र की आय व व्यय सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

vof/k 1999&2000

Hkkx&1

1.	पैरा 2–4	रोकड़ शेष तथा बैंक शेष के आंकड़ों में ₹93,19,653.51 रुपये के अन्तर बारे ।
	पैरा 2–ख	जिन–2 बैंक ड्राफ्ट का क्रैडिट बैंक द्वारा नहीं दिया गया उनका विवरण तैयार करने बारे ।
	पैरा 2–ग	रोकड़ बही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमाह मिलान न करने बारे।
	पैरा 2–घ	ज्ञानलोक पत्रिका के प्रकाषन से प्राप्त समस्त आय को रोकड़ व वार्षिक लेखा में सम्मिलित करने बारे ।
	पैरा 2–ड.	बैंक विवरणियों में से अत्याधिक राषियों के हस्तांतरण बारे ।
	पैरा 2–छ–2	सामान्य खातों में से किए गए निवेषों की प्रविष्टियां निवेष रजिस्टर में न किए जाने बारे ।
2.	पैरा 4–क	वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से ₹15,00,297 रुपये दिनांक 31.3.2000 तक वसूले जाने शेष थे ।
	पैरा 4–ख–1	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के प्रतिफल में शेष बकाया राषि की वसूली बारे ।
	पैरा 4–ख–2	वर्ष 1999–2000 के दौरान रोकड़ बही अनुसार ₹6,77,67,950 रुपये की राषि षिक्षा विभाग से प्राप्त की परन्तु यह किस वर्ष से सम्बन्धित थी अवगत नहीं करवाया गया ।
3.	पैरा 5	शिक्षा बोर्ड द्वारा गत कई वर्षों से अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।

Hkkx&2

1.	पैरा 3–2	ऋण राषि को बोर्ड के वार्षिक लेखा में भी ऋण प्राप्ति स्वरूप न दर्षाने बारे ।
	पैरा 3–3	लिये गये ऋण की स्वीकृति हि0 प्र0 सरकार से लेने बारे ।
2.	पैरा 4	'ज्ञानलोक' पत्रिका व ज्ञानलोक मासिक समाचार पत्र से सम्बन्धित आय/व्यय अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे व प्राप्त आय को वार्षिक लेखा में

		सम्मिलित करने बारे ।
3.	पैरा 5	निर्णीत ।
4.	पैरा 6	निर्णीत ।
5.	पैरा 7–1	अंशदायी भविष्य निधि/गैर अंषदायी भविष्य निधि में से ₹5,63,000 रुपये की राषि का सम्भावित दुर्विनियोजन बारे ।
	पैरा 7–2	₹563000 रुपये की राषि आहरित की गई परन्तु इस सम्बन्ध में आवष्यक वाऊचर/अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।
	पैरा 7–ख–1	अंशदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि खाते में जमा करवाई गई आहरित राषियों का मिलान बैंक विवरणी से गत कई वर्षों से नहीं किये जाने बारे ।
	पैरा 7–ख–2	बोर्ड कर्मचारियों के वेतन बिलों में से काटे जा रहे अंषदायी भविष्य निधि/गैर अंषदायी भविष्य निधि को बैंक खाते में देरी से जमा करवाए जाने के कारण ब्याज की हानि बारे ।
	पैरा 7–ख–3	अंशदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधियों में से किए गए निवेष के रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे ।
6.	पैरा 8	बैंकों में से भुगतान हेतु आहरित राषियों के भुगतान के सम्बन्ध में अभिलेख न रखे जाने बारे ।
7.	पैरा 9	वास्तविक भुगतानों की प्राप्ति रसीदें उपलब्ध न करवाने बारे ।
8.	पैरा 10	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मषाला में षिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
9.	पैरा 11	अध्यक्ष, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड को अतिथि सत्कार भत्ता के भुगतान के अतिरिक्त कार्यालय में चाय पान पर हुए व्यय के बिलों का बोर्ड निधि से भुगतान करने बारे ।
10.	पैरा 12	निर्णीत ।
11.	पैरा 13–क	कागज निर्गमित किये जाने के कारण इसके उपयोग खपत के सम्बन्ध में कोई भी रजिस्टर/दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 13–ख	पुस्तकों के आवरण हेतु मुद्रकों को बोर्ड द्वारा विभिन्न वर्षों में कवर पेपर जारी किया गया परन्तु उपयोग के सम्बन्ध में कोई भी रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
12.	पैरा 14	मै0 हिन्दुस्तार पेपर कारपोरेषन लिमिटेड द्वारा 799.4797 मि0 टन कागज की प्रेषित प्रथम खेप मेहतपुर गोदाम के स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्रविष्टियों का न दिखाये जाने बारे ।
13.	पैरा 15	अध्यक्ष बोर्ड के पक्ष में 1.12.99 से ₹3000 रुपये तथा 1.7.2000 से ₹2800 रुपये प्रति दो मास की दर से सरकारी आवासीय दूरभाष के बिलों का भुगतान करने बारे तथा अधिक राषि के भुगतान की वसूली बारे ।
14.	पैरा 16–क	अध्यक्ष स्कूल षिक्षा बोर्ड को निर्मित चिन्हित आवास की अपेक्षा प्राईवेट भवन ₹2200 रुपये प्रतिमास की दर से किराये पर लेने के औचित्य को स्पष्ट करने बारे ।
	पैरा 16–ख	अध्यक्ष स्कूल षिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई मुफ्त आवास सुविधा बारे तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करने बारे अन्यथा सम्पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित दरों से लाईसैंस फीस की कटौती करने बारे ।
15.	पैरा 17–क	निर्णीत ।
	पैरा 17–ख	डिपुटों के कार्य को दैनिक वेतन पर कार्यरत मजदूरों द्वारा निपटाए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने बारे ।
16.	पैरा 18	बैंकों में जमा करवाई गई विभिन्न चैकों/ड्राफ्टों इत्यादि की राषियों की बाद में बैंक द्वारा अनादरित (डिस्टोनर) करने बारे।

17.	पैरा 19.	निवेश रजिस्टरों का रख–रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
18.	पैरा 20–क	वर्ष 1999–2000 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्टें उपलब्ध करवाने बारे ।
	पैरा 20–ख	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
	पैरा 20–ग	स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापन करवाने बारे ।
19.	पैरा 21	अचल सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना ।
20.	पैरा 22	निर्णीत ।
21.	पैरा 23	बोर्ड द्वारा आवास बोर्ड से क्रय किए गए भवन किस–2 प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये जा रहे हैं, बारे में ।
22.	पैरा 24	स्थल मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई प्रभारियों द्वारा अलग–2 दरों से करवाए जाने बारे ।
23.	पैरा 25	अध्यापक कल्याण निधि में से किए गए निवेषों का विवरण प्रस्तुत करने बारे ।
24.	पैरा 26	निर्णीत ।
25.	पैरा 27	अंशदायी भविष्य निधि में से किए गए निवेषों बारे ।
26.	पैरा 28	गैस्ट हाउस के अगन्तुक रजिस्टर की जांच बारे ।
27.	पैरा 29	वर्ष 1999–2000 के दौरान षिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त ₹1,67,15,040.50 रुपये का क्रैडिट सम्भवतः बैंकों द्वारा न दिए जाने के कारण प्राप्त ब्याज की हानि उठाने बारे ।
28.	पैरा 30	स्कूल षिक्षा बोर्ड को विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न संचालित बैंक खातों में ₹26,72,140/–रुपये का कम क्रैडिट दिए जाने बारे ।
29.	पैरा 31	बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा करवाये गये ड्राफ्ट के क्रैडिट अत्याधिक देरी के पष्चात देने बारे ।

vof/k 2000&2001

Hkkx&k

1.	पैरा 2	रोकड़ शेष व बैंक शेष के अन्तिम शेषों में ₹47,46,233.64 रुपये के अन्तर की समाधान विवरणी तैयार न किया जाना ।
2.	पैरा 6	बोर्ड प्रषासन द्वारा परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क की कितनी–2 राषि प्रत्येक वर्ष विभिन्न परीक्षार्थियों से वसूली जानी शेष है, का अधूरा अभिलेख रखा गया है । अतः 1.4.2000 से पहले संचालित समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित शेष वसूली योग्य प्रवेष शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क की वसूली हेतु पूर्ण विवरण दिया जाए कि दिनांक 31.3.2001 तक उक्त सन्दर्भ में कितनी राषि वसूली हेतु लम्बित है ।
3.	पैरा 7	अवधि 1.4.2000 से पूर्व अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही न बनाने बारे ।

Hkkx&2

1.	पैरा 4–2	अंशदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि में से निवेषित राषियों पर विभिन्न बैंकों द्वारा ब्याज की गलत गणना से ₹1,17,875 रुपये की हानि से बचाव बारे ।
2	पैरा 5–1 से 22	वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2000 तक की परीक्षाओं से सम्बन्धित केन्द्र अवधारण एवं अतिरिक्त शुल्क और सेन्टर रिटेन्षन फीस की वसूली बारे ।
3.	पैरा 6	निर्णीत ।
4.	पैरा 7	आंशिक निर्णीत ।
5.	पैरा 8	निर्णीत ।
6.	पैरा 9	श्री जगदीष पुरी सेवा निवृत संयुक्त सचिव की उपदान राषि अवधि 11.2.1963 से 30.6.69 तक पंजाब विष्वविद्यालय से प्राप्त करने बारे ।
7.	पैरा 10	आजाद हिन्द फौज नेता जी सुभाष चन्द बोस की 1,00,000 प्रतियां व 80,000

		प्रतियां क्रमषः ₹16,25,000 रुपये व ₹16,64,000 नैषनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से क्रय की गई परन्तु उक्त पुस्तकें न तो दस जमा दो के पाठ्य क्रम में सम्मिलित थी न ही इन विषयों की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गइ्र थी जिससे इन पुस्तकों की विक्री बहुत कम हुई है ।
8.	पैरा 11—1	वर्ष 2000—2001 के दौरान स्टॉक में से मुद्रण हेतु जारी कागज के उपयोग एवम् आगामी निपटारे के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 11—2	इन्डैंट नं0 705 तथा 134 द्वारा जारी सीडा पेपर का वजन प्रति रिम/बण्डल दर्षाने बारे ।
	पैरा 11—3	दिनांक 31.3.01 को शेष दर्षाए गये कागज के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु पग उठाने बारे ।
9.	पैरा 12—1	₹2,62,602.50 रुपये की राषियां विभिन्न बैंकों की बैंक विवरणियों में बैंक कमीषन चार्जिज़, गलत क्रैडिट व बैंक ड्राफ्ट के वापिस किए जाने के फलस्वरूप डैबिट की गई है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिस कारण रोकड़ बही शेष व बैंक शेष में अन्तर चला हुआ है ।
	पैरा 12—2	राशि ₹134118 रुपये विभिन्न बैंकों के खातों को बैंक विवरणियों में डैबिट किए गए हैं परन्तु अलग—2 राषियों को डैबिट करने के समर्थन में कोई चैक जारी नहीं किया गया और न ही खर्च से सम्बन्धित वाऊचर लेखा परीक्षा में दिखाए गए।
10.	पैरा 16	वर्ष 2000—01 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन से सम्बन्धित निरीक्षण रिर्पोटें लेखा परीक्षा को उपलब्ध न करवाने बारे ।
11.	पैरा 17	स्टॉक/स्टोर का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना ।
12.	पैरा 18	अचल सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना ।
13.	पैरा 19—क	अंशदायी भविष्य निधि खाता के अन्तर्गत बोर्ड की दिनांक31.3.01 को कुल देनदारी ₹15,08,93,752 रुपये है जबकि इसके विरूद्ध कुल ₹14,60,14,016.97 रुपये की राषि निवेष, अन्तिम शेष व ब्याज के रूप में इस निधि के बैंक खाता में पड़ी है। इस प्रकार बोर्ड की उक्त खाते की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹48,79,735.03 रुपये अधिक है।
	पैरा 19—ख	इसी प्रकार गैर अंषदायी भविष्य निधि खाता के अन्तर्गत बोर्ड की कुल देनदारी ₹1,10,53,221 रुपये के विरूद्ध बोर्ड के पास उपलब्ध कुल राषि ₹93,00,696.48 रुपये है तथा बोर्ड की उपरोक्त खाता के अन्तर्गत देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹17,52,524.55 रुपये अधिक है।
	पैरा 19—ग	निर्णीत ।
14.	पैरा 20	माननीय प्रषासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा गिरधारी लाल तथा अन्य बनाम स्टेट के मामले के सम्बन्ध में पारित स्थगन आदेष संख्याः 12/94—890—दिनांक 9—2—94/19—2—94 जिसमें बोर्ड कर्मचारियों के मूल नियम—35 के अन्तर्गत वेतन नियतन किया गया था, के सन्दर्भ में ।
15.	पैरा 21	वर्ष 2000—01 तक जितना पुनः प्रवेष शुल्क मुख्य/उप परीक्षकों, केन्द्र अधीक्षकों व अन्य आदि से काटा गया पुनः प्रवेष शुल्क लेखा मद में हस्तांतरित किया जाना सुनिष्चित करने बारे।
16.	पैरा 22	बैंक ड्राफ्टों/पोस्टल आर्डरों के द्वारा प्राप्त आय की राषि ₹76,26,267 रुपये के क्रैडिट बारे ।

Hkkx&3

1.	पैरा 2	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के बचत खातों में से बोर्ड मुख्यालय को करोड़ों रूपये की

		हस्तांतरित राषियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
2.	पैरा 3	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत व कितनी–2 राषि इसके ऐवज में बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त की, का विवरण उपलब्ध न करवाने बारे ।
3.	पैरा 4	₹30,705.95 रुपये की राषि विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से पुस्तकों की वास्तविक कीमत से कम वसूल करने बारे ।
4.	पैरा 5	₹18,75,708 रुपये की कीमत की पुस्तकें स्टॉक में कम पाए जाने की वसूली बारे ।
5.	पैरा 6	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के कुछ एक पैरों में गम्भीर अनियमितताओं के मामलों में कोई कार्यवाही न करने बारे ।

o"kZ 2001&02

Hkkx&2

1.	पैरा 6	इन्डैन्ट नं0 308 दिनांक 13.11.2000 द्वारा मै0 परिहार प्रिटिंग प्रैस षिमला को 11. 3625 मिट्रिक टन कागज जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपये बनती थी उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु जारी किया गया परन्तु न तो प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं का विवरण ऑडिट को दिखाया गया न ही कागज की कीमत की वसूली सम्बन्धित फर्म से की गई।
2.	पैरा 7	इन्डैन्ट नं0 538,547 व 548 द्वारा 36 मिट्रिक टन कागज विभिन्न मुद्रकों को जारी किया गया परन्तु इस कागज को उपयोग करने बारे अभिलेख न दिखाये जाने बारे ।
3.	पैरा 8	सितम्बर, 1999 में मैट्रिक प्राईवेट की संचालित परीक्षा से सम्बन्धित डी.एण्ड.सी. शीटस की जांच में ₹2,12,478 रुपये की राषि परीक्षार्थियों से वसूली जानी शेष है या वसूली गई राषि के आगे दर्षाए गए कोड व रसीद संख्याः गलत दर्षाने बारे ।
4.	पैरा 13	निर्णीत ।
5.	पैरा 15	विभिन्न राषियां विभिन्न बैंकों की बैंक विवरणियों के अनुसार प्राप्ति के ड्राफ्ट की राषियां वापसी के कारण बैंक खातों से घटाई गई परन्तु न तो इन्हें रोकड़ बही से कम किया गया और न ही जमाकर्ताओं से वसूली की गई।
6	पैरा 16	निर्णीत ।
7.	पैरा 17	याचिका संख्याः ओ0ए0(डी0)66/94 गिरधारी लाल व अन्य बनाम स्टेट में ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 24.2.94 को उपरोक्त मामले में स्थगन आदेष पारित किए थे, के अन्तिम निर्णय को दिखाने बारे ।
8.	पैरा 18	बोर्ड के वाहन संख्याः एच.पी. 053–0777 अम्बैसडर कार की लॉगबुक की जांच बारे ।
9.	पैरा 19	बोर्ड के वाहन संख्याः एच.आई.के.222 जिप्सी की लॉग बुक की जांच बारे ।
10.	पैरा 24	हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्याः फिन (पी0आर.) (बी)(7)–1/98–111 दिनांक 3. 11.2001 द्वारा कलर्कों के केडर को 50:50 के अनुपात में मामला माननीय प्रषासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा रोक लगाने बारे ।

Hkkx&3

1.	पैरा 2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2.	पैरा 3	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के बैंक बचत खातों से माह के अन्त में स्थानान्तरण । राषियां स्थानान्तरण बारे ।
3.	पैरा 4	शिक्षा विभाग को उधार बेची गई पुस्तकों की बिक्री पर राषि ₹88454.75 रुपये की छूट अनियमित रूप से दिए जाने बारे ।

4.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन के अवधि 1/93 से 3/2000 तक अंकेक्षण में पैरा संख्याः 10 अनुसार ₹9530.50 रुपये की राषि की विभिन्न पुस्तकें बिना बिक्री विवरण के स्टाक रजिस्टरों से खारिज करने बारे।
5.	पैरा 6	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001 तक के पैरा 8 अनुसार ₹35877 रुपये की पुस्तकें गणना में कम लिए जाने बारे ।
6.	पैरा 7	पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहडू के अवधि 4/98 से 3/2001 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 5,5(I)(II) के अनुसार ₹1630 रुपये की कम वसूली बारे ।
7.	पैरा 8	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर के अवधि 4/98 से 3/2001 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 6(क) में दिए गए विवरणानुसार विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से अधिक वसूल की गई कुल ₹10780 रुपये की राषि को बाद में जारी किए गए कैषमैमों अनुसार प्रभारी द्वारा बोर्ड अधिकारियों से निर्देष प्राप्त किए बिना अपने स्तर पर ही समायोजित करने बारे ।
8.	पैरा 10	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर के विभिन्न पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टरों अनुसार कुल ₹97923 रुपये की राषि की पुस्तकें वास्तविक शेष से कम दर्षाई जाने बारे ।
9.	पैरा 11	पुस्तक विक्रय केन्द्र धर्मषाला के अवधि 4/98 से 3/2001 के पैरा सं0 3 अनुसार रोकड़ बही अनुसार शेष में ₹14189.90 रुपये का अन्तर पाया जाना ।

o"k 2002&03

Hkkx&1

1.	पैरा 2	राषि ₹78,55,511.05 रुपये के रोकड़ बही शेष व बैंक शेषों के अन्तर का मिलान करने बारे ।
2.	पैरा 6	निर्णीत ।
3.	पैरा 7	दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़बही का रख–रखाब न करने बारे ।

Hkkx&2

1.	पैरा 6	जे.बी.टी. की परीक्षा से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों एवं आई.पी.ओ. को बैंक में जमा करवाने जाने के सम्बन्ध में ।
2.	पैरा 7	श्री जगदीष चन्द ठाकुर, वरिष्ठ लिपिक से ₹11,08,986.48 रुपये की राषि के गवन/धोखाधड़ी एवम् अभिलेख सम्बन्धी अनियमितताओं के कारण वसूली जानी शेष है ।
3.	पैरा 8–क	भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी.एल.गुप्त को माह 4/2002 से उनकी कार्यभार मुक्ति की तिथि 31.5.2003 तक मूल वेतन ₹19100 रुपये से बढ़ाकर ₹19550 रुपये की दर से वेतन का भुगतान करने के सन्दर्भ में उनके पैतृक विभाग से वेतन वृद्धि आदेष प्राप्त करने बारे ।
	पैरा 8–ख	इसके अतिरिक्त अध्यक्ष स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला श्री चमन लाल गुप्ता के चार वर्ष पूर्ण होने उपरान्त वित्त विभाग (विनियमन) के डायरी संख्याः 845 फिन.सी.बी. (1) 5/94 दिनांक 24.9.02 के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति देय नहीं था, के बारे।
4.	पैरा 9	विभिन्न स्थल मूल्यांकन केन्दों के वर्ष 2003 के व्यय से सम्बन्धित समायोजन बिलों की जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों बारे ।
5.	पैरा 10	विभिन्न मुद्रकों को जारी कागज के खपत के अभिलेख न दिखाने बारे ।
6.	पैरा 11	निर्णीत ।
7.	पैरा 12	हि0 प्र0 इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेषन के कक्षा 8वीं तथा 10वीं की मार्च, 2003 के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु अत्याधिक स्टेषनरी उपयोग करने बारे ।

8.	पैरा 13	प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बारे ।
9.	पैरा 14	निर्णीत ।
10.	पैरा 15–क से ज	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित ऑडिट पैरों बारे ।
11.	पैरा 16	पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर के लिए ₹818 रुपये मासिक किराए का भवन छोड़कर ₹3345 रुपये मासिक किराए पर लेने बारे ।
12.	पैरा 17	पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा स्थाई अग्रिम राषि की रोकड़ बही बारे ।
13.	पैरा 18	निर्णीत ।
14.	पैरा 19	कोर्ट केस पूजा शर्मा बनाम सचिव, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड में ₹32632 रुपये का हर्जाना बोर्ड को डालने पर इस राषि के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
15.	पैरा 20	छात्र की उत्तरपुस्तिका के गुम होने सम्बन्धी मामले की विभागीय तौर पर छानबीन करवाए जाने व उत्तरदायित्व निर्धारित करके ₹103754 रुपये की वसूली बारे तथा ₹50,000 रुपये की राषि की गिरवी एफ.डी.आर. की शीघ्र वापसी सुनिष्चित कर बोर्ड की आय में जमा करवाने बारे ।
16.	पैरा 21	श्री दिनेष कुमार बनाम बोर्ड मुकदमा संख्याः 350/2002 के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार माननीय राज्य उपभोक्ता न्यायलय षिमला के पक्ष में ₹26500 रुपये की राषि की एफ.डी.आर. के रूप में जमा करवाए जाने बारे ।
17.	पैरा 22	निर्णीत ।
18.	पैरा 23	सम्पर्क कार्यालय षिमला व पुस्तक विक्रय केन्द्रों में अधिक स्टॉफ तैनात करने बारे ।
19.	पैरा 24	रेलवे बोर्ड से कम प्राप्त किए गए कागज की कीमत ₹74,074 रूपये के प्राप्त न होने बारे ।
20.	पैरा 25	डिपॉजिट कार्यो की राषि के उपयोगिता एवं कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र न प्रस्तुत करने बारे ।
21.	पैरा 26	चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टरों का नियमानुसार रख–रखाव न करने बारे ।
22.	पैरा 27–क	पुरानी संकध रजिस्टर से नई संकध रजिस्टर में वस्तुओं का शेष न उठाये जाने बारे ।
23.	पैरा 27–ख	निर्णीत ।
24.	पैरा 28	स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
25.	पैरा 29	₹47,120 रुपये की उपदान राषि श्री प्रीतम सिंह चौधरी सेवा निवृत संयुक्त सचिव की सेवा अवधि 17.8.1965 से 10.9.1969 तक की वसूली पंजाब विष्वविद्यालय से करने बारे ।
26.	पैरा 30	आवासीय कालौनी सिद्वबाड़ी में पूर्व में निर्मित सैपटिक टैंक के दोषपूर्ण निर्माण व लगभग दो वर्ष की अवधि उपरान्त ही ओवरफलो होने से पुनः लोक निर्माण विभाग को उक्त की मुरम्मत हेतु ₹3,41,400 रुपये के किए गए भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
27.	पैरा 31	वाहन एम्बैसडर कार संख्याः एच.पी. 777/819 की जांच बारे।
28.	पैरा 32	निर्णीत ।
29.	पैरा 33	निर्णीत ।
30.	पैरा 34	श्री एल.सी. जोषी (सेवा निवृत) के अन्तिम भुगतानों के बारे में।

Hkkx&III

1.	पैरा 2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2.	पैरा 3	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित पुस्तकें

		गत अनेक वर्षों से पड़ी होने बारे ।
2.	पैरा 4	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में पड़ी पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का गत कई वर्षों से प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
3.	पैरा 5	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा पुस्तकों को विक्रय करते समय राषियों के कम वसूली बारे ।
4.	पैरा 6	डिपो ऊना के अवधि 4/99 से 3/2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 6 में दिए गए विवरणानुसार कुल ₹71023 रुपये की राषि की पुस्तकें स्टॉक रजिस्टरों अनुसार मकान मालिक द्वारा ताला तोड़कर विक्रय कर लेने बारे ।
5.	पैरा 7–क	डिपो षिमला के अवधि 4/95 से 3/2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा सं0 4 अनुसार षिक्षा विभाग को लाखों रूपये की उधार विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत की वसूली के सन्दर्भ में ।
	पैरा 7–ख	निर्णीत ।
	पैरा 7–ग	पैरा 5 अनुसार डिपो से मुख्यालय को स्थानान्तरित राषियों के बैंक में जमा करवाए जाने के सन्दर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 7–घ	पैरा सं0 9 में वर्णित ₹1,29,286 रुपये की राषि की पुस्तकें श्री मस्त राम शर्मा प्रभारी द्वारा चार्ज सौंपते समय कम सौंपी गई ।
6.	पैरा 8	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्राप्त कैष मैमों, बिल बुक, पुस्तक प्राप्ति रसीदों से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर का रख–रखाव न करने बारे ।

Hkkx&4

1.	पैरा 1	निर्णीत ।
2.	पैरा 2–क	बैंक अन्तिम शेष व रोकड़ अन्तिम शेषों में ₹7855511.05 रुपये के अन्तर की समाधान विवरणी तैयार न करने बारे ।
	पैरा 2–ख व ग	निर्णीत ।
	पैरा 2–ज	निर्णीत ।
3.	पैरा 3	वर्षिक लेखा वर्ष 2002–03 से सम्बन्धिंत भुगतान शीर्ष पर टिप्पणियां/आपत्तियों बारे ।

vof/k 2003&04

Hkkx&1

1.	पैरा 2	कैष बुक शेष व बैंक शेष में ₹53,06,320.82 रुपये के अन्तर का शीघ्र मिलान करने बारे ।
2.	पैरा 6–क	वर्ष 2003–04 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से ₹11,54,609 रुपये दिनांक 31.3.04 तक वसूले जाने शेष थे।
3.	पैरा 7–क	1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे।

Hkkx&2

1.	पैरा 4	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से ₹3,44,448 रुपये की राषि की कटौतियां करने बारे ।
2.	पैरा 5	निर्णीत ।
3.	पैरा 6–क से ग	स्कूल षिक्षा बोर्ड की आय/कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंकेक्षण पर लगभग ₹57,12,533 रुपये की राषि का सम्भावित दुर्विनियोजन किये जाने बारे ।
4.	पैरा 7	बकाया प्रवेष शुल्क के लिए पत्र व्यवहार अन्तर्देषीय पत्र द्वारा किये जाने के बजाए

		खुले कार्ड द्वारा किये जाने के कारण गत दो वर्षों में बोर्ड निधि पर लगभग ₹14 लाख रूपये की राषि का अनियमित भुगतान के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
5.	पैरा 8	₹130688 रुपये की राषि को उपायुक्त कांगड़ा से वापिस लेने बारे ।
6.	पैरा 9	परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों को अग्रिम राषियों के समायोजन लेखे समय पर प्रस्तुत करने बारे ।
7.	पैरा 10	निर्णीत ।
8.	पैरा 11	अप्रैल, 2004 में संचालित जे0बी0टी0 प्रवेष परीक्षा में कार्यरत बोर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को ₹893361 रुपये का मानदेय दिए जाने बारे ।
9.	पैरा 12	सरकार द्वारा समय–2 पर जारी आदेषों दिषा निर्देषों की अनदेखी करके बोर्ड द्वारा विपरीत निर्णय लेने बारे ।
10.	पैरा 13	मै0 आर.पी.कपूर प्रिन्टर्ज को गोपनीय कार्य हेतु 23½ x 33” के जारी किए गए कागज के खपत अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।
11.	पैरा 14	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित वाहनों के टायरों को बदलने एवम् औसत की गणना करके समस्त लॉगबुकों को नियमानुसार लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत करने बारे ।
12.	पैरा 15	बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को पारिश्रमिक का भुगतान हि0 प्र0 सरकार द्वारा समय–2 पर जारी आदेषों के प्रतिकूल भुगतान करने बारे ।
13.	पैरा 16	कलर्कों, वरिष्ठ लिपिकों व वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सहायकों को बढ़ी हुई दर से सचिवालय भत्ता दिए जाने बारे ।
14.	पैरा 17	निर्णीत ।
15.	पैरा 18	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेषन से कागज की मात्रा कम प्राप्त होना।
16.	पैरा 19	श्री कृष्ण शर्मा, अनुभाग अधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों बारे ।
17.	पैरा 20	दूरभाष संख्याः डी.एम.ए. 222973 एवं डी.एम.ए. 223188 के भुगतान बिलों में समानांतर लाईनों के किराये बारे ।
18.	पैरा 21	निर्णीत ।
19.	पैरा 22–1	निर्णीत ।
	पैरा 22–2	विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम भुगतान की गई समस्त राषियों के उपयोग बारे ।
20.	पैरा 23	निर्णीत ।
21.	पैरा 24	निजि षिक्षण संस्थाओं से प्राप्त सम्बद्वता शुल्क का वर्ष 2000 से 2004 के ऑडिट में पाई गई आपत्तियों बारे ।
22.	पैरा 25	पानी के बिलों को नियत तिथि को भुगतान न करने पर अगले बिल में सरचार्ज बारे ।
23.	पैरा 26	निर्धारण मामलों में न्यायालय द्वारा रोक लगाने बाद अन्तिम निर्णयों को लेखा परीक्षा को सूचित करने बारे ।
24.	पैरा 27	विभिन्न षिक्षण संस्थाओं को ₹114000 रुपये अनुदान के रूप में भुगतान की गई राषियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।
25.	पैरा 28	पुस्तक विक्रय केन्द्रों का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
26.	पैरा 29	चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर बारे ।
27.	पैरा 30	निर्णीत ।
29.	पैरा 31–क	कुल 175000 जे.बी.टी. आवेदन पत्रों से सम्बन्धित प्राप्ति एवं खपत विवरण अब पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जाने बारे ।
	पैरा 31–ख	निर्णीत ।

	पैरा 31–ग	निर्णीत ।
	पैरा 31–घ	पुराना इन्टरनैट डी–लिंक गुम हो जाने के कारण नया इन्टरनैट ₹4250 रुपये में खरीदने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
30.	पैरा 32–क से ड. तक	सम्पर्क कार्यालय षिमला में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बारे में ।

Hkkx&3

1.	पैरा 3	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित पुस्तकों के डेड स्टॉक का निपटारा न करने बारे ।
2.	पैरा 4	वर्ष में एक बार प्रत्येक पुस्तक विक्रय केन्द्र में पड़ी पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाने बारे ।
3.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहड़ू के अवधि 4/01 से 3/03 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा सं0 8(ख) में ₹1300 रुपये की कम वसूली बारे ।
4.	पैरा 6	डिपो कुल्लू के अवधि 4/99 से 3/03 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं0 4 व पैरा सं0 10 में कमषः ₹718 रुपये व ₹4500 रुपये की वसूली बारे ।
5.	पैरा 7	एक डिपो से दूसरे डिपो को अनेकोनेक पुस्तकें एवम् फार्म इत्यादि स्थानान्तरण करने बारे ।

Hkkx&4

1.	पैरा 2–क से छ	₹53,06,320.82 रुपये कैष बुक व बैंक शेष के अन्तर के मिलान बारे व वार्षिक लेखा की टिप्पणियों के सन्दर्भ में ।
2.	पैरा 2–ज	निर्णीत ।
3.	पैरा 3–क से च	वार्षिक लेखा वर्ष 2003–04 पर लेखा टिप्पणियों बारे ।

vof/k 2004&05

Hkkx&I

1.	पैरा 2	कैष बुक अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹1,17,69,322.17 रुपये का अन्तर परिलक्षित होना ।
2.	पैरा 6	वर्ष 2004–05 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के परीक्षार्थियों से ₹23,06,825 रुपये की राषि वसूली हेतु शेष रहना ।
3.	पैरा 7–क–1	अवधि 1.4.2000 से पूर्व अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 7–क–3	अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी ₹40,00,984/–रुपये होना।
	पैरा 7–ख–3	गैर अंषदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹31,51,043 रुपये अधिक होना ।

Hkkx&2

1.	पैरा 1	गोपनीय निधि में ₹152017.60 रुपये अनुपयुक्त राषि को अन्तिम शेष में सम्मिलित किये जाने बारे ।
2.	पैरा 4	आन्तरिक जांच को सुदृढ़ किए जाने बारे ।
3.	पैरा 5	निर्णीत ।
4.	पैरा 6	वर्ष 2004–05 के दौरान बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल ₹920883 रुपये के पारिश्रमिक का भुगतान सरकार के आदेषों के विपरीत किया जाना ।
5.	पैरा 7	यात्रा भत्ता/पारिश्रमिक बिलों में गम्भीर अनियमितताओं बारे ।
6.	पैरा 8	निर्णीत ।
7.	पैरा 9	विभिन्न परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क के बकाया बारे ।

8.	पैरा 10	बोर्ड के बचत बैंक खाता संख्याः 01100/150005 में राषियों का डैबिट किये जाने बारे ।
9.	पैरा 11	श्रीमति रूप दासी वरिष्ठ सहायक की लड़की के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिल बारे ।
10.	पैरा 12	निर्णीत ।
11.	पैरा 13	सिविल मुकदमा संख्याः 39/सी.एस. दिनांक 23.4.90 रामस्वरूप बनाम हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड व अन्य मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीष अम्बाला द्वारा ₹23680 रुपये की राषि बोर्ड के बैंक खाता सं0 0110015005 एस.बी.आई. बैंक के माध्यम से सीधे निकालने के आदेष बारे ।
12.	पैरा 14	बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य निष्पादन संस्थाओं को निक्षेप कार्यों के निपटारे/निष्पादन हेतु दी गई अग्रिम राषियों के एवज में कार्य निष्पादन एवं राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे ।
13.	पैरा 15	स्थल मूल्यांकन केन्द्र बिलासपुर मार्च, 2005 के अग्रिम समायोजन बारे।
14.	पैरा 16	सितान्षु गौतम बनाम बोर्ड आफ स्कूल ऐजुकेषन षिकायत संख्याः 437/2003 दिनांक 14.10.2003 जिसका निर्णय दिनांक 4.1.2005 को हुआ था, बारे ।
15.	पैरा 17	कुमारी वनीता देवी को दस जमा एक का रोल नं0 171512 तथा कक्षा दस जमा दो का रोल नं0 267110 जारी करने पर माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा बोर्ड को ₹10,150/–रुपये जुर्माना करने बारे ।
16.	पैरा 18	वर्ष 2004–05 के दौरान जारी कागज/कवर पेपर की खपत/उपयोग बारे ।
17.	पैरा 19	पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा अग्रदेय धन राषि के रिकूपमैंट रजिस्टर का सही ढंग से रख–रखाव न करने बारे।
18.	पैरा 20	उपभोक्ता न्यायालय द्वारा ₹11000 रुपये का हर्जाना परीक्षार्थी श्री आदित्य सुपुत्र श्री हेम राज ठाकुर के पक्ष में आदेष पारित करने बारे व इस राषि की भरपाई का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
19.	पैरा 21	माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा कु0 अंकुर राणा सुपुत्र श्री हरनाम सिंह राणा छात्रा दस जमा एक को राशि ₹10,000 रुपये हर्जाना भुगतान के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे।
20.	पैरा 22	बोर्ड के समस्त वाहनों की प्रति कि0 मी0/लीटर औसत निर्धारण बारे।
21.	पैरा 23	निर्णीत ।
22.	पैरा 24	विभिन्न षिक्षण संस्थाओं को ₹83000/–रुपये अनुदान के रूप में भुगतान की गई राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे।
23.	पैरा 25	श्री रवि भूषण गुप्ता संयुक्त सचिव (सेवा निवृत) की उपदान राषि बारे।
24.	पैरा 26	मननीय जिला उपभोक्ता फोरम कांगड़ा स्थित धर्मषाला कैम्प नूरपुर द्वारा षिकायत संख्याः 175/04 के अन्तर्गत ₹26000/–रुपये की जुर्माना राषि बारे ।
25.	पैरा 27	निर्णीत ।
26.	पैरा 28	फर्नीचर के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार क्रय किये गये सामान को जारी करने बारे ।
27.	पैरा 29	निर्णीत
28.	पैरा 30	निर्णीत ।
29.	पैरा 31	निर्णीत ।
30.	पैरा 32	निर्णीत ।
31.	पैरा 33	चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर बारे ।
32.	पैरा 34	निर्णीत ।

33.	पैरा 35	बोर्ड के विश्राम गृहों पर खर्चा ₹4,37,435/–रुपये व आय मात्र ₹10,500/–रुपये बारे ।
34.	पैरा 36	बोर्ड प्रषासन द्वारा ₹15,14,956/–रुपये की राषि के कम्पयुटर खरीदने उपरान्त भी बोर्ड की कार्यप्रणाली को कम्पयूटरीकृत न करने बारे ।
35.	पैरा 37	सरकार द्वारा समय–2 पर जारी आदेषों/दिषा निर्देषों की अनदेखी करके बोर्ड द्वारा विपरीत निर्णय न लेने बारे ।
36.	पैरा 38	निर्णीत ।
37.	पैरा 39	अप्रचलित/खराब पुस्तकों बारे ।
38.	पैरा 40	वेतन निर्धारण मामलों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेष जारी करने उपरान्त बोर्ड द्वारा स्थगन आदेष को निरस्त करवाने बारे प्रयास न करना ।
39.	पैरा 41	वित्त विभाग की अनुमति एवं राज्य इलैक्ट्रोनिक्स कार्पोरेषन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही लैप–टॉप इत्यादि का क्रय करना ।
40.	पैरा 42	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के सम्पर्क कार्यालय के अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण पर पाई गई अनियमितताओं बारे।

Hkkx&3

1.	पैरा 2	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2.	पैरा 3	निर्णीत ।
3.	पैरा 4	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित/क्षतिग्रस्त पुस्तकों का पाया जाना ।

vof/k 1-4-2005 ls 31-3-2006 rd

Hkkx&1

1.	पैरा 2	₹1,26,30,770.04 रुपये की राषि का अन्तर रोकड़ शेष व बैंक शेष में पाये जाने बारे ।
2.	पैरा 6	वर्ष 2005–06 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से ₹13,74,595/–रुपये वसूले जाने शेष हैं ।
3.	पैरा 7–क–1	दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख–रखाव न करने बारे ।
	पैरा 7–क–3	अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध संसाधनों से ₹7591018.07 रुपये अधिक होने बारे ।
	पैरा 7–ख–3	गैर अंषदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹37,24,947.51 रुपये अधिक हैं ।

Hkkx&2

1.	पैरा 4	वर्ष के दौरान ₹2,71,034/–रुपये की राषि की कटौतियां ऑडिट द्वारा विभिन्न भुगतान बिलों से करने बारे व आंतरिक जांच को और सुदृढ़ करने बारे ।
2.	पैरा 5	निर्णीत ।
3.	पैरा 6	स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्णय न लिए जाने बारे।
4.	पैरा 7	कनिष्ठ सहायकों को उच्च वेतनमान दिए जाने बारे ।
5.	पैरा 8	पचास हजार से कम मात्रा में विभिन्न पुस्तकों के मुद्रण करवाने के कारण ₹1,15,864 रुपये का अधिक भुगतान करवाने बारे ।
6.	पैरा 9	निर्णीत ।
7.	पैरा 10	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के सम्पर्क कार्यालय में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण पर पाई गई अनियमितताएं ।
8.	पैरा 11	विभिन्न षिक्षण संस्थानों को ₹63000 रुपये अनुदान के रूप में भुगतान की गई

राषियों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।

9.	पैरा 12	बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यो को निष्पादित करने वाली संस्थाओं को निक्षेप कार्यों के निपटारे/निष्पादन हेतु दी गई अग्रिम राषियों के प्रतिफल में कार्य निष्पादन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र के प्रस्तुतीकरण बारे।

Hkkx&III

1.	पैरा 1	विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित मुख्य अनियमितताएं ।
2.	पैरा 2	पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर में ₹15210 रुपये की राषि के मूल्य की पुस्तकों का स्टॉक में कम पाया जाना ।
3.	पैरा 3–1	पुस्तक विक्रय केन्द्र ऊना में पुस्तकों की बिक्री से प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवाने बारे ।
	पैरा 3–2	निर्णीत ।
	पैरा 3–3	पुस्तक विक्रय केन्द्र ऊना से पुस्तकें चोरी होने बारे ।
	पैरा 3–4	पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टरों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें ।
	पैरा 3–5	शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के सम्बन्ध में रजिस्टर प्रस्तुत न किया जाना ।
4.	पैरा 4–1	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टरों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें बारे ।
	पैरा 4–2	स्टॉक रजिस्टरों के अनुसार ₹731 रुपये की राषि की पुस्तकों की वास्तविक शेष से अधिक दर्षाए जाने बारे ।
5.	पैरा 5	पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर की रोकड़ बही व बैंक अन्तिम शेष में ₹1957.63 रुपये का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
6.	पैरा 6	पुस्तक विक्रय केन्द्र पपरोला के प्रत्यक्ष सत्यापन अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकों की वसूली न करने बारे ।
7.	पैरा 7–1	पुस्तक विक्रय केन्द्र षिमला के स्टॉक रजिस्टर से बिना विक्रय किए पुस्तकें जारी करने से राषि ₹6875 रुपये की हानि बारे ।
	पैरा 7–2	पुस्तकों के स्टॉक रजिस्टरों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें ।
	पैरा 7–3	पुस्तकों के खराब होने के कारण स्टॉक कम करने बारे ।
	पैरा 7–4	₹2880 रुपये की स्टॉक रजिस्टर में से अधिक पुस्तकें जारी करने बारे।
	पैरा 7–5–क	विक्रय केन्द्र रोहडू से सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टि अंकेक्षण अवधि के दौरान न दर्षाने बारे ।
	पैरा 7–5–ख	सातवीं कक्षा की पुस्तक महाभारत (706) की 160 पुस्तकें पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहडू का स्थानान्तरित की गई परन्तु खारिज प्रविष्टि अंकेक्षण के दौरान न दर्षाने बारे ।
8.	पैरा 8	पुस्तक विक्रय केन्द्र मण्डी में पुस्तकों के खराब होने के कारण स्टॉक में अलग से दर्षाने बारे ।
9.	पैरा 9–1 से 9 (क से ङ.)	पुस्तक विक्रय केन्द्रों की मास अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2005 तक की आय की जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे।

Hkkx&4

1.	पैरा 2 से 3	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला के लेखाओं वर्ष 2005–06 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।

vof/k 1-4-2006 l: 31-3-2007

Hkkx&1

1.	पैरा 2—ग	रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹1,49,16,364.66 रूपये का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
2.	पैरा 6	निर्णीत ।
3.	पैरा 7—क—1	दिनांक 1.4.2000 से पूर्व अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख—रखाव न करने बारे ।
	पैरा 7—क—3	अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि खाते की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹5,44,79,236.93 रुपये कम होने बारे ।
	पैरा 7—ख—3	गैर—अषदायी भविष्य निधि खाते की देनदारी उपलब्ध राषियों से ₹2,38,75,150.49 रुपये कम होने बारे ।

Hkkx&2

1.	पैरा 1	दिनांक 31.3.2007 को गोपनीय निधि में ₹17,77,918.60 रुपये अनुपयुक्त शेष को वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित न किए जाने बारे ।
2.	पैरा 4	पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से कटौतियां (रिर्टेन्चमैंट) बारे ।
3.	पैरा 5	दिनांक 31.3.2007 तक ₹14,88,39,704.30 रुपये की राषि असमायोजित बारे ।
4.	पैरा 6	निर्णीत ।
5.	पैरा 7	स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्णय न लेने बारे ।
6.	पैरा 8	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अनावष्यक स्टॉफ को सरकार के विभागों में अन्तर्लयन करने बारे ।
7.	पैरा 9	बोर्ड कर्मचारियेां को ₹57098 रुपये की राषि के मानदेय की स्वीकृति वित्त विभाग हि0 प्र0 से लेने बारे ।
8.	पैरा 10	निर्णीत ।
9.	पैरा 11	निर्णीत ।
10.	पैरा 12	निर्णीत ।
11.	पैरा 13	हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण में पाई गई अनियमितताओं बारे ।
12.	पैरा 14—1—1	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में ₹1000 रुपये कम जमा करवाने बारे ।
	पैरा 14—1—2	चम्बा डिपो के बैंक खाता में ₹225 रुपये कम जमा करवाने बारे ।
	पैरा 14—1—3	राशि ₹4,42,630 रुपये की पुस्तकें सर्व षिक्षा अभियान के अन्तर्गत वापिस प्राप्त की गई परन्तु सम्बन्धित रसीद एवं पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण को न दिखाने बारे ।
	पैरा 14—1—4	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में ₹963 रुपये की कम वसूली बारे ।
	पैरा 14—1—5	डिपो बिलासपुर, रोहडू व चम्बा के प्रभारियों द्वारा पुस्तक विक्रेता से राषि प्राप्त करने उपरान्त स्वयं बैंक में जमा करवाने बारे ।
	पैरा 14—2	डिपो रिकांगपिओ में दिनांक 21.2.06 को बैंक में ₹22,91,391 रुपये जमा करवाए गए परन्तु यह राषि किस उद्देष्य/एवज में जमा करवाई गई लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाये जाने बारे ।
	पैरा 14—3—1	डिपो हमीरपुर के बैंक खाता में ₹2250 रुपये कम जमा करवाने बारे ।
	पैरा 14—3—2	निर्णीत ।
	पैरा 14—4	पुस्तक विक्रय केन्द्र मण्डी पुस्तकों की बिक्री से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
	पैरा 14—5	निर्णीत ।
	पैरा 14—6	निर्णीत ।

पैरा 14–7(1से 2)	निर्णीत ।
पैरा 14–8–(1 व 2)	निर्णीत ।
पैरा 14–9	पुस्तक विक्रय केन्द्र कुल्लू से सम्बन्धित मास फरवरी व मार्च,2006 के आय अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

Hkkx&3

1.	पैरा 2 क,ख,ग,च व झ	वार्षिक लेखा से सम्बन्धित टिप्पणियों बारे ।
2.	पैरा 3–ग,घ व ड.	–––––––यथोपरि–––––––––

ukV%& इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005–06 भाग–5 के पैरा 1 (डी) में वर्णित अनिर्णीत अधियाचनाऐं लम्बे समय से अनिर्णीत हैं ।

Hkkx&2

1 ikjfEHkd %& हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड में निवासी अंकेक्षण योजना अधिसूचना संख्याः 21–3/70–षिक्षा–11 दिनांक 18.3.1971 के अनुसार आरम्भ की गई थी । अवधि 1.04.2007 से 31.3.2008 तक श्री बी0 आर0 वैद्य, उप नियंत्रक (ले0प0) इस योजना के प्रभारी रहे तथा इस काल में सर्वश्री सतपाल सिंह, अनुभाग अधिकारी, व विजय कुमार वालिया, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य स्टाफ भी कार्यरत रहा है ।

"Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made aVailable by the Controlling Officer of the Institution. Local Audit Department disclaims any responsibility for any mis-information or non submission of information on the part of auditee. Responsibility of audit is confined to the months selected for test detail check."

2- foRrh; fLFkfr %– रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड की वर्ष 2007–08 की वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप में निम्नलिखित हैः–

	2006&07	2007&08
आरम्भिक शेष	28,83,44,041.05	21,34,37,243.63
प्राप्तियां	31,54,75,012.58	41,56,09,906.90
योग	60,38,19,053.63	62,90,47,150.53
भुगतान	39,03,81,810.00	42,89,40,737.00
अन्तिम शेष	21,34,37,243.63	20,01,06,413.53

परन्तु विभिन्न बैंकों में दिनांक 31.03.2008 को जो जमा राषियां थी का विवरण निम्नलिखित दिया जाता हैः–

(i) iLrd foØ; dUnk d cd [kkrk e fnukd 31-03-2008 rd dk vfUre 'k"k %&

d0 l0	cd dk uke	[kkrk l[;k	jkf'k ¼:0½
1.	बिलासपुर एच.जी.बी.	686	4010478.00
2.	बिलासपुर एस.बी.आई.	10723029457	89736.00
3.	बिलासपुर पी.एन.बी	889979	106051.65
4.	बिलासपुर यूको	7476	2771.15
5.	भोरजं के.सी.सी.बी	4314	854542.00
6.	चम्बा एस.बी.आई.	01190000900	2834857.64
7.	चौंतड़ा एच.पी.एस.सी.बी.	5060	1857031.00
8.	धर्मषाला एस.बी.आई.	10551206624	730860.92
9.	हमीरपुर यूको	13966	4246120.20
10.	जसूर एस.बी.पी.	55104358766	1920636.57
11.	कुल्लू एस.बी.आई.	10792147403	1086185.26
12.	मण्डी एच.जी.वी.	301100	223892.11
13.	नाहन एस.बी.आई	11128707752	375930.01
14.	पपरोला पी.एन.बी.	3840	2642634.00
15.	रिकांगपिओ एच.पी.स्टेट कोऔप्रेटिव	11122	1813657.00
16.	रोहडू एस.बी.आई.	01100060006	504818.25
17.	रामपुर एस.बी.आई.	1100070067	495258.35
18.	शिमला एच.पी.स्टेट कोआप्रेटिव	4330103697	7263368.56
19.	सोलन एस.बी.आई.	10688304365	658108.19
20.	ऊना सी.बी.आई	14823	487694.10
21.	घुमारवीं एच.जी.बी.	1011	2462948.00
22.	मण्डी बी0टी0आई0	7555	1158221.00
23.	ज्वालामुखी एस0बी0आई0	30168536785	278598.00
24.	नगरोटा बगवां एस0बी0आई0	11329127457	415372.00
		;kx%&	36519769-96

¼ii) /ke'kkyk fLFkr fofHkUu cd cpr [kkrk e fnukd 31-03-2008 rd dk vfUre 'k"k

d0 l0	cd dk uke	[kkrk l[;k	jkf'k ¼:0½
1.	एस.बी.आई. धर्मषाला	10551097410	4950838.78
2.	–यथोपरि–	10551097432	41199147.35
3.	–यथोपरि–	10551097374	220633.23
4.	–यथोपरि–	10551097330	517385.78
5.	–यथोपरि–	10551212447	350378.90
6.	इलाहवाद बैंक धर्मषाला	2477	316438.00
7.	पी0एन0बी0 धर्मषाला	3373000100029804	1426433.50
8.	–यथोपरि–	3373000100036761	27843.00
9.	–यथोपरि–	0136000100168255	2103122.45

10.	जे.एण्ड के. बैंक धर्मषाला	0354040100000232	2287299.00
11.	एस.वी.पी. धर्मषाला	550969945330	573379.57
12.	हिमाचल ग्रामीण बैंक दाड़ी	4944	392869.00
13.	के.सी.सी.बी. धर्मषाला	00020070007486	93782.00
14.	बैंक आफ इण्डिया धर्मषाला	3244	27106.60
15.	बैंक ऑफ इण्डिया धर्मषाला	40	205000.00
16.	यूको बैंक धर्मषाला	5916	4802983.57
17.	कैनरा बैंक धर्मषाला	4365	1146917.00
18.	बैंक आफ बढ़ौदा धर्मषाला	2003734	56902.00
19.	औरिएण्टल बैंक आफ कामर्स	178	3437381.00
20.	एच0पी0स्टैट को–आपरेटिव बैंक संजौली	4330105410	2926.00
21	सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया धर्मषाला	149／1544201430	1397578.00
		;kx% &	6]55]36]344-73

(iii) सामान्य खाता में से निवेषित राषियों का विवरण आगामी पैरा संख्याः 4 में दिया गया हैः–

₹16]33]685-10 #i;s

d] [k o x dk tkM % & ₹26]54]24]624-69 #i;s

रोकड़ शेष तथा बैंक शेष के आंकड़ों के अवलोकन पर स्वतः स्पष्ट होता है कि रोकड़ शेष एवं बैंक शेष में ₹6,53,18,211.16 रुपये (26,54,24,624.69 –20,01,06,413.53 रू0) का अन्तर परिलक्षित होता है जिसमें से ₹ 5,10,46,660.00 रुपये का अन्तर निम्नलिखित कारणों से है :–

1.	बैंक खाता संख्याः 10551097432 एस.वी.टाई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 23.04.99 से दिनांक 31.03.2008 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2008 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं :–	3,92,51,523.00
2.	बैंक खाता संख्याः 10551097330 एस.बी.टाई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 1.04.2004 से 31.03.2008 तक भुगतान हेतु जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2008 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैंः	48,95,137.00
3.	एस.बी.टाई. द्वारा दिनांक 31.03.2008 को टग्रिम जमा दिया गया लेकिन डिपू खाता में इसका अप्रैल,2008 को डैविट दिया गयाः	69,00,000.00
	;kx% &	₹5]10]46]660-00

इस प्रकार ₹5,10,46,660.00 रुपये की राषि के समायोजन उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष में ₹1,42,71,551.16 रुपये का अन्तर परिलक्षित होता है। इस अन्तर के मिलान हेतु हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड प्रषासन द्वारा न कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही अमल में लाई गई है यद्यपि ऑडिट द्वारा पूर्व में भी बोर्ड प्रषासन को अपने अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में लगातार आग्रह किया जाता रहा है । अतः हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड प्रषासन से पुनः इस ओर ठोस पग उठाने का आग्रह किया जाता है ।

(iv) हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड, अधिनियम–1968 की धारा 14(2) में यह प्रावधान है कि वार्षिक शुद्व बचत की राषि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेष सरकार के पास स्कूल षिक्षा के सुधार पर व्यय करने हेतु जमा करवाई जानी अपेक्षित है। वर्ष 2007–08 के अन्त शेष ₹20,01,06,413.53 रुपये में से वित्त वर्ष 2007–08 के दौरान स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेष सरकार को कोई भी राषि भेजी नहीं गई है यद्यपि स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा टपने 2007–08 के अनुमोदित वार्षिक बजट के परीक्षा शीर्ष–318 के अर्न्तगत ₹2.50 करोड़ एवं पाठ्य पुस्तक शीर्ष–419 के टर्न्तगत ₹ 2.50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

3- <u>vk; ,oa 0;; dk e[; lk/ku</u> :– बोर्ड की आय के मुख्य स्त्रोत परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क की वसूली व पुस्तकों का विक्रय तथा व्यय वेतन भत्तों का भुगतान, परीक्षा संचालन तथा पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि मदों पर किया गया है।

4. <u>fuo'k</u> ½& हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2008 को सामान्य खाता में से निवेषित राषियों का विवरण निम्नलिखित दिया जाता है ।

FIXED DEPOSITS RECEIPTS 01-04-2007 to 31-03-2008

d0 l0	cSd dk uke	,Q0Mh0vkj l0	fnukd	jkf'k ¼:0½
1.	के0सी0सी0बी धर्मषाला	477325	19.1.2004	6525000.00
2.	यूको बैंक धर्मषाला	641000	18.3.2006	30000000.00
3.	यूको बैंक घुमारवीं	713494	18.03.2006	10000000.00
4.	सैंट्र्ल बैंक आफ इण्डिया, योल	658236	9.3.2007	2300000.00
5.	बैंक आफ इण्डिया धर्मषाला	8034655	5.4.2007	4600000.00
6.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया धर्मषाला	30162000241	16.4.2007	50000000.00
7.	यूको बैंक धर्मषाला	872115	17.4.2007	10000000.00
8.	ओ0बी0सी0 बैंक धर्मषाला	411122	17.4.2007	10000000.00
9.	पी0एन0बी0 मैकलोडगंज	448079	17.4.2007	2000000.00
10.	पी0एन0 बी0 मैकलोडगंज	448082	19.4.2007	4000000.00
11.	पी0एन0बी0 कांगड़ा, धर्मषाला	964846	20.4.2007	13980000.00
12.	ओ0बी0सी0 बैंक धर्मषाला	411306	10.7.2007	12000000.00
13.	स्टेट बैंक आफ पटियाला धर्मषाला	548864	4.8.2007	5000000.00
14.	यूको बैंक ओगली	129555	9.8.2007	1163510.00
15.	स्टेट बैंक आफ पटियाला धर्मषाला	548906	27.8.2007	1800000.00
			;kx½&	₹163368510-00

5- vd{k.k 'kYd %& निवासी टंकेक्षण योजना, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों का अंकेक्षण शुल्क वर्ष 2007–08 हेतु ₹23,53,090.00 रुपये बनता है ।

इस राषि को हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, धर्मषाला के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्याः 152516 दिनांक 6.12.08 के माध्यम से परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, परीक्षा हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009 के कार्यालय में जमा करवा दिया गया है ।

6- vk; dk cdk;k %&

¼i½ ijh{kk 'kYd %& हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड के कार्यालय से परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2008 तक परीक्षार्थियों से कितनी राषि वसूली हेतु शेष थी, की सूचना बोर्ड कार्यालय द्वारा अधूरी उपलब्ध करवाई गई है जिसके अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान जितनी राषि परीक्षा शुल्क व विलम्ब शुल्क दिनांक 31.03.2008 तक वसूली जानी थी, से सम्बन्धित सूची ही उपलब्ध करवाई गई है जिसके अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छा़त्रों से ₹13,72,277/–रुपये वसूले जाने शेष थे । इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में आयोजित की गई परीक्षाओं से सम्बन्धित कितनी राषि अभी तक वसूली हेतु लम्बित है, के बारे में भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया। यह मामला स्कूल षिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आवष्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त आज तक आयोजित समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित दिनांक 31.03.2008 तक वसूली हेतु लम्बित प्रवेष शुल्क व विलम्ब शुल्क की राषियों का शीघ्र विवरण तैयार करके इन्हें दोषी छात्रों से वसूले जाने हेतु उचित पग उठाए जाएं तथा भविष्य में भी समय रहते आवष्यक कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी राषि वसूली हेतु लम्बित न रहे।

(ii) स्कूल षिक्षा बोर्ड की विक्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2007–08 के दौरान षिक्षा विभाग को उधार विक्रय की गई पुस्तकों एवं प्राप्त राषियों तथा वर्ष के अन्त में वसूली हेतु लम्बित राषियों का विवरण नीचे दिया गया है। वसूली हेतु लम्बित राषियों की शीघ्र प्राप्ति हेतु मामला षिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष से उठाया जाए ।

		mPprj ek/;fed f'k{kk fun'kky;	ikjfEHkd@ikFkfed f'k{kk fun'kky;
1.	गत वर्ष के अन्त में वसूली हेतु लम्बित राषि ।	69,32,967.00 (अधिक वसूली)	2,95,62,619.00
2.	वर्ष 2007–08 के दौरान कुल उधार विक्री की राषि ।	7,08,84,118.00 (–)23,09,370.00 (छूट)	9,66,36,711.00 (–)44,26,023.00
3.	कुल वसूली हेतु लम्बित राषि	6,16,41,781.00	12,17,73,307.00
4.	वर्ष 2007–08 के दौरान प्राप्त कुल	5,75,60,738.00	7,38,22,854.00

राषि ।

5. वर्ष 2007—08 के अन्त में वसूली हेतु लम्बित राषि । 40,81,043.00 4,79,50,453.00

7. <u>¼1½ vi'knk;h Hkfo"; fuf/k@lkekU; Hkfo"; fuf/k@xSj vi'knk;h Hkfo"; fuf/k</u> %&

(i) लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंषदायी/गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस अनियमितता के बारे में ऑडिट द्वारा अपनी पूर्व रिपोर्ट के माध्यम से बोर्ड प्रषासन को अवगत करवाया जा चुका है। अतः पुनः परामर्ष दिया जाता है कि 01.04.2000 से पूर्व समस्त अवधि की रोकड़ बही शीघ्र तैयार करके लेखा परीक्षा—षाखा में आवष्यक जांच हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाए।

<u>vi'knk;h Hkfo";@lkekU; Hkfo"; fuf/k dh o"kZ 2007&08 dh foÙkh; fLFkfr miyC/k djokbZ xbZ lapuk vuqlkj fuEufyf[kr gS</u> %&

प्रारम्भिक शेष	18,14,42,818.93
1. प्राप्तियां (वेतन से कटौती, निवेषित राषियों के ब्याज व बैंक ब्याज सहित)।	3,69,88,824.00
2. एन0सी0पी0एफ0 से स्थानान्तरित निवेष राषि	2,21,64,550.00
योग	24,05,96,192.93
3. भुगतान	4,21,46,085.00
4. पैंषन निधि को स्थानान्तरित निवेष राषि	6,14,62,422.00
3 व 4 का योग	10,36,08,507.00
अन्तिम शेष	13,69,87,685.93
दिनांक 31.03.2008 को भारतीय स्टेट बैंक धर्मषाला के बचत खाता संख्याः 10551097443 में जमा राषि	6,18,195.93
दिनांक 31.03.2008 को भविष्य निधि में से निवेषित राषि	13,64,09,740.00
योगः	₹13]70]27]935-93

रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹40250 रुपये का जो अन्तर था उसमें ₹40000 रुपये के जारी चैक दिनांक 31.3.08 तक बैंक में डैबिट न होने के कारण व ₹250 रुपये का बैंक द्वारा गलत क्रैडिट दिए जाने के कारण था।

¼ii½ अंषदायी भविष्य/सामान्य भविष्य निधि में से दिनांक 31.03.2008 को निवेषित राषियों का विवरण परिषिष्ट '1' में वर्णित है।

¼iii½ उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2007–08 के अन्त में अषंदायी भविष्य/सामान्य भविष्य निधि खातों अनुसार कुल देनदारी की राषि ₹15,39,32,295 रुपये थी जोकि इस निधि में बैंकों में पड़ी उपरोक्त कुल राषि ₹13,70,27,935.93 रुपये जमा ₹1,83,52,472 रुपये (भविष्य निधि में से निवेषित राषियों पर दिनांक 31.3.2008 तक अर्जित होने वाले कुल ब्याज अर्थात ₹15,53,80,407.93 रुपये से ₹14,48,112.93 रुपये कम है। भविष्य में इस निधि में पड़ी राषि व देनदारी में संतुलन बनाये रखने की नितान्त आवष्यकता है ।

(iv) रोकड़ बही की जांच पर यह पाया गया कि सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर पुनः निवेषित राषियों पर अर्जित ब्याज राषि को रोकड़ बही में आय के रूप में नहीं दर्षाया गया है।

अतः बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि निवेष परिपक्वता पर पुनः निवेषित राषियों पर अर्जित ब्याज राषि व निवेष परिपक्वता पर निधि में जमा राषि पर अर्जित ब्याज को रोकड़ बही में बतौर प्राप्तियां दर्षाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼2½¼i½ <u>xSj vaknk;h Hkfo"; fuf/k dh foÙkh; fLFkfr miyC/k djokbZ xbZ lwpuk vuqlkj fuEufyf[kr gS</u> ¼&

प्रारम्भिक शेष	2,17,43,856.49
1. प्राप्तियां:– (वेतन से कटौतीयां कर प्राप्त राषि व बैंक ब्याज सहित)	2,79,644.00
2. निवेष परिपक्वता पर अर्जित ब्याज	11,07,396.00
योग	2,31,30,896.49
भुगतान:– (1) अग्रिम बतौर निकाली गई राषि	3,93,991.00
2. सी.पी.सफ./जी.पी.एफ. निधि को स्थानलान्तरित निवेषों की राषि	2,21,64,550.00
1 व 2 का योग	2,25,58,541.00
अन्तिम शेष	5,72,355.49
दिनांक 31.03.2008 को भारतीय स्टेट बैंक धर्मषाला के बचत खाता संख्याः 10551097421 में जमा राषि	2,62,314.49
दिनांक 31.03.2008 को गैर अंषदायी भविष्य निधि में से निवेषित राषि	3,10,281.00
;ksx%	₹5]72]595-49

रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹240 रुपये का अन्तर बैंक द्वारा दिनांक 13.2.08 को ₹240 रुपये का अधिक क्रैडिट दिए जाने के कारण था।

¼ii½ गैर अंषदायी भविष्य निधि में से निवेषित राषि की सूची परिषिष्ट ^2^ पर संलग्न की गई है

¼iii½ उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2007–08 के अन्त में गैर अंषदायी भविष्य निधि खातों के अनुसार कुल देनदारी ₹5,23,520.00 रुपये थी जोकि गैर अंषदायी भविष्य निधि में पड़ी उपरोक्त कुल राशि ₹5,72,355.49 जमा ₹11,477.00 रुपये (गैर अंषदायी भविष्य निधि में से निवेषित राषियों पर दिनांक 31.03.08 को अर्जित होने वाला ब्याज) अर्थात ₹5,83,832.49 रुपये से ₹60,312.49 रुपये कम है। भविष्य में गैर अंषदायी भविष्य निधि व इसकी देनदारी में संतुलन बनाये रखने के प्रयास किए जाए।

8- ¼1½ <u>i\'ku fuf/k</u> ¼& बोर्ड की अधिसूचना संख्याः हि0षि0बो0 (पैंषन)2006/06–305 दिनांक 20.10.06 अनुसार हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों को 1.1.2005 से राज्य सरकार की पद्वति पर पैंषन योजना लागू की गई। पैंषन भुगतान हेतु अलग पैंषन निधि का गठन किया गया। इस प्रकार रोकड़ बही अनुसार पैंषन निधि की वर्ष 2007–08 की वित्तीय स्थिति इस प्रकार है :–

प्रारम्भिक शेष :–	₹1]01]20]322-00	
1. रोकड़ बही का अन्तिम शेष		
2. अंषदायी भ0 नि0 से पैंषन निधि को एफ0डी0टार0 के रूप में वर्ष 2006–07 में स्थानान्तरित		₹6]76]24]633-00
	₹5]75]04]311-00	
प्राप्तियां:–		
1. वेतन से कटौती, पैंषन अंषदान व बैंक ब्याज सहित	₹1]58]71]611-00	
2. अंषदायी भविष्य/सामान्य भविष्य निधि से इस निधि को स्थानान्तरित निवेषों की राषि मूल के विरूद्व		₹9]81]06]760-00
3. निवेषित राषियों पर ब्याज	₹8]04]01]940-00	

₹18]33]209-00

कुल योग	₹16]57]31]393-00
<u>Hkxrku</u>	2,32,92,650.00
अन्तिम शेष दिनांक 31.3.2008	14,24,38,743.00
1. दिनांक 31.3.08 को बैंक में जमा राषि	26,99,283.00
2. दिनांक 31.3.08 को निवेषित राषियां	13,97,39,460.00
1 o 2 dk ;kx¼&	₹14]24]38]743-00

अतः लेखे मेल खाते हैं।

¼2½ पैंषन निधि में से दिनांक 31.3.08 तक निवेषित राषियों का विवरण परिषिष्ट ^3^ में वर्णित है।

¼3½ पुनः निवेषित राषियों व परिपक्वता पर निवेष राषि को खातों में जमा करवाने पर अर्जित ब्याज को बतौर प्राप्तियां रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है जिसे दर्ज किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼4½ <u>i॓'ku fuf/k dk icU/ku</u> :– हि0 प्र0 सरकार के षिक्षा विभाग के पत्र संख्याः षिक्षा–II–ख(10)–1/2004 दिनांक 2.8.2005 द्वारा स्कूल षिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को निम्नलिखित शर्तों के आधार पर पैंषन योजना स्वीकृत की गई थी ।

(i) बोर्ड की पैंषन निधि स्वतः संभालनी (Self Sustaining) व स्वतः वित्त पोषित (self Financning) बिना राज्य सरकार के सहयोग के होगी। बोर्ड के 2 प्रतिषत अंषदान को पैंषन निधि में डालने के प्रस्ताव की इस स्तर पर कोई जरूरत नहीं है ।

(ii) पैंषन निधि के प्रबन्धन के लिए बोर्ड कोई अतिरिक्त पद सृजित नहीं करेगा और सुनिष्चित करेगा कि वर्तमान कर्मचारी इस कार्य को करने के लिए तैयार है। बोर्ड इस सन्दर्भ में षिक्षा विभाग को लिखित रूप में वचनवद्धता देगा।

वित्त विभाग/षिक्षा विभाग की संस्तुति उपरान्त हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को लागू की गई पैंषन योजना की अधिसूचना क्रमांक एच0बी0(1)संस्थापन–सा0फा0–142(पैंषन)/2006–5680–5779 दिनांक 18.4.2006 की धारा 5(2) अनुसार दिनांक 1.1.2005 से सभी पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन, डी0पी0 व मंहगाई भत्ता का 12 प्रतिषत पैंषन निधि को बतौर बोर्ड अंषदान हस्तान्तरण किया जा रहा था व वर्ष 2006–07 से यह दर 12 प्रतिषत से 15 प्रतिषत बोर्ड ने मद संख्याः 13 द्वारा

संषोधित कर दी गई है परन्तु बोर्ड अंषदान में की गई बढ़ौतरी नियमानुसार नहीं है क्योंकि यदि पैंषन भोगी कर्मचारी पैंषन के विकल्प के बजाय अंषदायी भविष्य निधि का विकल्प देता तो उसे बोर्ड द्वारा बोर्ड अंषदान 10 प्रतिषत दिया जाना था जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है । इस प्रकार बोर्ड प्रषासन द्वारा 12 प्रतिषत की बजाय 15 प्रतिषत की दर से पैंषन निधि में राषि हस्तांतरित करना तर्कसंगत नहीं है । यद्यपि सरकार द्वारा सी0पी0एफ0 के विकल्प में नियोक्ता का अंषदान 10 प्रतिषत निष्चित किया गया हे परन्तु बोर्ड द्वारा जो पैंषन योजना हि0 प्र0 सरकार को भेजी गई थी उसमें 12 प्रतिषत बोर्ड अंषदान पैंषन निधि में डालने का प्रस्ताव भेजा गया था जिसके अनुसार ही बोर्ड प्रषासन को 12 प्रतिषत की दर से ही राषि पैंषन निधि में डालनी चाहिए थी । वर्ष 2007–08 के दौरान पैंषन निधि में ₹1,58,71,611/–रुपये बोर्ड ने अंषदान के रूप में डाले जबकि वर्ष के दौरान इस निधि में से ₹2,32,92,650/–रुपये खर्च किए गए । इससे स्वतः स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान प्राप्तियों की अपेक्षा खर्चा अधिक था। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की उत्तरोत्तर वढ़ रही संख्या व अंषदान देने वाले कर्मचारियों की कम हो रही संख्या से इस निधि में अंषदान भी स्वभाविक तौर से कम होना निष्चित हुआ है व देनदारी वर्ष दर वर्ष बढ़नी स्वाभाविक है। बोर्ड द्वारा पैंषन योजना जो सी0ए0 से बनवाकर हि0 प्र0 सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी गई थी। इसके अनुसार निधि में राषियों की प्राप्ति व व्यय नहीं हो रहा अर्थात निधि में जमा हो रही राषि व खर्चा के प्रवाह में संतुलन नहीं है जिसके कारण कालान्तर में इस पैंषन योजना की जीवनक्षम विष्वसनीयता पर प्रष्न चिन्ह लगना स्वभाविक है। इस प्रकार बोर्ड प्रषासन पैंषन योजना को हि0 प्र0 सरकार षिक्षा विभाग के पत्र संख्याः षिक्षा–II–खा(10)–1/2004 दिनांक 2.8.2005 के अनुसरण में पैंषन योजना को स्वतः विष्वसनीय व जीवनक्षय बनाए रखने की आड़ में यद्यपि बोर्ड अंषदान के अतिरिक्त सामान्य निधि से बजट प्रावधान रखकर अलग से राषियां स्थानान्तरित कर रहा है परन्तु यह नियमानुसार नहीं है। बोर्ड प्रषासन को सरकार से अनुमोदित करवाई गई पैंषन योजना के अनुसार 12 प्रतिषत से अधिक का बोर्ड अंषदान पैंषन निधि में नहीं डालना चाहिए अन्यथा इसकी स्वीकृति हि0 प्र0 सरकार के षिक्षा/वित्त विभाग से लेनी अपेक्षित है।

अतः बोर्ड प्रषासन से अनुरोध है कि पैंषन योजना के लिए सृजित निधि में 12 प्रतिषत की दर से अंषदान राषि का हस्तांतरण किया जाना सुनिष्चित किया जाए या 15 प्रतिषत की दर से अंषदान/बजट प्रावधान रखकर राषि का अलग से हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति षिक्षा/वित्त विभाग हि0 प्र0 सरकार से लेनी सुनिष्चित की जाए न कि दोनों मदों के अन्तर्गत राषि हस्तांतरण कर निधि का अनुरक्षण करके अलग निधि सृजित करने का कोई औचित्य नहीं रहता है ।

9- <u>minku fuf/k</u> %& उपदान निधि का वर्ष 2006–07 व वर्ष 2007–08 का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है :–

	o"k 2006&07	o"k 2007&08
प्रारम्भिक शेष	——	26,03,585.00
प्राप्तियां (वेतन बिलों के साथ काटी गई राषि)	37,37,508.00	56,28,755.00
योग	37,37,508.00	82,32,340.00
भुगतान	11,33,923.00	72,58,946.00
अन्तिम शेष	26,03,585.00	9,73,394.00
बैंक खाता का अन्तिम शेष	₹26,03,585.00	₹9,73,394.00

अतः लेखे मेल खाते हैं ।

10 ¼1½ v/;kid dY;k.k fuf/k ¼& अध्यापक कल्याण निधि में से किए गए निवेषों का विवरण निम्नलिखित है ।

d0 l0	,Q0Mh0Vkj0 l[;k¼	fnukd	jkf'k	ifjiDork frfFk	ifjiDork jkf'k	cSd dk uke
1.	8043156469—7	1.11.06	1302426	1.11.09	1603859 ⁄ —	एस.बी.आई.
2.	965066	18.6.07	190000	18.6.08	208703 ⁄ —	पी.एन.बी.
3.	8043155358—4	14.6.07	81950	15.12.08	94368 ⁄ —	एस.बी.आई.
4.	548986	20.09. 2007	2000201	18.12.08	2247991.74	एस.बी.पी.
		;kx¼	₹35]74]577			

¼2½ उक्त निधि के बचत बैंक खाता का दिनांक 31.3.2008 को ₹11,72,941.63 रुपये अन्तिम शेष था।

11- xksiuh; fuf/k ¼& सचिव द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.08 को गोपनीय निधि में ₹3,00,896.60 रुपये अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखों में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

12- vuqnku ¼& आडिट में प्रस्तुत विवरणानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में हिमाचल प्रदेष सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है ।

13- __.k ¼& वर्ष 2007—08 के दौरान स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और न ही कोई ऋण लौटाया जाना शेष है ।

14. io vd{k.k d nkjku fofHkUu fcyk e l dVkfr;k ¼fjVUpeV½ ¼&

अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवं गलत भुगतान किए जाने के कारण ₹3,05,668 ⁄ —रुपये की राषि की कटौतियां की गई जिसका विवरण इस सम्बन्ध में तैयार किए गए रजिस्टर में रखा गया है । उपरोक्त तथ्यों से यह

प्रमाणित होता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न बिलों की जांच सही एवं नियमित तौर पर नहीं की जा रही है । अतः बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि भविष्य में आंतरिक जांच को और सुदृढ़ किया जाए ताकि ऐसी अनियमितताओं की भविष्य में पुनरावृति न हो ।

15- cdk;k vfxze jkf'k;ksa dk lek;kstu %&

बोर्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए बोर्ड निधि में से दी गई अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.03.2008 तक ₹18,57,87,959.26 रुपये की राषि असमायोजित है जिसका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :–

o"kZ	vlek;ksftr vfxze dh dqy jkf'k
1969—70	1,09,130.00
1970—71	1,39,342.00
1971—72	2,30,053.00
1972—73	1,01,808.00
1973—74	2,88,919.70
1974—75	4,56,368.25
1975—76	3,71,280.00
1976—77	3,42,320.00
1977—78	4,01,287.77
1978—79	9,00,474.03
1979—80	6,71,417.29
1980—81	10,86,738.00
1981—82	9,55,260.82
1982—83	10,07,704.46
1983—84	7,02,006.90
1984—85	33,56,535.54
1985—86	26,90,913.18
1986—87	28,00,156.32
1987—88	12,87,104.55
1988—89	21,51,256.45
1989—90	23,72,665.00
1990—91	12,67,820.00

1991—92	23,49,121.00
1992—93	25,70,642.00
1993—94	7,92,433.00
1994—95	29,32,414.00
1995—96	44,27,566.00
1996—97	70,80,846.00
1997—98	54,89,528.00
1998—99	22,41,025.00
1999—2000	9,36,749.00
2000—01	32,89,851.00
01—02	33,73,557.00
02—03	1,36,66,077.00
03—04	57,15,327.00
04—05	63,73,546.00
05—06	1,72,32,751.00
2006—07	3,44,63,807.00
2007—08	4,91,62,158.00
	;kx%& ₹18]57]87]959-26

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त अग्रिमों के समायोजन में अनुचित विलम्ब किया जा रहा है परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2008 तक अत्यधिक संख्या में अग्रिम समायोजन हेतु एकत्रित हो गए हैं, जो बोर्ड के हित में नहीं है। अतः प्रत्येक अग्रिम के समायोजन हेतु तुरन्त उचित व्यवस्था की जाए तथा अगले अग्रिम गत अग्रिमों के समायोजन उपरान्त ही जारी किये जाने सुनिष्चित किये जाए।

16- d{kk tek ,d d i jh{kk ifj.kke d dk;l dh vkÅV&lkjflx dju ij el t vkbl0 lh0,u0 ¼bf.M;k½ ik0 fy0] U;w fnYyh-46 dk fd;k x;k 50 ifr'kr Hkqxrku ₹2]60]870 d ckj %&

उपरोक्त फर्म के बिल सं0 आई.सी.एन. ⁄ 087 ⁄ 2006—07 दिनांक 15.3.07 राशि ₹2,60,870 रुपये का भुगतान अंकेक्षण द्वारा दिनांक 3.7.07 को मूल संचिका की टिप्पणी संख्याः 82 के अनुसार पारित किया गया। परन्तु उक्त बिल का अवलोकन करने पर निम्नलिखित आपत्तियां ऑडिट अधियाचना संख्याः 238 दिनांक 9.8.07 द्वारा सचिव, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के ध्यान में आवष्यक

निपटान हेतु लाई गई थी परन्तु आज दिन तक कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है ।

1. निविदाओं की जांच पर पाया गया कि कुल 12 फर्मों ने +1 के परीक्षा परिणाम के कार्य हेतु आवेदन किया था जिनमें से केवल 5 फर्मों के आवेदन टैंडर नियमों/षर्तों के अनुरूप सही पाये गये । टैंडर के तुलनात्मक विवरण के अनुसार उक्त कार्य हेतु सबसे कम दर ₹3.75 रुपये प्रति छात्र एवं अतिरिक्त कापी के लिये ₹55 रुपये प्रति कापी मैसर्ज सी0एस0 डाटामाईन रिसर्च सर्विस प्रा0 लि0, न्यू दिल्ली ने की थी परन्तु बोर्ड प्रषासन द्वारा बिना किसी ठोस आधार के सफलतम फर्म को कार्य का आंवटन नहीं किया गया जोकि नियमानुसार सही नहीं है ।

2. बोर्ड प्रषासन द्वारा दूसरी न्यूनतम दर वाली फर्म मैसर्ज आई.सी.एन (इण्डिया) प्रा0 लि0, न्यू दिल्ली–46] जिसकी दर ₹5.60 रुपये प्रति छात्र एवं अतिरिक्त कापी के लिये 0.70 रुपये प्रति कापी थी, के साथ बातचीत द्वारा दर तय करके प्रतिछात्र 4.50 रुपये एवं अतिरिक्त कापी ₹.50 रुपये प्रति कापी निर्धारित कर कार्य का आंवटन मैसर्ज टाई.सी.एन (इण्डिया) प्रा0 लि0, न्यू दिल्ली–46, के पक्ष में कर कर दिया जोकि उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि नियमानुसार बातचीत से दर तय करना न्यूनतम दर वाली फर्म से ही की जानी अपेक्षित थी।

3. षिक्षा बोर्ड द्वारा मैसर्ज आई.सी.एन (इण्डिया) प्रा0 लि0, न्यू दिल्ली–46, को मु0 4.50 रुपये प्रति छात्र की दर से भुगतान करने पर ₹86,95 रुपये की हानि उठानी पड़ेगी। अतः इस हानि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा चूक–कर्ताओं से इस हानि की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

अतः बोर्ड प्रषासन उक्त आपत्तियों का निपटारा शीघ्र सुनिष्चित करें व की गई कार्यवाही से यथा समय लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

17- : i VklikV d0 f'keyk dk th0vkj0 u0 545 fnukd 20-8-2007 d rgr fd; x; Hkxrku ₹8425 #i; ckj %&

मूल संचिका की टिप्पणी संख्याः 125 से 131 के सन्दर्भ में रूप ट्रांसपोर्ट क0 षिमला को जी0आर0 नं0 545 दिनांक 20.8.2007 (वाहन नं0 एच.पी.07–4961) के अन्तर्गत किये गये भुगतान ₹8425 रुपये का बिल श्री भागेष जोषी, वरिष्ठ सहायक के पक्ष में अंकेक्षण द्वारा दिनांक 29.8.2007 को इस आषय के साथ पारित किया गया था कि उपायुक्त कार्यालय षिमला द्वारा किराया भाड़ा से सम्बन्धित जारी की गई अधिसूचना की प्रतिलिपि अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये और यदि अधिक भुगतान पाया गया तो उसकी वसूली भी सम्बन्धित ट्रांसपोर्ट क0 से की जाये। यह मामला सचिव, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड से अधियाचना संख्याः 279 दिनांक 10.9.07 द्वारा उठाया गया था परन्तु आज दिन तक की गई कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है।

अतः उपायुक्त कार्यालय षिमला द्वारा निर्धारित किराया भाड़ा से सम्बन्धित जारी अधिसूचना की प्रतिलिपि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जाए ताकि उक्त किए गए भुगतान को अधिसूचना में देय दरों के परीपेक्ष में सत्यापित किया जा सके।

18- <u>ekg ekp] 2004 ds nkSjku mMu nLrs }kjk fofHkUu ijh{kk dsUnzksa dk fujh{k.k djus ds ,ot esa Jh v'ouh dqekj pM~Mk dks viuh dkj u0 ,p-ih-23,&6397 dk mi;ksx djus ij vfu;fer Hkqxrku dh xbZ jkf'k ₹5200 #i;s ckjs %&</u>

दिनांक 5.3.04 से 2.4.04 तक सम्पन्न हुई वार्षिक परीक्षा के दौरान तत्कालीन उप मण्डलाधिकारी (ना0) के नेतृत्व में, श्री अष्वनी कुमार चड्डा, निवासी गांव हम्वोट, डाकघर हटवाड़ तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर ने उडन दस्ते के सदस्य के रूप में कार्य करते हुये अपने निजि वाहन एचपी–23ए–6397 का उपयोग किया था ।

इस सन्दर्भ में हि0 प्र0 सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्याः (फिन रजि0) 215/88 दिनांक 9.5.91 के अनुसार कोई भी प्रषासनिक अधिकारी या उनके द्वारा नियुक्त कोई भी सदस्य, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित वार्षिक परीक्षाओं के दौरान उडन दस्ते के रूप में कार्य करते हुये फुटकर व्यय सम्बन्धी कोई भी खर्च नहीं देगें अपितु पैट्रोल पर समस्त खर्चे सम्बन्धित विभाग द्वारा ही स्वयं वाहन किया जाऐगा । षिक्षा बोर्ड ऐसे उडन दस्तों को केवल यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता आदि का नियमानुसार देय व्यय वहन करेगा और यदि कोई कर्मचारी/अधिकारी बस द्वारा सफर करेगा तो उस स्थिति में बस किराये का टिकट पेष करने पर बोर्ड उस खर्चे की अदायगी करेगा परन्तु सरकार के दिषा–निर्देषों के बावजूद श्री अष्वनी कुमार चड्डा, जो कि तत्कालीन उपमण्डलाधिकारी (ना0) के नेतृत्व में उडन दस्ते के सदस्य थे, को अपना निजि वाहन एचपी–23ए–6397 का उपयोग करने के एवज में बोर्ड के तत्कालीन सचिव द्वारा सम्बन्धित संचिका की टिप्पणी संख्या–23 में इस प्रकार के भुगतान हेतु इन्कार किया परन्तु पुनः टिप्पणी संख्याः–26 में सरकार के स्पष्ट दिषा निर्देषों की उपेक्षा करके ₹5200 रुपये की स्वीकृति विषेष केस के रूप में दी गई जोकि सरकार के दिषा–निर्देषों के अनुरूप नहीं है तथा सचिव ऐसी स्वीकृति हेतु सक्षम नहीं है। यद्यपि टिप्पणी–26 को मध्यनजर रखते हुए ₹5200 रुपये का भुगतान ऑडिट अधियाचना संख्याः 187 दिनांक 8.6.07 के अन्तर्गत इस आष्य के साथ पारित किया गया था कि इस भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नियमितिकरण हेतु ली जाए परन्तु आज दिन तक की गई कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है।

अतः बोर्ड प्रषासन किए गए भुगतान को नियमित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति ली जाए अन्यथा चूक–कर्ताओं से वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए ।

19- Jh jke flg feUgkl ¼lok fuo`r iloDrk½ }kjk futh Ldiyk dh lc}rk dk fnukd 5-5-07 l 12-5-07 rd fujh{k.k dju gr VDlh dk mi;kx dju d ,ot e vf/kd Hkxrku ckj %&

निजी स्कूलों की संबद्वता से सम्बन्धित संचिका की टिप्पणी सं0 120 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री राम सिंह मिन्हास को निजी स्कूलों की संबद्वता के निरीक्षण हेतु टैक्सी/निजी वाहन द्वारा यात्रा करने की स्वीकृति प्रदान की गई परन्तु हि0प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के कार्यालय आदेष सं0 हि0प्र0षि0बो0 संबद्वता/43/2007—19574—19680 दिनांक 1.5.07 के अनुसार निजी स्कूलों की संबद्वता का निरीक्षण केवल बसों द्वारा ही सम्पूर्ण किया जाना है। इस प्रकार श्री राम सिंह मिन्हास द्वारा निजी वाहन द्वारा की गई कुल 454 कि0 मी0 की यात्रा निजी स्कूलों की संबद्वता हेतु अगर बस द्वारा की गई होती तो बोर्ड की राषि ₹2360/—रुपय की बचत होती ।

हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड की अधिसूचना सं0 हि0षि0बो0 संबद्वता/43/2006—2141—50 दिनांक 29.8.2006 के अनुसार निजी स्कूलों की संबद्वता के निरीक्षण हेतु अनुमोदित दरों पर टैक्सी/निजी वाहन का उपयोग करने की अनुमति बोर्ड की 86वीं बैठक में ली गई तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इसे वर्ष 2005 से मान्य माना जाएगा परन्तु हि0 प्र0 सरकार से इस निर्णय बारे स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है ।

अतः श्री राम सिंह मिन्हास को दिनांक 5.5.07 से 12.5.07 तक निजी स्कूलों की संबद्वता के निरीक्षण हेतु टैक्सी/निजी वाहन का उपयोग करने के उपलक्ष में जो अधिक/अनियमित भुगतान किया गया इसकी वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए तथा की गई कार्रवाई से लेखा परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए ।

20- ¼1½ fufonkVk dh vof/k lekIr gksu d mijkUr iLrdk d en.kkn'k tkjh dju ckj

हि0 प्र0 षिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष पुस्तकों के मुद्रण हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। तथा सबसे कम दर पर विभिन्न मुद्रकों को पुस्तकों का मुदण कार्य आंवटित किया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2007—08 के लिए वित्तीय वर्ष 2006—07 में पुस्तकों के मुद्रण हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई ओर सबसे कम दर पर मुद्रकों से पुस्तकों का मुद्रण कार्य सम्पन्न करवाया गया । जैसा कि अधिसूचना में दर्षाया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2006—07 की निविदाओं की वैद्यता दिनांक 31.3.07 को समाप्त हो गई थी परन्तु षिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2008—09 एवं वित्तिय वर्ष 2007—08 के लिए निविदाएं आमन्त्रित नहीं की इस प्रकार मुद्रकों को तदनुसार मुद्रण आदेष नई दरों पर जारी किये जाने अपेक्षित थे, मुद्रकों के बिलों

की जांच पर पाया गया कि षिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008–09 के लिए वित्तीय वर्ष 2006–07 की दरों के अनुसार ही विभिन्न पुस्तकों के मुद्रण के लिए विभिन्न मुद्रकों को मुद्रणादेष जारी कर दिये जिनमें से कुछके पुस्तकों का विवरण परिषिष्ट ^4' में दिया गया है ।

बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008–09 के लिए पुस्तकों की मुद्रण दरों की अधिसूचना दिनांक 12.6.07 को जारी की गई तथा दिनांक 1.4.07 से दिनांक 11.6.07 तक निविदाओं के बिना पुरानी दरों पर मुद्रणादेष जारी करना षिक्षा बोर्ड के हित में उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि न्यूनतम प्रतियोगी दरों से लाभ नहीं उठाया गया। इससे बोर्ड को हानि उठानी पड़ी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

¼2½ fg0 i0 Ldy f'k{kk ckM }kjk 'k{kf.kd l= 2008&09 dh iLrdk dk en.k o"k 2006&07 dh njk d vk/kkj ij djoku l jkf'k ₹1]43]672 #i; dh gkfu ckj

विभिन्न मुद्रकों/फर्मों के बिलों की जांच पर पाया गया कि स्कूल षिक्षा बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008–09 के लिए विभिन्न पुस्तकों का मुद्रण वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान अधिसूचना संख्याः एच.बी(5) परो0/2007–4679–4718 दिनांक 12.6.2007 के अर्न्तगत तय की गई दरों के अनुसार करवाया गया। जांच पर पाया गया कि परिषिष्ट '5' में दर्षाई गई पुस्तकों के मुद्रण के लिए मुद्रणादेष बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008–09 के लिए नई दरें तय करने से पहले ही जारी कर दिए, जोकि अनियमित था जिसके फलस्वरूप उक्त पुस्तकों के मुद्रण के लिए भुगतान पुरानी दरों (षैक्षणिक सत्र 2007–08, वित्तीय वर्ष 2006–07) के अनुसार करने पर बोर्ड को राषि ₹1,43,672 रुपये की वित्तीय हानि उठानी पड़ी, जैसा कि शैक्षणिक सत्र 2008–09 के लिए जिन पुस्तकों का मुद्रण चार रंगों में करवाया जाना था, उनकी मुद्रण दर पुरानी दरों की अपेक्षा कम है । अतः नई अधिसूचना लागू होने से पहले मुद्रणादेष जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान राषि ₹1,43,672 रुपये की वसूली चूक–कर्ताओं से की जानी सुनिष्चित की जाए।

अतः बोर्ड प्रषासन नई अधिसूचना लागू होने से पहले मुद्रणादेष जारी करने व भुगतान पुरानी दरों से करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान राषि ₹1,43,672 रुपये की वसूली चूक–कर्ताओं से की जानी सुनिष्चित की जाए।

21- ckM }kjk lpkfyr fofHkUu iLrd foØ; dUnk e o"k 2006&07 e iLrd foØ; d dkj.k de oly dh xbZ jkf'k ckj :–

वर्ष 2006–07 में विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में विक्रय की गई पुस्तकों के कैष मैमों की जांच करने पर पाया गया कि ₹237 रुपये की राषि गलत गणना के कारण कम वसूल की गई जोकि सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्र के चूक–कर्ताओं से यथाषीघ्र वसूली की जानी आपेक्षित है । इसकी

अनुपालना से लेखा–परीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए। कम वसूल की गई राषि का विवरण निम्न प्रकार से है ।

d0 l0	iLrd foØ; dUn dk uke	d'k eek l[;k%	fnukd	de olyh dh jkf'k
1.	पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन	34094	13.6.06	6.00
2.	पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा	27091	13.2.07	3.00
3.	–यथोपरि–	27098	21.2.07	14.00
4.	–यथोपरि–	–	14.2.07	30.00
5.	पुस्तक विक्रय केन्द्र घुमारवीं	31205	26.3.07	4.00
6.	–यथोपरि–	31120	17.3.07	180.00
			;kx%&	237-00

22- fg0 i0 jkT; miHkkDrk ifrrk"k vk;kx] f'keyk }kjk vihy l[;k% 121@2007 d vUrxr ₹12119 #i; d evkot ckj %&

हि0 प्र0 राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, षिमला ने अपील संख्याः 121/2007 श्री हेम चन्द बनाम हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड धर्मषाला के विरूद्ध षिक्षा बोर्ड को दोषी ठहराते हुए अपीलकर्ता के पक्ष में ₹10000 रुपये 6 प्रतिषत ब्याज सहित मुआवजा देने हेतु जिम्मेदार ठहराया गया जो कुल ₹12119 रुपये बनते थे । इस मामले से सम्बन्धित संचिका की टि0 सं0 8 के अनुसार अध्यक्ष महोदय द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित करने तथा उक्त राषि का दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली करने बारे आदेष पारित किए थे। इस सम्बन्ध में सचिव, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड से अधियाचना संख्याः 237 दिनांक 9.8.2007 द्वारा अनुरोध किया गया था कि आवष्यक कार्रवाई उपरान्त चूक–कर्ताओं से यथाषीघ्र वसूली की जाए परन्तु आज दिन तक ऑडिट को कृत कार्रवाई से अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः बोर्ड प्रषासन अध्यक्ष महोदय के आदेष अनुसार राशि ₹12119 रुपये का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वसूली सुनिष्चित की जाए ।

23- i'kklfud Hkou d rrh; pj.k d Hkou fuek.k gr vf/k'kk"kh vfHk;Urk] fg0i0yk0 fu0fo0] /ke'kkyk d vfxe Hkxrku jkf'k ₹19]73]000 #i; ckj %&

अधिषाषी अभियन्ता हि0प्र0लो0नि0वि0 धर्मषाला को प्रषासनिक भवन (तृतीय चरण) के निर्माण हेतु राषि ₹19,73,000 रूपये का भुगतान अग्रिम राषि के रूप में अंकेक्षण द्वारा दिनांक 25.7.07 को संचिका के टिप्पणी सं0 295 के अनुसार पारित किया गया। परन्तु उपरोक्त भुगतान की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त भवन की प्रषासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति (A.A. & E.S.) शुरू में उप सचिव (भण्डार) के पत्र संख्याः 12770 दिनांक 8.12.2003 द्वारा राषि ₹31.43 लाख के लिए अनुमोदित की थी जिसे बाद में पत्र संख्याः 24–स्टोर –1/2006–1738 दिनांक 2.2.2006 द्वारा संषोधित करके ₹81.46 लाख रूपये कर दिया गया। उक्त संषोधित प्रषासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति, लोक निर्माण

विभाग द्वारा प्रस्तुत संषोधित अनुमानित लागत के आधर पर प्रस्तुत की गई दर्षाई गई है। अवलोकन पर पाया गया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत संषोधित अनुमानित लागत का संषोधित विस्तृत प्राक्कलन (Revised Detailed Estimate) न देकर पलिन्थ एरिया रेट (Plinth Area Rate) के आधार पर लागत की गणना का अनुमान दिया था जोकि उचित प्रतीत नहीं होता ।

लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्याः पी0डब्ल्यू–ए.बी.–डिपोजिट–2007–08–3291–92 दिनांक 26.6.07 द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त भवन के निर्माण पर माह जून, 2007 तक ₹46.07 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका था परन्तु विभाग द्वारा उक्त व्यय के समर्थन में कोई भी विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि बोर्ड द्वारा ₹42.00 लाख रुपये पहले ही अग्रिम राषि के रूप में जमा करवा दिये थे। अतः अधिषाषी अभियन्ता धर्मषाला कार्यालय से उक्त व्यय का विस्तृत विवरण प्राप्त किया जाऐ जिसमें उनसे उपरोक्त कार्य के वर्क लेजर (work ledger) की फोटो प्रतियां और संविदाकार (Contractor) का कार्य आंबटन पत्र मंगवाया जाऐ व अन्तिम भुगतान करने से पूर्व यह दस्तावेज अंकेक्षण में उपलब्ध करवाये जाए ताकि उक्त भवन के निर्माण कार्य पर कुल खर्च की पुष्टि की जा सके। यह भी सुझाव दिया जाता है कि किसी भी निर्माण कार्य का प्रषासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति देने से पहले यह सुनिष्चित किया जाए कि यह स्वीकृति विस्तृत संषोधित अनुमान लागत (Detailed Revised Estimate) के आधार पर होनी चाहिए। अनुमानित लागत का विवरण सिर्फ लोक निर्माण विभाग से ही न मंगवाकर अन्य प्राधिकृत विभागों जैसे कि हिमुडा, एच.पी.एस.आई.डी.सी. से भी मंगवाये जाए व तुलनात्मक विवरण करने के उपरान्त ही कार्य का आंबटन उसी विभाग को किया जाए जो कार्य को निर्धारित समय पर व अनुमानित लागत के अन्दर निष्पादित करने हेतु सहमत हो। उक्त विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करने पर भी विचार किया जाए जिसमें स्पष्ट लिखा जाए कि लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग जिसे कार्य का आंवटन किया जाना है अगर वह विभाग कार्य को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो बोर्ड बढ़ी हुई लागत को वहन नहीं करेगा।

अतः बोर्ड प्रषासन उक्त प्रषासनिक भवन के तृतीय चरण का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व संषोधित विस्तृत प्राक्कलन, विस्तृत विवरण वर्क लेजर की फोटो प्रतियां व संविदाकार को कार्य आंबटन–पत्र की प्रति अधिषाषी अभियन्ता हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग धर्मषाला से लेकर लेखा परीक्षा में दिखाया जाना सुनिष्चित किया जाए ।

24- <u>vke lHkk d vk;ktu ij fnukd 25-4-07 dk tyiku gr ₹5965 #i; d 0;; ckj</u>

मै0 डोगरा स्वीट शॉप के कैष मैमों नं0 866 दिनांक 25.4.07 ₹5090 रुपये तथा मै0 भागमल स्वीट शॉप के कैष मैमों नं0 शून्य दिनांक 25.4.07 ₹875 रुपये अर्थात कुल राषि ₹5965 रुपये (5090 रुपये + 875 रू0) का व्यय जलपान हेतु आम सभा के आयोजन पर श्री बालक राम चौहान, अनुभाग

अधिकारी ने अपनी जेब से किया दर्षाया गया यद्यपि अंकेक्षण द्वारा दिनांक 11.7.07 को ₹5965 रुपये का विपत्र श्री बालक राम चौहान, अ0अ0 के पक्ष में मूल संचिका की टिप्पणी संख्याः 123 से 126 के अन्तर्गत पारित किया गया परन्तु स्कूल षिक्षा बोर्ड के अधिनियम एवं विनियम में इस तरह की मद पर व्यय करने हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यय को बोर्ड निधि पर उचित प्रभार माना जा सके । इस व्यय के नियमितिकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेने का अनुरोध सचिव, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड से अधियाचना संख्याः 239 दिनांक 9.8.07 द्वारा किया गया था परन्तु आज दिन तक की गई कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः सचिव, हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड को परामर्ष दिया जाता है कि उक्त व्यय को नियमित किया जाए अन्यथा चूक–कर्ताओं से इस राषि की वसूली की जानी सुनिष्चित की जाए।

25- fgekpy izns'k Ldwy f'k{kk cksMZ] lEidZ dk;kZy;] f'keyk&6 ls v/;kidksa dks Hkqxrkuksa ls lEcfU/kr 31-3-2008 rd ys[kk ijh{kk fVIif.k;ka ,oa vfu;ferrkvksa dk fooj.k fuEufyf[kr gS A

¼1½ nksgjs Hkqxrku ikfjr djus ds lUnHkZ esa %&

विभिन्न स्कूलों में मार्च, 05 व मार्च, 06 की परीक्षा के संचालन हेतु तैनात केन्द्र अधीक्षक, समन्वयक व सहायक समन्वयक तथा पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान लेखा शाखा सम्पर्क कार्यालय द्वारा ₹3809 रुपये ₹7091 रुपये, ₹6628 रुपये की राषियों को दो बार अलग–2 बिलों में गणना करके पारित किया गया था। अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त दोहरे भुगतान को पारित होने से रोक लिया गया, जिस का उल्लेख अंकेक्षण अधियाचना सं0 1331–1335, दिनांक 25.5.07, 1480–1485, दिनांक 3.10.07 व 1408–1412, दिनांक 23.7.07 में किया गया है । इस प्रकार के दोहरे पारित किये गये भुगतानों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए व ऐसे प्रकरणें की पुनरावृति रोकने हेतु समुचित पग उठाये जाने की आवष्यकता है ।

¼2-½ nksgjs ;k=k HkÙkk fcyksa ds Hkqxrku gsrq :–

निम्न अध्यापकों द्वारा एक ही अवधि के दो कार्य–स्थलों से दोहरे यात्रा बिल अदायगी हेतु प्रस्तुत किये गए थे जिन्हें सम्बन्धित स्कूलों के प्रधानाचार्य व स्थल मूल्यांकन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा भी सत्यापित किया गया था। लेखा शाखा, सम्पर्क कार्यालय ने भी पारित कर के पूर्वांकेक्षण हेतु लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया था। लेखा परीक्षा ने जांच उपरान्त अंकेक्षण आपत्ति द्वारा दोहरे बिलों को पारित करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु लिखा गया था जिस के उपरान्त लेखा शाखा द्वारा जब अध्यापकों से दोहरे बिल प्रस्तुत करने हेतु स्पष्टीकरण मांगा गया तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकारते हुए एक बिल को रदद करने का अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में सचिव, महोदय को भी समय–2 पर निम्न अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा अवगत करवाया जा चुका है, परन्तु अंकेक्षण प्रतिवेदन लिखने तथा

इस प्रकार के प्रकरणों को रोकने का किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया। ऐसे प्रकरणों को रोकने हेतु प्रभावी पग उठाये जाने आवष्यक हैं।

d0 l0	v/;kid dk uke o Ldy	LFky eY;kdu dUn dk uke	Ldy dk uke	vfu;fer jkf'k	vd{k.k vf/k;kpuk l[;k
1.	श्री संजय कुमार, रा0व0मा0पा0 झण्डूता	मार्च,05 घुमारवीं	रा0व0मा0पा0 घुमारवीं	मु0 472 रुपये व 808 रुपये	1362—66 दि0 3.3.08
2.	श्री चन्द्रवीर सिंह, रा0व0मा0पा0 भडवार	धर्मषाला मार्च,06	रा0व.मा0पा0 टंगनरवाना	472 रुपये व 2016 रुपये	1602—06 दि0 3.3.08
3.	श्री हेमराज, रा0व0 मा0 पा0 वलडूहक	हमीरपुर, मार्च,06	रा0व0मा0पा0 दरवियार	758 रुपये व 1865 रुपये	1618—1622 दि0 26.3.08

¼3-½ v/;kidk }kjk nk dk;&LFkyk l vyx&vyx ikfjJfed fcy iLrr djus d lUnHk e&

विभिन्न अध्यापकों द्वारा एक ही अवधि में मार्च, 06 की परीक्षा के संचालन का कार्य व उत्तर पुस्तकाओं की जांच का कार्य अलग—2 कार्य स्थलों पर जा कर किया। दोनों कार्य एक ही अवधि में किये दर्षाए गए थे जोकि पत्र सं0 137 दिनांक 3.4.01 के अनुसार मान्य नहीं है। एक कार्य—स्थल पर अपना ठहराव दर्षाकर वहां से यात्रा/विराम भत्ता व पारिश्रमिक प्राप्त कर लिया था, तथा दूसरे कार्य—स्थल से भी पारिश्रमिक बिल प्रस्तुत किये गये। पूर्वांकेक्षण दौरान लेखा परीक्षा द्वारा दोहरे भुगतानों को अपनी अंकेक्षण आपत्ति द्वारा रोक लिया गया तथा इस सम्बन्ध में अपनी अंकेक्षण अधियाचनाओं द्वारा सचिव महोदय को अवगत करवाया, परन्तु की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना अपेक्षित है। अनियमित व दोहरे भुगतान का विवरण इस प्रकार से है :—

d 0 l 0	v/;kid dk uke o Ldy	LFky eY;kdu dUn dk uke	Ldy dk uke	nkuk dk;l LFkyk e dk;l djus dh vof/k	vfu;fe r Hkxrku	vd{k.k vf/k;kpuk l0
1.	श्री कृष्ण पाल भारद्वाज, रा0व0मा0पा0 धनेड, जिला मण्डी	सरकाघाट	रा0व0मा0पा0 गोपालपुर	27.3.06 से 4.4.06	683.00	1434—1438 दि0 24.8.07
2.	श्री टेक सिंह ठाकुर, रा0व0मा0पा0 दसेहड़ा, जिला मण्डी	सुन्दरनगर	रा0व0मा0पा0 दसहेड़ा	28.3.06 से 29.3.06	80.00	—यथो0—
3.	1. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता,रा0व0मा0पा0 सरकाघाट	सरकाघाट	रा0व0मा0पा0 भराड़ी	3.4.06 से 4.4.06	372.00	—यथो0—
	2. श्री अमर नाथ धीमान, रा0व0मा0पा0,	सरकाघाट	सरकाघाट	—यथो0—		

	तरैम्बल						
4.	श्री मदन कुमार, रा0व0मा0पा0 ग्यारह ग्रां, जिला हमीरपुर	हमीरपुर	रा0व0मा0पा0 ग्यारह ग्रां	23.3.05		120.00	––
5.	श्री सुन्दर सिंह, रा0व0मा0पा0 जंजैहली	सुन्दरनगर	सुन्दरनगर	27.3.06 4.4.06	से	280.00	1589–93 दि0 25.2.08
6.	श्री अष्वनी कुमार, रा0व0मा0पा0 गगल जिला मण्डी	मण्डी	मण्डी	4.4.06 6.4.06	से	96.00	–यथो0–
7.	श्री राकेष चन्द रा0व0मा0पा0 बालग जिला मण्डी	सरकाघाट	सरकाघाट	27.3.06 29.3.06	से	238.00	–यथो0–
8.	श्री ज्ञान प्रकाष ठाकुर, रा0व0मा0पा0 चोलार तन्डोह, मण्डी	–यथो0–	–यथो0–	29.3.06		91.00	–यथो0–
9.	श्री रमेष कुमार रा0व0मा0पा0 सलापड़	सुन्दरनगर	रा0व0मा0पा0 सलापड़	27.3.06 3.4.06	से	240.00	–यथो0–
10.	श्री अषोक कुमार, रा0व0मा0पा0 धगोंटा, हमीरपुर	हमीरपुर	ब्लू स्टार रा0व0मा0पा0 हमीरपुर	24.3.06 2.4.06	से	320.00	–यथो0–
			vfu;fer Hkqxrku			₹2520-00	

¼4½ vfxe jkf’k;k d lek;k tu gr %&

प्रभारियों को उत्तर–पुस्तिकाओं की जांच का कार्य करवाने हेतु निम्न राषियां बोर्ड द्वारा अग्रिम प्रदान की गई थी, जिन के समायोजन हेतु निम्न प्रभारियों से कुछ वसूलियां की जानी अपेक्षित है। समय–2 पर अंकेक्षण अधियाचनायें जारी होने के उपरान्त भी निम्न वसूलियां अंकेक्षण प्रतिवेदन लिखने तक नहीं की गई, जिस का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

d0 l0	iHkkjh dk uke	LFky eY;kdu dUn dk uke	vfxe jkf’k	olyh	vd{k.k vf/k;kpuk l0
1.	श्री दीना नाथ कौषल	सरकाघाट	10,48,000.00	663.00	1445–49 दिनांक 31.8.07
2.	श्री लालमन, अ0अ0	तलाई, मार्च,07	1,10,000.00	1487.00	1503–07 दिनांक 31.10.07
3.	श्री रूप राम वर्मा	नालागढ़	3,74,000.00	579.00	1561–65 दिनांक 7.1.08
4.	श्री ललित निराला	नगरोटा सूरियां	1,46,000.00	371.00	–यथोपरि–

5.	श्री दीना नाथ	मार्च,05 उना	3,97,000.00	2848.00	1594—97 दिनांक 25.2.08
6.	श्री धनी राम	सरकाघाट	8,15,000.00	12257.00 (श्री धनी राम द्वारा ₹12257 रुपयेरसीद सं0 0594512 दिनांक 2.7.08 को जमा करवा दिये गये)	1498—1502 दिनांक 30.10.07

¼5½ vfu;fer ;k=k HkÙkk fcyksa dk Hkqxrku ckjs ¼&

श्रीमती सरिता वैद्य, रा0 व0 मा0 पा0 जरोल व श्री दौला राम भरमोरियां, रा0 मा0 पा0 छेगी को मार्च, 05 व मार्च, 06 में परीक्षा संचालन हेतु बोर्ड द्वारा बिना यात्रा/विराम भत्ता एम.एल.एस.एम. कॉलेज, सुन्दरनगर व रा0 व0 मा0 पा0 सन्धोल में नियुक्त किया गया था परन्तु लेखा शाखा द्वारा उक्त अध्यापकों के यात्रा भत्ता बिल मु0 1806 रुपये व 1853 रुपये पारित कर के पूर्वांकेक्षण हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए। लेखा परीक्षा द्वारा उक्त बिलों को रोक लिया गया तथा इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना सं0 1475—79 दिनांक 3.10.07 द्वारा सचिव महोदय को अवगत करवाया गया। अतः इस प्रकार के भुगतानों को रोकने हेतु समुचित पग उठाने की आवष्यकता है।

26. fu"d"kZ :— लेखाओं के उचित अनुरक्षण में अधिक सुधार की आवष्यकता है। विषेषतयः बैंक शेष तथा रोकड़ बही अनुसार शेषों में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है ।

l;qDr fu;=d¼y0i0½
fuoklh vads{k.k ;kstuk]
fg0iz0Ldwy f'k{kk cksMZ]
/keZ'kkyk A

funs'kd]
LFkkuh; ys[kk ijh{kk foHkkx]
fgekpy izns'k]
f'keyk&171009-

Hkkx&3

fgekpy izns'k Ldwy f'k{kk cksMZ /keZ'kkyk ds ys[kkvksa o"kZ 2007&08 dk okf"kZd ys[kkA

1- ikjfEHkd ¼& हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत प्रारूप में आवष्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रमाणित किया जाता है। लेखों में पाई गई त्रुटियों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है। लेखाओं के उचित अनुरक्षण में अधिक सुधार की आवष्यकता है। विषेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही अनुसार शेष में गत कई वर्षों से चले आ

रहे अन्तर के मिलान हेतु उठाये गए पग पर्याप्त नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विषेष ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है ।

2- <u>ikfIr;k</u> ¼&

¼**1**½ <u>foRrh; fLFkfr</u> ¼& वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्त में रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष ₹20,01,06,413.53 रूपये था और विभिन्न बैंकों में बोर्ड धन का अन्तिम शेष ₹26,54,24,624.69 रूपये था। इस प्रकार रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष में ₹6,53,18,211.16 रूपये का अन्तर परिलक्षित हुआ है जिसमें से ₹5,10,46,660/–रूपये का अन्तर निम्नलिखित कारणों से है :–

(i)	बैंक खाता संख्याः 10551097432 एस.बी.आई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 23.04.99 से दिनांक 31.03.08 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.08 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं	3,92,51,523/–
(ii)	बैंक खाता संख्याः 10551097330 एस.बी.आई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 1.4.2004 से 31.3.08 तक भुगतान हेतु जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.08 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं	48,95,137/–
(iii)	एस.बी.आई. धर्मषाला द्वारा अग्रिम जमा कर दिया गया लेकिन डिपो खाता में अप्रैल, 2008 को डैबिट दिया गया है	69,00,000/–
	;kx¼&	5]10]46]660@&

इस प्रकार ₹5,10,46,660/–रूपये की राषि का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष तथा कैश बुक के अन्तिम शेष में ₹1,42,71,551.16 रूपये का अन्तर शेष था। इस अन्तर के मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई है। बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

¼**ii**½ प्रवेष शुल्क/बिलम्ब शुल्क (परीक्षा) के रूप में प्रत्येक वर्ष के अन्त में विभिन्न वर्षों से भारी मात्रा में राषियां वसूली हेतु लम्बित रह जाती हैं। परन्तु इन लम्बित राषियों की दोषी छात्रों से वसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाऐ जा रहे हैं और न ही ऐसी राषियों के वर्ष बार ब्यौरे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख वार्षिक लेखों में दर्षाया जाता है। जिसके कारण स्कूल षिक्षा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये की हानि उठानी पड़ती है। शुल्क शाखा से प्राप्त विवरणानुसार वर्ष 2007–08 में कुल ₹13,72,277 रूपये की राषि वसूली हेतु लम्बित थी। अतः बोर्ड प्रषासन को परामर्ष दिया जाता है कि इस राषि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

¼**iii**½ उपरोक्त पैरा 2(1)(i) तथा (ii) में वर्णित चैकों में से ऐसे चैक जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1.10.2007 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2008 को कालातीत चैक बन चुके हैं, क्योंकि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें सम्बन्धित बैंकों में चैक निर्गमित होने की तिथि से 6 मास के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप इन कालातीत चैकों का 31 मार्च, 2008

के पष्चात भुगतान नहीं हो सकता। अतः लेखा नियमों के अनुसार इन चैकों की राषि को पुनः रोकड़–बही में दर्ज किया जाना अपेक्षित था जो कि बोर्ड प्रषासन द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार वार्षिक लेखे हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करते हैं।

¼**iV**½ आय शीर्ष 101(7) के अर्न्तगत ₹1,56,284/–रूपये की राषि को अवर्गीकृत आय शीर्ष के रूप में दर्षाया गया है इस अवर्गीकृत आय को वर्गीकृत करने हेतु वोर्ड द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं ।

¼**V**½ शीर्ष संख्याः 108 के अर्न्तगत ₹40,000 रूपये की राषि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राषि को आय के रूप में दर्षाया गया है, जबकि यह एक वापसी योग्य राषि थी। इस प्रकार इन राषियों को आय नहीं माना जा सकता। तथा बोर्ड के वार्षिक लेखे अपनी वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं।

¼**Vi**½ बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को मकान निर्माण, वाहन क्रय, कार व स्कूटर, मकान मुरम्मत व गर्म कपड़ों हेतु प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये बतौर ऋण दिए जाते रहे हैं परन्तु इन ऋणों पर अर्जित ब्याज को वार्षिक लेखा में लेखांकित नहीं किया जाता। अतः भविष्य में उपरोक्त ऋणों से प्राप्त ब्याज को वार्षिक लेखा में अलग शीर्ष के अर्न्तगत दर्षाया जाना सुनिष्चित किया जाए ताकि बोर्ड की वास्तविक वार्षिक वित्तीय स्थिति परिलक्षित हो सके ।

3- Hkqxrku %&

¼1½ शीर्ष–303(1से 5) के अर्न्तगत ₹23,79,500 रुपये व शीर्ष 403(1व4) के अर्न्तगत ₹4,99,000 रुपये की राषि व्यय के रूप में दर्षाई है, जबकि वास्तव में यह राषि बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/गर्म कपड़े व निर्मित भवनों की मुरम्मत हेतु अग्रिम के रूप में दी गई है, जोकि कर्मचारियों/अधिकारियों से वापिसी योग्य है । अतः इस राषि को व्यय नहीं माना जा सकता है।

¼2½ शीर्ष संख्याः 406(1) के अन्तर्गत ₹ 13,875 रुपये की राषि व्यय के रूप में दर्षाई गई है, जबकि यह राषि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को धरोहर/प्रतिभूति के रूप में वापिस लौटाई गई है। बोर्ड द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राषि को पहले आय में जोड़ लिया जाता है फिर उसी राषि को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को वापिस लौटा दिया जाता है। इससे बोर्ड की आय व व्यय में अनावष्यक रूप से वृद्वि परिलक्षित होती है ।

¼3½ शीर्ष संख्या 309(2) से (4), 310 (2)(4) व (5) तथा 409(2) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान कुल ₹1,37,06,548 रुपये की राषि विभिन्न एजेसिंयों को डिपोजिट वर्क के रूप में भवन निर्माण/भवनों के रख–रखाव हेतु अदा की गई परन्तु इस व्यय की वैद्यता की जांच ऑडिट द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि व्यय की गई राषि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

¼4½ शीर्ष सं0 408(4) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान कुल ₹ 1,10,000 रुपये की राषि स्वैच्छिक अनुदान के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उत्थान हेतु प्रदान की गई परन्तु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस राषि का व्यय, अनुदान की शर्तो/दिषा निर्देषों के अनुसार ही किया गया, के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जिस के कारण व्यय की वैद्यता की पुष्टि आडिट द्वारा नहीं की जा सकी।

13. ckMZ }kjk lapkfyr fofHkUu iLrd foØ; dsUnzks ds ekg Qjojh o ekpZ rFkk vizSy] 2006 dh vk; dh tkap %&

बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की माह 2/06 से 4/06 के दौरान प्राप्त आय की जांच उपरान्त निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं जिनके शीघ्र निपटारे हेतु सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्रों के प्रभारियों को उचित दिषा निर्देष जारी किए जाएं :–

1- iLrd foØ; dUnz pEck %&

(1) दिनांक 14.2.06 को कुल प्राप्त आय ₹14707 रुपये के विरूद्ध केवल ₹13707 रुपये ही बैंक में जमा करवाए गये। इस तरह कुल ₹1000 रुपये कम जमा करवाए गए हैं। यह राषि शीघ्र जमा करवाई जाए ।

(2) दिनांक 23.2.06 को कुल प्राप्त आय ₹25,782 रुपये के विरूद्ध केवल ₹25557 रुपये ही बैंक में जमा करवाए गए। इस प्रकार कुल ₹225 रुपये बैंक में कम जमा करवाए गए। यह राषि शीघ्र जमा करवाई जाए ।

(3) बिल संख्याः 1765 दिनांक 17.3.06 पर दी गई टिप्पणी अनुसार राषि ₹4,42,630 रूपये की पुस्तकें सर्व षिक्षा अभियान के अर्न्तगत वापिस प्राप्त की गई जिन्हें रसीद संख्याः 12890–12896 पर दर्ज दिखाया गया था परन्तु सम्बन्धित रसीद एवं पुस्तकों का स्टाक रजिस्टर अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गये। इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपरोक्त अभिलेख शीघ्र लेखा परीक्षा में दिखाया जाए ।

(4) निम्नलिखित कैष मैमों द्वारा कम राषियां वसूली गई है। इन राष्यिों की शीघ्र वसूली की जानी अपेक्षित है :–

d'k l0	eseks fnukad	ikIr jkf'k¼:0½	okLrfod jkf'k	de ikIr jkf'k
17185	23.3.06	2754.00	2772.00	18.00
17192	–यथो0–	9333.00	9459.00	126.00
17199	–यथो0–	5607.00	6336.00	729.00
17125	–यथो0–	12195.00	12240.00	45.00
17387	12.4.06	90.00	135.00	45.00
		29979-00	30942-00	963-00

(5) जांच के दौरान यह देखा गया कि पुस्तक विक्रय केन्द्र बिलासपुर, रोहडू तथा चम्बा के प्रभारियों द्वारा पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत को विक्रेताओं के द्वारा सीधा बैंक में जमा करवाये जाने की बजाए प्रभारियों द्वारा कैष में प्राप्त करके स्वयं बैंक में

जमा करवाया जा रहा था। यह बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी दिषा निर्देषों की उल्लघंना है। अतः भविष्य में उक्त दिषा निर्देषों की कड़ाई से अनुपालना की जाए।

¼2½ iLrd foØ; dUn fjdkxfivk :–

(1) दिनांक 21.2.06 को बैंक में ₹22,91,391 रुपये जमा करवाए गए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा–परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। यह विवरण शीघ्र लेखा परीक्षा में दिखाया जाए ।

¼3½ iLrd foØ; dUn gehjiqj %&

(1) माह 2/06 की कुल आय ₹1,13,985 रुपये के विरूद्ध केवल ₹1,11,735 रुपये ही बैंक में जमा करवाये गये । इस तरह कुल ₹2250 रुपये बैंक में कम जमा करवाए गये । शेष राषि शीघ्र बैंक में जमा करवाई जाए ।

(2) दिनांक 5.6.03 को प्रस्तुत विक्रय केन्द्र भोरजं से नवम् कक्षा की स्वाति भाग–1(कोड 901) 500पुस्तकें पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर को स्थानान्तरित की गई परन्तु हमीरपुर पुस्तक विक्रय केन्द्र के स्टाक रजिस्टर की छानबीन में यह पाया गया कि दिनांक 6.6.03 को केवल 300 पुस्तकें ही प्राप्त की गई। इस तरह कुल 200 पुस्तकें जिनकी कीमत 200 x 9 =1800 रुपये हमीरपुर पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा अपने स्टॉक रजिस्टर में कम दिखाई गई । इन पुस्तकों की कीमत की वसूली शीघ्र ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

¼4½ iLrd foØ; dUn e.Mh %&

(1) माह फरवरी से मार्च, 2006 तक की पुस्तकों की विक्री से सम्बन्धित विवरणी एवम स्थानान्तरण/प्राप्ति रसीदें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई । यह अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

¼5½ iLrd foØ; dUn f'keyk %&

(1) दिनांक 7.2.06 को बैंक में ₹23,32,346 रुपये की राषि जमा करवाई गई। परन्तु इससे आवष्यक जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

¼6½ iLrd foØ; dUn ukgu %&

पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन के कैष मैमों सं0 8915 दिनांक 20.3.06 द्वारा ₹5242 रुपये की राषि टैक्स सहित कुल 1440 कि0ग्रा0 पुस्तकों की रददी की विक्री से 3.25 रुपये प्रति कि0 ग्रा0 की दर से प्राप्त की गई । परन्तु रददी की विक्री से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि बिक्री की गई पुस्तकों का विवरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, निविदाएं

इत्यादि अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया। यह अभिलेख जांच हेतु शीघ्र लेखा–परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

¼7½ iLrd foØ; dsUn jkeiqj %&

(1) दिनांक 10.2.06 को ₹9,66,288 रुपये तथा दिनांक 3.3.06 को ₹6,88,631 रुपये बैंक में जमा करवाए गए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित कैष मैमों/रसीद इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाए ।

(2) पुस्तक विक्रय केन्द्र रामपुर के कैष मैमों के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

¼8½ iLrd foØ; dsUn Hkkjt %&

(1) दिनांक 4.3.06 को पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर से स्वतन्त्रता संग्राम (कोड 506) की 500 कितावें स्टाक रजिस्टर से पुस्तक विक्रय केन्द्र भोरजं को स्थानान्तरित करने हेतु खारिज की गई । परन्तु स्थानान्तरण विपत्र पर उक्त किताब की केवल 300 प्रतियों की ही प्रविष्टि की गई । इस अनियमितता हेतु दोषी के विरूद्ध आवष्यक कार्यावाही की जानी अपेक्षित है ।

(2) कैष मैमों में अत्याधिक मात्रा में कांट–छांट की गई है। कई बार पुस्तकों की मात्रा/राषियां ही बदल दी गई हैं ऐसे कुछ कैष मैमो उदाहरण के तौर पर नीचे दिए जा रहे हैं । अतः पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों को इस अनियमितता बारे आवष्यक दिषा निर्देष दिए जाएं ।

d'k eseks l0	fnukad
13062 से 13067	10.3.06
13073	13.3.06
13077	13.3.06
13095	14.3.06
25255	16.3.06

¼9½ iLrd foØ; dsUn dYyw %&

मास फरवरी तथा मार्च, 2006 के दौरान अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त तथा अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों को स्थानान्तरित पुस्तकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण एवं प्राप्ति रसीदें जांच हेतु अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की गई । यह अभिलेख शीघ्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

10- fu"d"k %& लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवष्यकता है । विषेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही अनुसार शेषों में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विषेष ध्यान देने की आवष्यकता है ।

उप नियंत्रक(ले0प0)
निवासी अंकेक्षण योजना,
हि0 प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड, धर्मषाला ।

निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

Hkkx&3

fgekpy izn'k Ldy f'k{kk ckM] /ke'kkyk d y[kkVk o"k 2006&07 dk okf"kd y[kk A

3- ikjfEHkd %&

हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत प्रारूप में आवष्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रमाणित किया जाता है। लेखों में पाई गई त्रुटियों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है। लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवष्यकता है । विषेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही अनुसार शेष में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान हेतु उठाये गए पग प्रर्याप्त नहीं थे। इस सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है ।

4- ikfIr;k %&

¼d½ foRrh; fLFkfr %& वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त में रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष ₹21,34,37,243.63 रूपये है और विभिन्न बैंकों में बोर्ड धन का अन्तिम शेष ₹26,38,93,269.29 रूपये है। इस प्रकार रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष में ₹5,04,56,025.66 रूपये का अन्तर परिलक्षित हुआ है। जिसमें से ₹3,55,39,661 रूपये का अन्तर निम्नलिखित कारणों से हैः–

1.	बैंक खाता संख्याः 10551097432 एस.बी.आई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 23.04.99 से दिनांक 31.03.07 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं	1,80,50,783.00
2.	बैंक खाता संख्याः 10551097330 एस.बी.आई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 1.4.2004 से 31.3.07 तक भुगतान हेतु जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं	39,53,878.00
3.	एस.बी.आई. धर्मषाला द्वारा अग्रिम जमा कर दिया गया लेकिन डिपू खाता में अप्रैल, 2007 को डैबिट दिया गया है	1,35,35,000.00
	;kx%&	3]55]39]661-00

इस प्रकार ₹3,55,39,661 रूपये की राषि का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष तथा कैश बुक के अन्तिम शेष में ₹1,49,16,364.66 रूपये का अन्तर शेष रहता है। इस अन्तर के

मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई है । बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करवाने हेतु बोर्ड प्रषासन से अनुरोध किया जाता है ।

¼[k½ प्रवेष शुल्क/बिलम्ब शुल्क (परीक्षा) के रूप में प्रत्येक वर्ष के अन्त में विभिन्न वर्षों से भारी मात्रा में राषियां वसूली हेतु लम्बित रह जाती हैं। परन्तु इन लम्बित राषियों की दोषी छात्रों से वसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाऐ जा रहे हैं और न ही ऐसी राषियों के वर्ष बार ब्यौरे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख वार्षिक लेखों में दर्षाया जाता है। जिस वजह से स्कूल षिक्षा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये की हानि उठानी पड़ती है। शुल्क शाखा से प्राप्त विवरणानुसार वर्ष 2006–07 तक कुल ₹12,38,966.00 रूपये की राषि वसूली हेतु लम्बित थी। अतः बोर्ड प्रषासन से अनुरोध है कि इस राषि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

¼x½ उपरोक्त पैरा 2(क)(1) तथा (2)में वर्णित चैकों में से ऐसे चैक जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1.10.2006 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2007 को कालातीत चैक बन चुके हैं, क्योंकि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें सम्बन्धित बैंकों में चैक निर्गमित होने की तिथि से 6 मास के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप इन कालातीत चैकों का 31 मार्च, 2007 के पष्चात भुगतान नहीं हो सकता है । अतः लेखा नियमों के अर्न्तगत इन चैकों की राषि को पुनः रोकड़–बही में दर्ज किया जाना बनता था जो कि बोर्ड प्रषासन द्वारा नहीं किया गया है । अतः यह वार्षिक लेखे हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करते हैं ।

¼?k½ आय शीर्ष 101(7) के अर्न्तगत ₹1,74,231 रूपये की राषि को अवर्गीकृत आय शीर्ष के रूप में दर्षाया गया है जबकि बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रकार की प्राप्ति/आय हेतु अलग–2 शीर्ष बनाए गए हैं। अवर्गीकृत आय को जब तक उचित आय शीर्ष में दर्षाया नहीं जाता तब तक इसे आय के रूप में दर्षाया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार वार्षिक लेखे स्कूल षिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं ।

¼M-½ शीर्ष संख्या 105(1)(2) एवं (5) के अर्न्तगत ₹64,58,859 रूपये की आय बोर्ड कर्मचारियों द्वारा अर्न्तगत ₹3,01,335 रूपये की राषि विभिन्न अध्यापकों द्वारा बिना खर्च अव्ययित राषि को जमा करवाए जाने पर आय शीर्ष में दर्षायी गई है। परन्तु यह बोर्ड की वास्तविक आय नहीं है ।

¼p½ शीर्ष संख्या 111 के अर्न्तगत विभिन्न निवेषों से प्राप्त ब्याज स्वरूप आय को दर्षाया गया है। जिसमें पुस्तक शीर्ष के अर्न्तगत बैकों में जमा/निवेषित राषियों पर अर्जित ब्याज को भी सम्मलित किया गया है। जबकि पुस्तक शीर्ष के अर्न्तगत किए गए निवेषों से अर्जित ब्याज राषि को उसी शीर्ष में दिखाया जाना चाहिए था। इस दिषा में सुधार की आवष्यकता है।

¼N½ शीर्ष संख्याः 111 के अर्न्तगत ₹1,50,31,738.19 रूपये की राषि विभिन्न निवेषों से प्राप्त आय के रूप में दर्षायी गई है। इस राषि में सावधि जमा योजना के अर्न्तगत निवेषित केवल उन राषियों पर

प्राप्त ब्याज सम्मिलित है जिन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान भुना लिया गया है। परन्तु ऐसी निवेषित राषियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को आय में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिनकी परिपक्वकता अवधि पूर्ण होने पर पुनः निवेषित कर दिया गया है। ऐसी अनेक राषियां हैं जिन्हें गत कई वर्षों में बार–2 पुनः निवेषित किया जा चुका है तथा पुनः निवेषित करते समय प्राप्त ब्याज का लेखाकरण किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार बोर्ड के लेखों की सही वार्षिक स्थिति परिलक्षित नहीं होती है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित आय को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान गणना में लिए जाने बारे उचित पग उठाए जाऐं ।

¼t½ शीर्ष संख्याः 108 के अर्न्तगत ₹36,074 रूपये की राषि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राषि एवं शीर्ष संख्याः 205 के अर्न्तगत ₹85,800 रूपये की राषि को आय के रूप में दर्षाया गया है, जबकि यह एक वापिसी योग्य राषि है। अतः इन राष्यिों को आय नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार बोर्ड के वार्षिक लेखे अपनी वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

¼>½ शीर्ष संख्या 112(2) के अन्तर्गत ₹52,224 रूपये की राषि स्कूल षिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आये विभिन्न अधिकारियों से सी0पी0एफ0 एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के रूप में दर्षाई गई है। परन्तु उक्त राषि वास्तव में बोर्ड की आय नहीं है ।

2 <u>0;;</u> %&

¼d½ शीर्ष– 303(1)(3)(4) के अर्न्तगत ₹10,62,800 रुपये की राषि व्यय के रूप में दर्षाई है, जबकि वास्तव में यह राषि बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/त्यौहार/गर्म कपड़े बनवाने हेतु अग्रिम के रूप में दी गई है, जोकि कर्मचारियों/अधिकारियों से वापिसी योग्य है। अतः इस राषि को व्यय नहीं माना जा सकता है ।

¼[k½ शीर्ष संख्याः 306(1) के अन्तर्गत ₹78,211 रुपये की राषि व्यय के रूप में दर्षाई गई है, जबकि यह राषि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को धरोहर/प्रतिभूति के रूप में वापिस लौटाई गई है। बोर्ड द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राषि को पहले आय में जोड़ लिया जाता है फिर उसी राषि को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को वापिस लौटा दिया जाता है। इससे बोर्ड की आय व व्यय में अनावष्यक रूप से वृद्वि परिलक्षित होती है ।

¼x½ <u>xkiuh; fuf/k%&</u> शीर्ष के अर्न्तगत वर्ष 2006–07 के दौरान कुल ₹99,00,000 रुपये की राषि हस्तांतरित की गई है। परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार यह राषि ₹88,71,440 रुपये दर्षाई गई है। गोपनीय निधि के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल खर्च की गई राषि ₹88,71,440 रुपये में ₹6,22,690 रुपये की वह राषि भी सम्मिलित है, जो कि बोर्ड द्वारा पांचवी कक्षा के प्रष्न पत्रों के मुद्रण/आपूर्ति हेतु खर्च की गई है। अतः उक्त राषि ₹6,22,690 रुपये की प्रतिपूर्ति षिक्षा विभाग से की जानी सुनिष्चित की जाये ।

सचिव/अध्यक्ष द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.07 को गोपनीय निधि में ₹17,77,918.60 रुपये अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

¼?k½ शीर्ष संख्या 310(2)से (5) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल ₹35,43,535.00 रुपये की राषि विभिन्न एजेसिंयों को डिपोजिट वर्क के रूप में भवन निर्माण/भवनों के रख–रखाव हेतु अदा की गई। परन्तु इस व्यय की वैद्यता की जांच आडिट द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि खर्च की गई राषि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

¼M-½ शीर्ष सं0 408(4) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल ₹1,93,000 रुपये की राषि स्वैच्छिक अनुदान के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उत्थान हेतु प्रदान की गई। परन्तु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस राषि का खर्च, अनुदान की शर्तो/दिषा निर्देषों के अनुसार ही किया गया के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जिस के कारण व्यय की वैद्यता की पुष्टि आडिट द्वारा नहीं की जा सकी है ।

fgekpy ins'k Ldy f'k{kk cksM] /keZ'kkyk] ftyk dkxMk ds y[kk vof/k 2006&07 ds vads{k.k ifronu dk vkoj 0;s A

d0 l0	fooj.k	iSjk l0 ,oa Hkkx	i0 l0
1.	रोकड़ बही शेषों का मिलान बैंक शेषों से बोर्ड के गठन से लेकर आज तक न किया जाना ।	2(ग) भाग–1	4
2.	परीक्षा शुल्क से सम्बन्धित वसूली हेतु लम्बित राषि का पूर्ण अभिलेख न रखा जाना ।	6 (क) भाग–1	6
3.	अंशदायी एवं गैर अंषदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का वर्ष 1.4.2000 से पूर्व रख–रखाव न किया जाना ।	7(क) भाग–1	7–8
4.	पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवं गलत भुगतान प्रस्तुत होने के कारण ₹3,89,523 रुपये की कटौतियां विभिन्न बिलों में से वर्ष 2006–07 के दौरान की गई ।	4 भाग–2	10
5.	विभिन्न अग्रिमों की दिनांक 31.3.06 को कुल ₹14,88,39,704.30	5 भाग–2	11

	रुपये की राषि समायोजन हेतु लम्बित ।		
6.	बिना बजट प्रावधान के ₹2,40,000 रुपये कम्पयूटर प्रषिक्षण हेतु व्यय करने बारे ।	6 भाग–2	12–13
7.	बोर्ड सदस्यों के पक्ष में किए गए अनियमित भुगतान की राषि ₹6568 रुपये की वसूली हेतु ।	7 भाग–2	13
8.	बोर्ड कर्मचारियों के पक्ष में ₹57098 रुपये की राषि के मानदेय के भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग हि0 प्र. से लेने बारे ।	10 भाग–2	14
9.	सिटी चैनल षिमला के विज्ञापन से सम्बन्धित ₹15000 रुपये के भुगतान के समर्थन में अनुमोदित दरों का न दिखाया जाना ।	10 भाग–2	15
10.	परीक्षा केन्द्र शुल्क (सृजन, पदोन्नत एवम् कन्टीन्यूऐषन) से सम्बन्धित रिकार्ड का उपलब्ध न करवाना ।	12 भाग–2	16

fgekpy in'k Ldy f'k{kk ckM d lEid dk;ky; e v/;kidk d Hkxrkuk d y[kk ijh{k.k ij ikb xb vfu;ferk, %&

1.	एक ही अवधि के दोहरे यात्रा भत्ता बिलों व पारिश्रमिक के भुगतान बारे ।	4(1)(2)(3) भाग–2	17
2.	अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।	13(4) भाग–2	18
3.	अध्यापकों द्वारा एक ही अवधि में दो अलग–2 स्थानों पर डियूटी देने पर ₹14979 रुपये के अधिक भुगतान बारे ।	13(6) भाग–2	19

fgekpy in'k Ldy f'k{kk ckM d y[kkvk vof/k 2005&06 dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu A

fo"k; lph

Hkkx l0	fo"k;	ijk l[;k%	i"B l[;k^
भाग–1	हि0प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड की वर्ष 2005–06	1 से 8	2 से 9

	की वित्तीय स्थिति आय एवं व्यय के साधन निवेष एवं अंकेक्षण शुल्क ।		
भाग–2	वर्ष 2005–06 के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण।	1 से 12	9 से 21
भाग–3	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण ।	1 से 9	21 सं 38
भाग–4	हि0प्र0 स्कूल षिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखा वर्ष 2005–06 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण ।	1 से 3	39 से 43
भाग–5	गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अभी तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का विवरण ।	ए–बी–सी	43 से 74
भाग–6	परिशिष्टों की सूची	क से च	75 से 129

fgekpy in'k Ldy f'k{kk ckM] /ke'kkyk d y[kkvk o"k 2006&07 dk okf"kd y[kk A

5- ikjfEHkd %& हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत प्रारूप में आवष्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रमाणित किया जाता है । लेखों में पाई गई त्रुटियों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है । लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवष्यकता है । विषेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही अनुसार शेष में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान हेतु उठाये गए पग प्रर्याप्त नहीं थे । इस सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवष्यकता है ।

6- ikfIr;k %&

¼d½ foRrh; fLFkfr %& वित्तीय वर्ष 2006–07 के अन्त में रोकड़ बही अनुसार अन्त शेष ₹21,34,37,243.63 रूपये है और विभिन्न बैंकों में बोर्ड धन का अन्तिम शेष ₹26,38,93,269.29 रूपये है। इस प्रकार रोकड़ बही शेष एवं बैंक शेष में ₹5,04,56,025.66 रूपये का अन्तर परिलक्षित हुटा है । जिसमें से ₹3,55,39,661 रूपये का अन्तर निम्नलिखित कारणों से है :–

1.	बैंक खाता संख्याः 10551097432 एस.बी.आई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 23.04.99 से दिनांक 31.03.07 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं	1,80,50,783

2.	बैंक खाता संख्याः 10551097330 एस.बी.आई. धर्मषाला से जारी चैकों की राषि जो दिनांक 1.4.2004 से 31.3.07 तक भुगतान हेतु जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं	39,53,878
3.	एस.बी.आई. धर्मषाला द्वारा अग्रिम जमा कर दिया गया लेकिन डिपू खाता में अप्रैल, 2007 को डैबिट दिया गया है	1,35,35,000
	;kx%&	3]55]39]661

इस प्रकार ₹3,55,39,661 रूपये की राषि का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष तथा कैश बुक के अन्तिम शेष में ₹1,49,16,364.66 रूपये का अन्तर शेष रहता है। इस अन्तर के मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई है । बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करवाने हेतु बोर्ड प्रषासन से अनुरोध किया जाता है ।

¼[k½ प्रवेष शुल्क/बिलम्ब शुल्क (परीक्षा) के रूप में प्रत्येक वर्ष के अन्त में विभिन्न वर्षों से भारी मात्रा में राषियां वसूली हेतु लम्बित रह जाती हैं । परन्तु इन लम्बित राषियों की दोषी छात्रों से वसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाऐ जा रहे हैं और न ही ऐसी राषियों के वर्ष बार ब्यौरे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख वार्षिक लेखों में दर्षाया जाता है । जिस वजह से स्कूल षिक्षा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये की हानि उठानी पड़ती है । शुल्क शाखा से प्राप्त विवरणानुसार वर्ष 2006–07 तक कुल ₹12,38,966.00 रूपये की राषि वसूली हेतु लम्बित थी । अतः बोर्ड प्रषासन से अनुरोध है कि इस राषि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाऐ ।

¼x½ उपरोक्त पैरा 2(क)(1) तथा (2)में वर्णित चैकों में से ऐसे चैक जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1.10.2006 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2007 को कालातीत चैक बन चुके हैं, क्योंकि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें सम्बन्धित बैंकों में चैक निर्गमित होने की तिथि से 6 मास के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप इन कालातीत चैकों का 31 मार्च, 2007 के पष्चात भुगतान नहीं हो सकता है । अतः लेखा नियमों के अर्न्तगत इन चैकों की राषि को पुनः रोकड़–बही में दर्ज किया जाना बनता था जो कि बोर्ड प्रषासन द्वारा नहीं किया गया है । अतः यह वार्षिक लेखे हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करते हैं ।

¼?k½ आय शीर्ष 101(7) के अर्न्तगत ₹1,74,231 रूपये की राषि को अवर्गीकृत आय शीर्ष के रूप में दर्षाया गया है जबकि बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रकार की प्राप्ति/आय हेतु अलग–2 शीर्ष बनाए गए हैं । अवर्गीकृत आय को जब तक उचित आय शीर्ष में दर्षाया नहीं जाता तब तक इसे आय के रूप में

दर्षाया जाना उचित नहीं है । इस प्रकार वार्षिक लेखे स्कूल षिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं ।

¼M-½ शीर्ष संख्या 105(1)(2) एवं (5) के अन्र्तगत ₹64,58,859 रूपये की आय बोर्ड कर्मचारियों द्वारा विभिन्न अग्रिमों की अव्ययित राषि को जमा करवाए जाने पर तथा शीर्ष संख्या 114(1) और (2) के अन्र्तगत ₹3,01,335 रूपये की राषि विभिन्न अध्यापकों द्वारा विना खर्च अव्ययित राषि को जमा करवाए जाने पर आय शीर्ष में दर्षायी गई है। परन्तु यह बोर्ड की वास्तविक आय नहीं है ।

¼p½ शीर्ष संख्या 111 के अन्र्तगत विभिन्न निवेषों से प्राप्त ब्याज स्वरूप आय को दर्षाया गया है । जिसमें पुस्तक शीर्ष के अन्र्तगत बैकों में जमा/निवेषित राषियों पर अर्जित ब्याज को भी सम्मलित किया गया है, जबकि पुस्तक शीर्ष के अन्र्तगत किए गए निवेषों से अर्जित ब्याज राषि को उसी शीर्ष में दिखाया जाना चाहिए था । इस दिषा में सुधार की आवष्यकता है।

¼N½ शीर्ष संख्याः 111 के अन्र्तगत ₹1,50,31,738.19 रूपये की राषि विभिन्न निवेषों से प्राप्त आय के रूप में दर्षायी गई है । इस राषि में सावधि जमा योजना के अन्र्तगत निवेषित केवल उन राषियों पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित है जिन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान भुना लिया गया है । परन्तु ऐसी निवेषित राषियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को आय में सम्मिलित नहीं किया गया है । जिनकी परिपक्वकता अवधि पूर्ण होने पर पुनः निवेषित कर दिया गया है । ऐसी अनेक राषियां हैं जिन्हें गत कई वर्षों में बार–2 पुनः निवेषित किया जा चुका है तथा पुनः निवेषित करते समय प्राप्त ब्याज का लेखाकरण किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार बोर्ड के लेखों की सही वार्षिक स्थिति परिलक्षित नहीं होती है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित आय को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान गणना में लिए जाने बारे उचित पग उठाए जाऐं ।

¼ t ½ शीर्ष संख्याः 108 के अन्र्तगत ₹36,074 रूपये की राषि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राषि एवं शीर्ष संख्याः 205 के अन्र्तगत ₹85,800 रूपये की राषि को आय के रूप में दर्षाया गया है, जबकि यह एक वापिसी योग्य राषि है । अतः इन राष्यिों को आय नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार बोर्ड के वार्षिक लेखे अपनी वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

¼>½ शीर्ष संख्या 112(2) के अन्र्तगत ₹52,224 रूपये की राषि स्कूल षिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आये विभिन्न अधिकारियों से सी0पी0एफ0 एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय के रूप में दर्षाई गई है । परन्तु उक्त राषि वास्तव में बोर्ड की आय नहीं है ।

3- 0;; ¼&

¼d½ शीर्ष– 303(1)(3)(4) के अन्र्तगत ₹10,62,800 रुपये की राषि व्यय के रूप में दर्षाई है, जबकि वास्तव में यह राषि बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/त्यौहार/गर्म कपड़े बनवाने हेतु

अग्रिम के रूप में दी गई है, जोकि कर्मचारियों/अधिकारियों से वापिसी योग्य है। अतः इस राषि को व्यय नहीं माना जा सकता है ।

¼[k½ शीर्ष संख्याः 306(1) के अन्तर्गत ₹78,211 रुपये की राषि व्यय के रूप में दर्षाई गई है, जबकि यह राषि विभिन्न आपूर्तिकताओं को धरोहर/प्रतिभूति के रूप में वापिस लौटाई गई है । बोर्ड द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राषि को पहले आय में जोड़ लिया जाता है फिर उसी राषि को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को वापिस लौटा दिया जाता है । इससे बोर्ड की आय व व्यय में अनावष्यक रूप से वृद्धि परिलक्षित होती है ।

¼x½ xksiuh; fuf/k& शीर्ष के अर्न्तगत वर्ष 2006–07 के दौरान कुल ₹99,00,000 रुपये की राषि हस्तांतरित की गई है । परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार यह राषि ₹88,71,440 रुपये दर्षाई गई है। गोपनीय निधि के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल खर्च की गई राषि रुपये ₹88,71,440 में ₹6,22,690 रुपये की वह राषि भी सम्मिलित है, जो कि बोर्ड द्वारा पांचवी कक्षा के प्रष्न पत्रों के मुद्रण/आपूर्ति हेतु खर्च की गई है । अतः उक्त राषि ₹6,22,690 रुपये की प्रतिपूर्ति षिक्षा विभाग से की जानी सुनिष्चित की जाये ।

सचिव/अध्यक्ष द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.07 को गोपनीय निधि में ₹17,77,918.60 रुपये अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

¼?k½ शीर्ष संख्या 310(2)से (5) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल ₹35,43,535.00 की राषि विभिन्न एजेसिंयों को डिपोजिट वर्क के रूप में भवन निर्माण/भवनों के रख–रखाव हेतु अदा की गई । परन्तु इस व्यय की वैद्यता की जांच आडिट द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि खर्च की गई राषि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

¼M-½ शीर्ष सं0 408(4) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान कुल ₹1,93,000 रुपये की राषि स्वैच्छिक अनुदान के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उत्थान हेतु प्रदान की गई । परन्तु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस राषि का खर्च, अनुदान की शर्तो/दिषा निर्देषों के अनुसार ही किया गया के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जिस के कारण व्यय की वैद्यता की पुष्टि आडिट द्वारा नहीं की जा सकी है ।

उप नियंत्रक(लेखा–परीक्षा),
निवासी अंकेक्षण योजना,
हिमाचल प्रदेष स्कूल षिक्षा बोर्ड, धर्मषाला ।